सत्यमेव जयते

वित्त लेखे

(खण्ड -I)

2020-21

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग ✦ INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

सत्यमेव जयते
हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश सरकार

वित्त लेखे

खण्ड-I

2020-21

हिमाचल प्रदेश सरकार

खण्ड-I

विषय सूची

	विषय	पृष्ठ
	खण्ड-I	
▪	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र	(iii-vii)
▪	वित्त लेखाओं की प्रदर्शिका (प्रस्तावना)	(ix-xiii)
1	वित्तीय स्थिति की विवरणी	2-3
2	प्राप्तियों और संवितरणों की विवरणी	4-8
	अनुबंध-रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों के निवेश	
3	प्राप्तियों की विवरणी(समेकित निधि)	9-12
4	व्यय की विवरणी(समेकित निधि)	13-16
5	प्रगामी पूंजीगत व्यय की विवरणी	17-20
6	उधारों तथा अन्य दायित्वों की विवरणी	21-24
7	सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों की विवरणी	25-26
8	सरकार के निवेशों की विवरणी	27
9	सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की विवरणी	28
10	सरकार द्वारा दिए गए सहायतानुदानों की विवरणी	29-31
11	दत्तमत तथा प्रभारित व्यय की विवरणी	32
12	राजस्व लेखों के अतिरिक्त व्यय के लिए स्त्रोत व निधियों के प्रयोग की विवरणी	33-36
13	समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अधीन शेषों का सार	37-38
▪	लेखाओं पर टिप्पणियां	39-57
	खण्ड-II	
	भाग-I विस्तृत विवरणियां	
14	लघु शीर्षों-वार राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों की विस्तृत विवरणी	58-75
15	लघु शीर्षों-वार राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी	76-117
16	लघु शीर्ष तथा उप शीर्ष -वार पूँजीगत व्यय की विस्तृत विवरणी	118-163
17	उधारों तथा अन्य दायित्वों की विस्तृत विवरणी	164-175
18	सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों की विस्तृत विवरणी	176-182
19	निवेशों की विस्तृत विवरणी	183-196
20	सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की विस्तृत विवरणी	197-200
21	आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा लेन देनों की विस्तृत विवरणी	201-207
22	चिन्हित निधियों के निवेशों पर विस्तृत विवरणी	208
	खण्ड-II	
	भाग-II परिशिष्ट	
(I)	वेतन पर तुलनात्मक व्यय	209-215
(II)	सहायता पर तुलनात्मक व्यय	216-222
(III)	राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान (स्कीम-वार व संस्थान-वार)	223-249
(IV)	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओ का विस्तृत विवरण	250-251
(V)	योजना स्कीम व्यय	252-259
	(क) केन्द्रीय स्कीम (केन्द्रीय प्रायोजित योजना,केन्द्रीय योजना स्कीम)	
	(ख) राज्य योजना स्कीमें	

विषय सूची

	विषय	पृष्ठ
	खण्ड-II	
	भाग-II परिशिष्ट	
(VI)	राज्य की कार्यावयन एजैंसियों को केन्द्रीय परियोजना निधि का प्रत्यक्ष स्थानान्तरण (राज्य बजट के अलावा निधियां दी गईं) (अलेखापरीक्षित आंकड़े)	260-271
(VII)	अथ शेषों के साथ शेषों का मिलान व अनुमोदन	272
(VIII)	सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय परिणाम	273
(IX)	अपूर्ण निर्माण कार्यों की वचनबद्धता की विवरणी	274-283
(X)	वेतन तथा गैर वेतन भाग के पृथक्कीकरण के साथ रख-रखाव व्यय	284-290
(XI)	वर्ष के दौरान मुख्य नीतिगत निर्णय तथा बजट में प्रस्तावित नई स्कीमें	291
(XII)	भविष्य में राज्य की प्रतिबद्ध देनदारियों का विवरण	292

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र

इस संकलन में 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त लेखे समाहित है जो वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों के लेखाओं सहित वित्तीय स्थिति प्रस्तुत करता है। इन लेखाओं को दो खंडों में प्रस्तुत किया गया है, खंड-I में राज्य के वित्त की समेकित स्थिति समाविष्ट है और खंड-II लेखाओं को विस्तृत रूप में दर्शाता है। अनुदानों और प्रभारित विनियोगों हेतु वर्ष के लिए सरकार के विनियोग लेखाओं को पृथक संकलन में प्रस्तुत किया जाता है।

वित्त लेखे, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार किये गये हैं तथा इन्हें हिमाचल प्रदेश सरकार के नियन्त्रणाधीन कार्य करने वाले एवं ऐसे लेखाओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों तथा विभागों द्वारा प्रस्तुत किए गए वाउचरों, चालानों एवं प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त हुए विवरणों से संकलित किया गया है। इस संकलन के विवरणों (संख्या 8, 9, 19 एवं 20), व्याख्यात्मक टिप्पणियों (विवरणी संख्या 14, 15 एवं 20) और परिशिष्टों (IV, VIII, IX एवं XI) को हिमाचल प्रदेश सरकार/निगमों/कम्पनियों/समुदायों से प्राप्त हुई सूचना से सीधे तैयार किया गया है, जो ऐसी सूचना की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। परिशिष्ट VI को महालेखा नियंत्रक के सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली पोर्टल से तैयार किया गया है।

हिमाचल प्रदेश सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले कोषागार, कार्यालय तथा/अथवा विभाग मुख्यतः प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं को तैयार करने और इनकी परिशुद्धता के साथ-साथ इन लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू कानूनों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने तथा उन्हें राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं को तैयार करने के मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से, इन लेखाओं पर अपना मत व्यक्त करने के लिए की जाती है, जो लेखापरीक्षा के परिणामों पर आधारित होता है। ये कार्यालय स्वतंत्र संस्थाऐं हैं, जिनका अपना अलग संवर्ग, पृथक उत्तरदायी पदानुक्रम तथा प्रबंधन ढाँचा है।

लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि लेखे महत्वपूर्ण त्रुटियों से मुक्त हैं, इस पर यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम योजना बनाकर लेखापरीक्षा करें। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से संबंधित साक्ष्यों की नमूना आधार पर जाँच भी सम्मिलित है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त की गई अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, अपनी सम्पूर्ण जानकारी के अनुसार और दिये गये स्पष्टीकरणों पर विचार करते हुए मैं अपनी सम्पूर्ण जानकारी और विश्वास के साथ यह प्रमाणित करता हूँ कि लेखाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों के साथ पठित वित्त लेखे 2020-21 वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार की वित्तीय स्थिति तथा प्राप्तियों एवं संवितरणों की सही एवं निष्पक्ष प्रस्तुति करते हैं।

इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष के दौरान अथवा विगत वर्षों के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा से उदभूत महत्वपूर्ण मुद्दे 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत किये जाने वाले हिमाचल प्रदेश सरकार पर मेरे वित्तीय,अनुपालन तथा निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल हैं।

मामले के महत्व

मैं इन लेखाओं की परिशुद्धता पारदर्शिता और पूर्णता के दृष्टिकोण से लोक वित्त पर विधायी वित्तीय नियंत्रण रखने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामले पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ:

(i) वर्ष 2020-21 के दौरान, कुल ₹227.65 करोड़ की राशि के लिए, उप-वाउचर और अन्य सहायक दस्तावेज वास्तविक व्यय के प्रमाण के रूप में प्रधान महालेखाकार (ले0 व ह0) को प्रस्तुत नहीं किए गए थे। इस प्रकार, ₹227.65 करोड़ की कुल राशि को व्यय के रूप में नहीं माना गया है और शीर्ष 8658-102-उचंत लेखा (लोक लेखा) के अंतर्गत रखा गया है। मार्च 2021 के अंत तक शीर्ष 8658-102 उचंत लेखा (लोक लेखा) के अंतर्गत प्रगतिशील शेष ₹1,631.05 करोड़ जमा हुआ।

(ii) आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डी. डी. ओ.) एक ही प्रपत्र (अर्थात एचपीटीआर-5) का कोषागार से आकस्मिक प्रकृति के अग्रिमों को आहरित करने के लिए उपयोग कर रहे थे, जिस प्रपत्र का इस्तेमाल व्यय की अन्य सभी नियमित प्रकृति के लिए किया जाता है। इस प्रकार, सार आकस्मिक (ए.सी.) बिलों की पहचान करने व विस्तृत आकस्मिक बिलों (डी. सी.) के रूप में उनके समायोजन की निगरानी करने के लिए कोई प्रक्रिया विकसित नहीं की गई थी। इसलिए, न तो कोषागार और न ही प्रधान महालेखाकार (ले0 व ह0) के पास आहरित/समायोजित/लंबित एसी बिलों की संख्या से संबंधित कोई रिकॉर्ड था। अग्रिमों का आहरण और निगरानी/लेखा न किया जाना, दुरूपयोग/गबन की संभावना को बढ़ाता है।

(iii) वर्ष 2020-21 के दौरान, ₹1,970.76 करोड़ की कुल राशि के 1,312 उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू0सी0) जो देय थे, राज्य के निकायों और प्राधिकरणों द्वारा प्रदान सहायता अनुदान के एवज में प्रस्तुत नहीं किए गए। इसके अलावा, ₹1,587.07 करोड़ की कुल राशि के 1,487 उपयोगिता प्रमाण पत्र जोकि वर्ष 2019-20 तक प्रस्तुत करने हेतु देय थे, 31 मार्च 2021 तक लम्बित थे। इस प्रकार, ₹3,557.83 करोड़ की राशि के 2,799 उपयोगिता प्रमाण पत्र 31 मार्च 2021 तक प्रस्तुत करने हेतु लम्बित थे। यूसी जमा न करने के मददेनजर, इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि ₹3,557.83 करोड़ की राशि वास्तव में उस प्रयोजन के लिए खर्च/उपयोग की गई है, जिसके लिए इसे विधानमंडल द्वारा अनुमोदित/अधिकृत किया गया था। उपयोगिता प्रमाण पत्रों की अत्याधिक विचाराधीनता दुरूपयोग के जोखिम से भरी है।

उपरोक्त मुद्दों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ हिमाचल प्रदेश सरकार के वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में विस्तार से दी गई है।

दिनांकः 28 जून 2022
स्थानः नई दिल्ली

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

क. सरकार के लेखाओं की संरचना का विस्तृत अवलोकन

1. हिमाचल प्रदेश राज्य के वित्त लेखे, राजस्व एवं पूंजीगत लेखाओं द्वारा प्रदर्शित वित्तीय परिणामों सहित, वर्ष के दौरान सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों के लेखाओं, लोक ऋण के लेखाओं में दर्ज शेषों में से निकाली गई देनदारियाँ एवं परिसम्पितयों को दर्शाते हैं।

2. सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैः

भाग-I: समेकित निधिः इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी लोक ऋण, ऋण और अग्रिम (बाजार ऋण, ऋण पत्र, केन्द्रीय सरकार से प्राप्त ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूति इत्यादि) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदत्त अर्थोपाय अग्रिमों एवं ऋणों की वापसी के रूप में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन सम्मिलित हैं। इस निधि से भारत के संविधान में निहित विधि एवं उद्देश्य के अतिरिक्त कोई धन आहरित नहीं किया जा सकता । कुछ श्रेणी के व्यय (जैसे संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन, ऋणों की वापसी इत्यादि), राज्य सरकार की समेकित निधि पर भारित(भारित व्यय) होते हैं एवं विधान मण्डल द्वारा पारित होने के विषय नहीं हैं। अन्य सभी व्यय (दत्तमत व्यय) विधान मण्डल द्वारा पारित होते हैं।

समेकित निधि में दो भाग होते हैं - राजस्व एवं पूंजीगत (लोक ऋण , ऋण और अग्रिम सहित) इन्हें आगे, प्राप्ति एवं व्यय के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाता है । राजस्व प्राप्ति भाग, तीन खण्डों में बांटा गया है, कर राजस्व, गैर-कर राजस्व एवं सहायतानुदान व अंशदान । इन तीन खण्डों को आगे उप-खण्डों में बांटा गया है जैसे - आय व व्यय पर कर, वित्तीय सेवाएँ इत्यादि । पुजीगत प्राप्तियाँ भाग में कोई खण्ड अथवा उप-खण्ड नहीं होते हैं । राजस्व व्यय भाग को चार खण्डों जैसे - सामान्य सेवाएँ, सामाजिक सेवाएँ, आर्थिक सेवाएँ एवं सहायतानुदान व अंशदान में बांटा गया हैं। राजस्व व्यय भाग में इन खण्डों को आगे उप खण्डों जैसे - राज्य के अंग, शिक्षा, खेल, कला व संस्कृति इत्यादि में विभाजित किया गया है। पूंजीगत व्यय भाग आगे सात उप-खण्डों जैसे सामान्य सेवाएँ, समाजिक सेवाएँ, आर्थिक सेवाएँ, लोकऋण, ऋण एवं अग्रिम, अन्तर्राज्यीय समाधान तथा आकस्मिकता निधि को हस्तान्तरण में विभाजित है ।

भाग-II: आकस्मिकता निधिः यह निधि अग्रदाय की होती है जो कि राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित विधि से स्थापित एवं राज्यपाल के नियंत्रण में, विधान मण्डल के अनुमोदन के लम्बित रहते आकस्मिता व्ययों को पूरा करने के लिए अग्रिम प्रदान करती है । इस निधि को राज्य सरकार की समेकित निधि में संबंधित मुख्य शीर्ष को डेबिट देकर प्रतिपूर्ती किया जाता है। हिमाचल प्रदेश की वर्ष 2020-21 की आकस्मिकता निधि ₹5.00 करोड़ है ।

भाग-III लोक लेखाः प्राप्त अन्य सभी लोक धन जो कि सरकार द्वारा अथवा सरकार के पक्ष में प्राप्त होता है, जहां सरकार एक बैंकर अथवा न्यासी की भूमिका निभाती है लोक लेखा में जमा किए जाते हैं । लोक लेखा में वापसी योग्य जैसे लघु बचत एवं भविष्य निधियाँ, जमा (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित), अग्रिम, आरक्षित निधियाँ (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित) प्रेषण एवं उचन्त शीर्ष (जो कि दोनों, अंतिम निपटान के लम्बित रहते हस्तान्तरण शीर्ष हैं) सम्मिलित हैं। सरकार के पास उपलब्ध शुद्ध रोकड़ शेष भी लोक लेखा में सम्मिलित होता है। लोक लेखा मे छः खण्ड जैसेः 'लघु बचतें, भविष्य निधियाँ इत्यादि,' 'आरक्षित निधियॉ', 'जमा व अग्रिम', 'उचन्त एवं विविध', 'प्रेषण' तथा 'रोकड़ शेष' सम्मिलित हैं । ये खण्ड आगे उप खण्डों में विभाजित हैं। लोक लेखा, विधान मण्डल के वोट का विषय नहीं है।

3. सरकारी लेखे छः स्तरीय वर्गीकरण जैसेः मुख्य शीर्ष (चार अंक), उप मुख्य शीर्ष (दो अंक) लघु शीर्ष (तीन अंक) उप शीर्ष (दो अंक), विस्तृत शीर्ष (दो अंक) एवं उद्देश्य शीर्ष (दो अंक) में प्रस्तुत किए जाते हैं। मुख्य शीर्ष सरकार के कार्य को प्रदर्शित करते हैं, उप मुख्य शीर्ष उप कार्य को प्रदर्शित करते हैं, लघु शीर्ष कार्यक्रम/क्रिया कलाप को प्रदर्शित करते हैं, उप शीर्ष योजनाओं को प्रदर्शित करते है, विस्तृत शीर्ष उप योजनाओं को प्रदर्शित करते हैं एवं उद्देश्य शीर्ष व्यय के उद्देश्य को प्रदर्शित करते हैं।

4. लेखाओं में वर्गीकरण की मुख्य इकाई, मुख्य शीर्ष है जिसमें निम्नलिखित वर्गीकरण संरचना निहित है (मुख्य शीर्ष एवं लघु शीर्ष की 31 मार्च 2021 तक अद्यतित सूची अनुसार)

0005 से 1606	राजस्व प्राप्तियॉ
2011 से 3606	राजस्व व्यय
4000	पूंजीगत प्राप्तियॉ
4046 से 7810	पूंजीगत व्यय (लोक ऋण,ऋण और अग्रिम सहित)
7999	आकस्मिक निधि को विनियोजन
8000	आकस्मिक निधि
8001 से 8999	लोक लेखा

5. वित्त लेखे, सामान्यतः (कुछ अपवादों को छोडकर) लघु शीर्ष स्तर तक लेनन्देन को दर्शाते हैं। वित्त लेखों में आंकड़े निवल रूप में, अर्थात वसूली को व्यय में से कटौती करते हुए दिखाए जाते हैं। यह विधि, विधान मण्डल को प्रस्तुत माँगों एवं विनियोग लेखों में प्रस्तुत निधि से अलग है जहॉ व्यय को सकल रूप में दिखाया जाता है ।

6. लेखाओं की संरचना का चित्रमय स्वरूप निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः

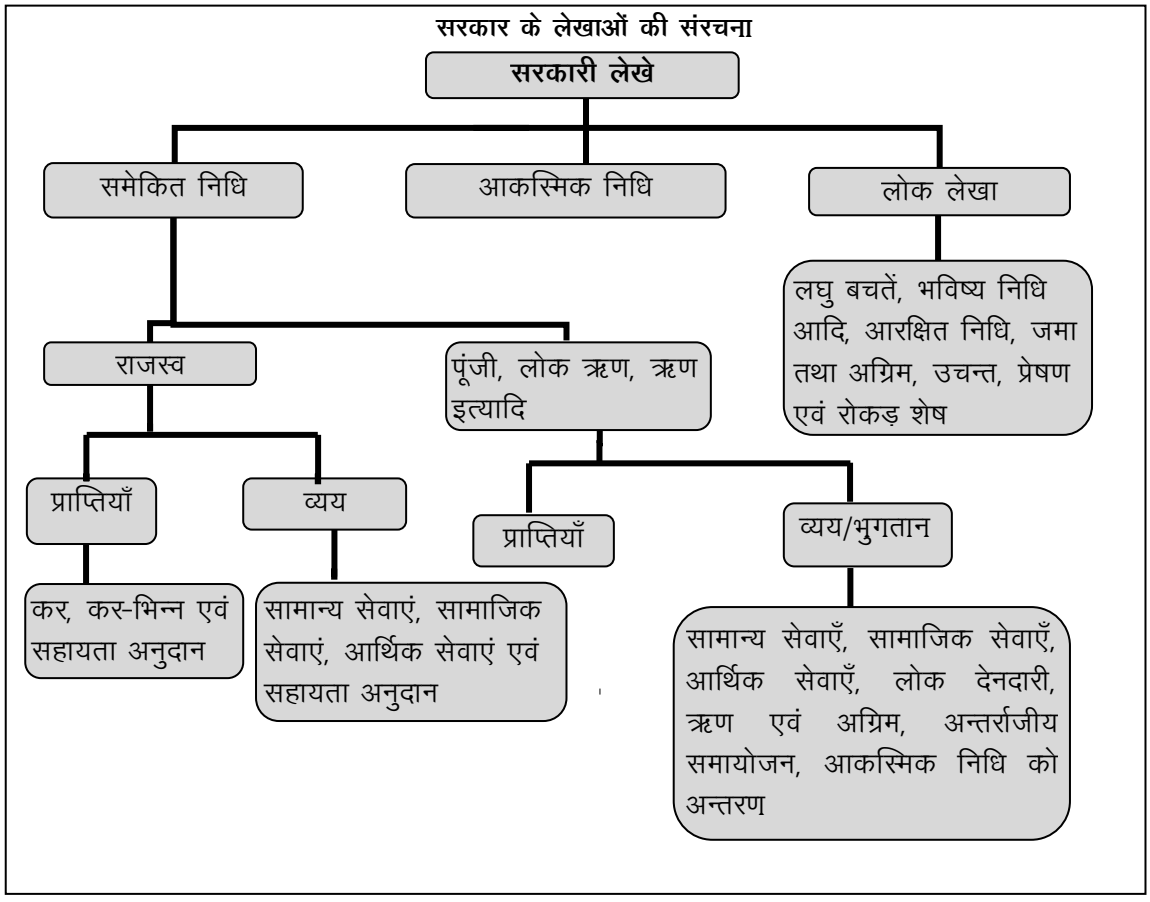

ख. वित्तीय लेखाओं की विषय वस्तु

वित्तीय लेखाओं को दो खण्डों में दर्शाया जाता है

खण्ड-I में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र, वित्त लेखाओं की प्रदर्शिका, चालू वर्ष हेतू राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति तथा लेन देनों पर संक्षिप्त सूचना दर्शाती 13 विवरणियां, लेखाओं पर टिप्पणी तथा लेखाओं पर टिप्पणियों का एक अनुबंध सम्मिलित हैं । खण्ड-I में 13 विवरणियों का ब्यौरा निम्न प्रकार हैः

1. **वित्तीय स्थिति की विवरणीः** यह विवरणी वर्ष के अन्त तक की राज्य सरकार की संचायत्मक परिसम्मपत्तियों एवं दायित्वों के आकड़ों को दर्शाती है तथा इन आकड़ों का पिछले वर्ष की समाप्ति तक की स्थिति से तुलनात्मक रूप में दर्शाती है।

2. **प्राप्तियों और सवितरणों की विवरणीः** यह विवरणी सरकारी लेखाओं के सभी तीनों भागोंः समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक-लेखे जिनमें सरकारी लेखाओं को रखा जाता है, के अन्तर्गत राज्य सरकार की सभी प्राप्तियों एवं संवितरणों को दर्शाती है। इसके अतिरिक्त इसमें सरकार के रोकड़ शेषों (निवेशों सहित) के वैकल्पिक चित्रण को दर्शाता अनुबंध भी शामिल है। यह अनुबंध सरकार के अर्थोपाय अग्रिमों की स्थिति को विस्तृत रूप से प्रदर्शित करता है।
3. **प्राप्तियों की विवरणी (समेकित निाधि)ः** यह विवरणी राज्य सरकार के राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों तथा दायित्वों एवं दिए गये ऋण की वापसी को दर्शाती है। यह विवरणी वित्त लेखे के खण्ड-II की विस्तृत विवरणी 14, 17 व 18 की समरूप है।
4. **व्यय की विवरणी (समेकित निधि)ः** लघु शीर्ष स्तर तक वित्तीय लेखाओं के सामान्य प्रदर्शन से हटकर यह विवरणी व्यय कार्य-प्रकृति (व्यय के उद्देश्य) के अनुरूप भी व्यय का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है। यह विवरणी वित्त लेखे के खण्ड-II में दी गई विस्तृत विवरणी 15, 16, 17,व 18 की समरूप है।
5. **प्रगामी पूंजीगत व्यय की विवरणीः** यह विवरणी भाग-II में विस्तृत विवरणी 16 की समरूप है।
6. **ऋणों तथा अन्य दायित्वों की विवरणीः** सरकार की उधारियों में उसके द्वारा लिए गए बाजार ऋण (आन्तरिक ऋण) एवं भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित हैं। अन्य देनदारियों मे, 'लघु बचतें, भविष्य निधियाँ इत्यादि', आरक्षित निधियाँ एवं जमा समाहित हैं। इस विवरणी में ऋण के उपयोग पर एक टिप्पणी भी सम्मिलित है एवं यह भाग-II में विस्तृत विवरणी 17 की समरूप है।
7. **सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों की विवरणीः** यह विवरणी राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के कर्जदारों जैसे साविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्वायत एवं अन्य निकायों/प्राधिकरणों तथा आदाता व्यक्तियों (सरकारी कर्मचारियों सहित) को प्रदत सभी ऋण एवं अग्रिमों को दर्शाती है। यह विवरणी भाग-II की विस्तृत विवरणी 18 की समरूप है।
8. **सरकार के निवेशों की विवरणीः** यह विवरणी राज्य सरकार द्वार साविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त स्टाक कम्पनियों,सहकारी संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों के इक्विटी पूंजी में निवेशों को दर्शाती है। यह विवरणी खण्ड-II की विस्तृत विवरणी 19 के समरूप है।
9. **सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की विवरणीः** यह विवरणी साविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा प्राप्त ऋणों पर मूलधन व ब्याज की अदायगी हेतू राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों के सार को दर्शाती है। यह विवरणी खण्ड-II की विस्तृत विवरणी-20 के समरूप है।
10. **सरकार द्वारा दिए गए सहायतानुदानों की विवरणीः** यह विवरणी सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के ग्राहियों जैसे साविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों स्वायत एवं अन्य संस्थानों/ प्राधिकरणों एवं व्यक्तियों को प्रदत सभी सहायतानुदान को दर्शाती है । परिशिष्ट-III में प्राप्तकर्ता संस्थाओं का विवरण समाहित है ।
11. **दत्तमत तथा प्रभारित व्यय की विवरणीः** यह विवरणी वित्त लेखों में दर्ज निवल आंकड़ों एवं विनियोग लेखों में दर्ज सकल आंकड़ों के मेल में सहायक है।
12. **राजस्व व्यय के अतिरिक्त व्यय के लिए स्त्रोत व निधियों के प्रयोग की विवरणीः** यह विवरणी इस सिद्धांत पर आधारित है कि राजस्व व्यय को प्राप्तियों से पूरा किया जाना चाहिये। जबकि वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय को राजस्व आधिक्य, लोक लेखा में निवल जमा शेष, वर्ष के शुरूआत में नगद शेष एवं उधारों से पूरा किया जाना चाहिए।
13. **समेंकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अधीन शेषों का सारः** यह विवरणी लेखाओं को सही सिद्ध करने में सहायक है। यह विवरणी खण्ड-II की विस्तृत विवरणी 14, 15, 16, 17, 18 व 21 के समरूप है।

वित्त लेखें के खण्ड-II के दो भाग हैः- भाग-I में 9 विस्तृत विवरणियां तथा भाग-II में XII परिशिष्ट हैं।

खण्ड-II का भाग-I

14. **लघु शीर्ष-वार राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों की विस्तृत विवरणीः** यह विवरणी वित्त लेखे के खण्ड-I में सार विवरणी 3 की समरूपी है।
15. **लघु शीर्ष-वार राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणीः** यह विवरणी जो कि खण्ड-I में सार विवरणी 4 की समरूपी है, राज्य सरकार के राजस्व व्यय को योजनागत (राज्य योजना, राज्य योजना को केन्द्रीय सहायता,केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम एवं केन्द्रीय योजनागत स्कीम) तथा गैर योजनागत के अन्तर्गत दर्शाती है। भारित तथा दत्तमत व्यय अलग-अलग दिखाए जाते हैं।
16. **लघु शीर्ष वार पूंजीगत व्यय की विस्तृत विवरणीः** यह विवरणी जो कि खण्ड-I के सार विवरणी 5 की समरूपी है, राज्य सरकार के पूंजीगत व्यय (वर्ष के दौरान एवं संचयात्मक) को योजनागत (राज्य योजना, राज्य योजना को केन्द्रीय सहायता, केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम एवं केन्द्रीय योजनागत स्कीम) तथा गैर योजनागत के अन्तर्गत दर्शाती है। भारित तथा दत्तमत व्यय अलग-अलग दिखाए जाते हैं। महत्वपूर्ण योजनाओं में पूंजीगत व्यय का विवरण लघु शीर्ष स्तर तक दिखाए जाने के अतिरिक्त यह विवरणी उपशीर्ष स्तर तक विवरण भी दर्शाती है।
17. **ऋणों तथा अन्य दायित्वों की विस्तृत विवरणीः** यह विवरणी जो कि खण्ड-I के सार विवरणी 6 की समरूपी है, राज्य सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण (बाजार ऋण, बॉड, केन्द्रीय सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचतें निधि इत्यादि को जारी विशेष प्रतिभूतियां) एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदत अर्थोपाय अग्रिमों को दर्शाती हैं। यह विवरणी ऋणों पर तीन श्रेणियों- (क) व्यक्तिगत ऋणों का ब्यौरा (ख) परिपक्वता रूप-रेखा अर्थात प्रत्येक श्रेणी के ऋणों की विभिन्न वर्षो में देय राशि एवं (ग) बकाया ऋण पर ब्याज दर की रूप रेखा एवं अनुबंध में बाजार ऋण की सूचना प्रस्तुत करती हैं।
18. **सरकार द्वार दिए गए ऋणों और अग्रिमों की विस्तृत विवरणीः** यह विवरणी इसी खण्ड के भाग-I में सार विवरणी 7 की समरूपी है।
19. **निवेशों की विस्तृत विवरणीः** यह विवरणी वस्तुस्थिति-वार निवेशों तथा विवरणी 16 व 19 के बीच विसंगतियां यदि कोई हों, के मुख्य शीर्ष तथा लघुशीर्ष वार विवरणों को दर्शाती है। यह विवरणी खण्ड-I की विवरणी 8 के समरूप है।
20. **सरकार द्वारा प्रदत प्रतिभुतियों का विस्तृत विवरणः** यह विवरणी सरकारी प्रतिभुतियों के वस्तुस्थिति-वार विवरण को दर्शाती है। यह विवरणी खण्ड-I के विवरणी 9 के समरूप है।
21. **आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा लेन देनों की विस्तृत विवरणीः** यह विवरणी आकस्मिकता निधि में असमायोजित राशि, वर्ष के दौरान लोक लेखा लेन-देनों की समेकित स्थिति एवं वर्ष के अन्त में लम्बित शेषों का लघु शीर्षवार विवरण दर्शाती है।
22. **चिन्हित शेषों के निवेशों पर विस्तृत विवरणीः** यह विवरणी आरक्षित निधियों एवं जमा (लोक लेखा) से निवेशों का विवरण दर्शाती है।

खण्ड-II का भाग-II

भाग-II में विभिन्न मदों, वेतन, उपदान, सहायतानुदान, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएँ, केन्द्रीय मुख्य स्कीम एवं राज्य योजनागत स्कीम के योजनावार व्यय इत्यादि पर **बारह परिशिष्ट सम्मिलित** हैं। ये विवरण लेखाओं में उप शीर्ष अथवा उसके निचले स्तर (लघु शीर्ष के नीचे) उपलब्ध है इसलिए सामान्यतः वित्त लेखाओं में नहीं दर्शाए जाते हैं। परिशिष्टों की विस्तृत सूची खण्ड-I अथवा II की विषय सुची में उपलब्ध है। परिशिष्टों के साथ विवरणियों का पठन, राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति की पूर्ण तस्वीर प्रस्तुत करता है।

ग. शीघ्र गणकः

निम्न भाग, खण्ड-I में दर्ज सार विवरणियों को खण्ड-II में दर्ज विस्तृत विवरणियों एवं परिशिष्टों से जोडता है (परिशिष्ट जो सार विवरणियों से सीधे संबधित नहीं है नीचे नहीं दर्शाए गए हैं)।

परिमाप	सारांश तालिकाएं (खंड-I)	विस्तृत तालिकाए (खंड-II)	परिशिष्ट
राजस्व प्राप्तियॉ (प्राप्त अनुदान सहित), पूंजीगत प्राप्तियां	2, 3	14	
राजस्व व्यय	2, 4	15	I (वेतन) II (उपदान)
सरकार द्वारा प्रदत्त सहायतानुदान	2,10	---	III (सहायता अनुदान)
पूंजीगत व्यय	1, 2, 4,5,12	16	I (वेतन)
सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण एवं अग्रिम	1, 2, 7	18	
ऋण स्थिति/ऋण	1, 2, 6	17	
कंपनी, निगमों में सरकार द्वारा किए गए निवेश	8	19	
नकदी	1, 2,12,13	21	
लोक लेखा में शेष तथा सम्बन्धित निवेश	1, 2,12,13	21, 22	
प्रत्याभूतियां	9	20	

घ. आवधिक एवं बुक समायोजन : लेखों में दर्ज कुछ लेन-देन, उनके दर्ज करने के समय वास्तविक रोकड़ प्रवाह से संबंध नहीं रखते हैं। इनमें से कुछ लेन-देन लेखा प्रस्तुत करने वाली इकाईयों जैसेः कोषगार, मण्डल इत्यादि के स्तर पर घटित होते हैं। उदाहरणतः वेतन से सभी प्रकार की कटौतियॉ (सामान्य भविष्य निधि, दिए गए अग्रिमों की वसूली इत्यादि) सेवा मुख्य शीर्ष (संबंधित विभाग से संबंधित) को नामे करते हुए राजस्व प्राप्तियां/ऋणों/लोक लेखा प्राप्ति को पुस्तकीय समायोजन द्वारा दर्ज की जाती हैं। इसी प्रकार शून्य बिल, जहॉ समेकित निधि एवं लोक लेखा के मध्य धन हस्तान्तरण, लेखा प्रस्तुत करने वाली इकाईयों के स्तर पर बिना रोकड़ हस्तान्तरण का लेन-देन के हो।

उपर्युक्त के अतिरिक्त महालेखाकार (लेखा एवं हक), राज्य सरकार के लेखों में निम्नलिखित प्रकृति के आवधिक समायोजन एवं पुस्तकीय समायोजन जिनका विवरण लेखाओं पर टिप्पणी के अनुबंध (खण्ड-I) एवं संबंधित विवरणियों के नीचे टिप्पणियों में वर्णित है, करते हैं। आवधिक एवं पुस्तकीय समायोजनों के उदाहरण निम्न प्रकार हैंः-

(1) समेकित निधि को नामे करते हुए निधियों का निर्माण/ लोक लेखा में निधियों को अंशदान का समायोजन जैसे राज्य आपदा राहत निधि, केन्द्रीय सड़क निधि, निक्षेप निधि इत्यादि।

(2) समेकित निधि को नामे करते हुए लोक लेखा में जमा शीर्ष को जमा करना।

(3) सामान्य भविष्य निधि (जी0पी0एफ0) एवं राज्य सरकार समूह बीमा योजना पर ब्याज का वार्षिक समायोजन, जहॉ पर ब्याज का समायोजन मुख्य शीर्ष 2049 ब्याज को नामे एवं मुख्य शीर्ष 8009-राज्य भविष्य निधि, 8011-बीमा और पैंशन निधियां को क्रमशः जमा करते हुए किया जाता है ।

(4) भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के मद्देनजर ऋण माफी का समायोजन। ये समायोजन (जहॉ केन्द्रीय ऋणों की माफी को मुख्य शीर्ष "0075-विविध सामान्य सेवाएँ" को जमा एवं मुख्य शीर्ष "6004-केन्द्रीय सरकार से ऋण व अग्रिम " को क्रांट्रा प्रविष्टि करके किया जाता है) राजस्व प्राप्तियों एवं लोक ऋण दोनों शीर्षो को प्रभावित करते हैं।

ङ. पूर्णाकित करना : जहाँ कही भी ₹0.01 लाख/करोड़ का अन्तर है वह पूर्णाकित की वजह से है।

1: वित्तीय स्थिति की विवरणी

1: वित्तीय स्थिति की विवरणी

(₹ करोड़ में)

पूंजियाँ [1]	संदर्भ (क्र.सं.)		31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
	लेखाओं पर टिप्पणी	विवरण		
रोकड़				
(i) कोषागारों में रोकड़ एवं स्थानीय पारगमन		21	…	...
(ii) विभागीय शेष		21	0.16	0.16
(iii) स्थाई रोकड़ अग्रदाय		21	0.03	0.03
(iv) नगद शेष निवेश		21	16,96.09	9,82.06
(v) भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा		21	59.96	77.93
(vi) चिन्हित शेषों से निवेश [2]		…	…	...
पूंजीगत व्यय				
(i) कम्पनी, कॉर्पोरेशन इत्यादि के शेयरों में निवेश		16 8,19	45,62.40	42,61.06
(ii) अन्य पूंजीगत व्यय		16 …	4,48,67.71	3,98,59.83
आकस्मिक निधि (अनापूर्ति)		…	…	…
ऋण तथा अग्रिम		7,18	76,87.59	73,90.50
विभागीय अधिकारियों को अग्रिम		…	…	...
उचन्त तथा विविध शेष [3]		…	…	...
प्रेषण		…	…	...
प्राप्तियों से ऊपर व्यय का समन्वयी आधिक्य [4]		12	90,14.36*	89,20.62
जोड़			**6,78,88.30**	**6,14,92.19**

[1]परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों के आंकड़े संचयी आंकड़े है। कृपया 'लेखाओं पर टिप्पणी' अनुभाग में टिप्पणी 1 (i) भी देखें।

[2]कम्पनियों आदि के शेयरों में चिन्हित निधियों में से किए गए निवेशों को पूंजीगत व्यय के अधीन निकाल दिया गया है तथा 'चिन्हित निधियों में से निवेश के अधीन सम्मिलित कर दिया गया है।

[3]इस तालिका में पंक्ति-मद 'उचन्त तथा विविध शेष' में 'नगदी शेष निवेश लेखा', 'विभागीय शेष' तथा 'स्थायी नगदी अग्रदाय' सम्मिलित नहीं हैं इन्हें ऊपर अलग से शामिल किया गया है, हांलाकि इन लेखाओं में इनको अन्यत्र इस सैक्टर के हिस्से के रूप में दर्शाया गया है।

[4]प्राप्तियों से ऊपर व्यय का संचयी आधिक्य, चालू वर्ष के राजकोषीय/राजस्व घाटे से अलग है अर्थात राजकोषीय/राजस्व घाटा नहीं हैं।

*संचित पूंजीगत प्राप्तियों के कारण विवरणी सख्या-12 पृष्ठ संख्या 37 में देखे ₹48.56 करोड़ की राशि की भिन्नता है (वर्ष 2017-18 ₹34.82 करोड़,वर्ष 2018-19 ₹8.82 करोड़,वर्ष 2019-20 ₹2.04 करोड़ वर्ष 2020-21 ₹2.88 करोड़)

1: वित्तीय स्थिति की विवरणी

(₹ करोड़ में)

दायित्व	संदर्भ (क्र.सं.)		31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
	लेखाओं पर टिप्पणी	विवरण		
उधार (लोक ऋण)				
(i) आन्तरिक ऋण		6,17	4,29,18.21	3,95,27.78
(ii) केन्द्रीय सरकार से ऋण और अग्रिम				
आयोजनेतर ऋण		6,17	2.38	2.75
राज्य की योजनागत स्कीमों के लिए ऋण		6,17	32,59.03	10,40.94
अन्य ऋण		6,17	0.13	0.13
आकस्मिकता निधि (कॉरप्स)		21	5.00	5.00
लोक लेखा पर दायित्व				
(i) लघु बचतें, भविष्य निधियां आदि		21	1,65,22.64	1,55,37.13
(ii) आरक्षित निधियां		21	27,17.19	27,22.31
(iii) जमा व अग्रिम		21	34,61.64	33,80.30
(iv) प्रेषण शेष		21	5,41.91	6,06.29
(v) उचन्त तथा विविध शेष *		21	(-)15,39.83	(-)13,30.44
व्यय से ऊपर प्राप्ति का समन्वयी आधिक्य *		12	…	...
जोड़			**6,78,88.30**	**6,14,92.19**

* पृष्ठ संख्या 2 (खण्ड-I), पर पाद टिप्पणी 3 देखे

2. प्राप्तियों तथा संवितरणों की विवरणी

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां			संवितरण		
	2020-2021	**2019-2020**		**2020-2021**	**2019-2020**
भाग-I समेकित निधि					
शाखा कः राजस्व					
राजस्व प्राप्तियां *(विवरणी संख्या 3 व 14 देखें।)*	**3,34,38.27***	**3,07,42.41**	**राजस्व संवितरण** *(विवरणी संख्या 4-क 4-ख व 15 देखें।)*	**3,35,34.93**	**3,07,30.43**
कर राजस्व (राज्य द्वारा) *(विवरणी संख्या 3 व 14 देखें।)*	**80,83.31**	**76,23.82**	**वेतन**[1] *(विवरणी संख्या 4-ख व परिशिष्ट -I देखें।)*	1,16,41.16	1,14,77.37
कर-भिन्न राजस्व *(विवरणी संख्या 3 व 14 देखें।)*	**21,88.46***	**25,01.51**	सहायता अनुदान[2] *(विवरणी संख्या 4-ख, 10 व परिशिष्ट -III देखें।)*	45,53.73	34,96.22
ब्याज प्राप्तिया *(विवरणी संख्या 3 व 14 देखें।)*	3,06.43	2,45.36	सहायता *(परिशिष्ट -II देखें।)*	12,40.63	10,67.78
अन्य *(विवरणी संख्या 3- देखें।)*	18,82.03	22,56.15	**सामान्य सेवाएं**	**1,13,59.82**	**1,02,86.67**
संघीय शुल्क/कर के अंश *(विवरणी संख्या 3 व 14 देखें।)*	**47,53.92**	**46,77.56**	पैंशन *(विवरणी संख्या 4-क 4-ख व 15 देखें।)*	60,88.39	54,89.75
			ब्याज अदायगियां और ऋण सेवायें *(विवरणी संख्या 4-क 4-ख व 15 देखें।)*	44,72.45	42,34.02
केन्द्र सरकार से अनुदान *(विवरणी संख्या 3 व 14 देखें।)*	**1,84,12.58**	**1,59,39.52**	'अन्य (*विवरणी संख्या 4-क देखें।*)	7,98.98	5,62.90
			सामाजिक सेवाएं	**34,15.00**	**31,59.90**
			आर्थिक सेवाएं	**13,15.22**	**12,32.22**
			स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं का क्षतिपूर्ति एवं समानुदेशन *(विवरणी संख्या 4-क व 15 देखें।)*	**9.37**	**10.27**
राजस्व घाटा	**96.66**	**...**	**राजस्व आधिक्य**	**...**	**11.98**
शाखा ख- पूंजीगत					
पूंजीगत प्राप्तियां *(विवरणी संख्या 3 व 14 देखें।)*	**2.88**	**2.04**	**पूंजीगत व्यय** *(विवरणी संख्या 4-क व 16 देखें।)*	**53,09.21**	**51,73.91**
			सामान्य सेवाएं *(विवरणी संख्या 4-क व 16 देखें।)*	1,69.54	2,03.75
			सामाजिक सेवाएं *(विवरणी संख्या 4-क व 16 देखें।)*	17,36.19	12,58.40
			आर्थिक सेवाएं *(विवरणी संख्या 4-क व 16 देखें।)*	34,03.48	37,11.76
ऋणों एवं अग्रिमों आदि की वसूली *(विवरणी संख्या 3,7 व 18 देखें।)*	**23.02**	**21.04**	**ऋणों और अग्रिमों के भुगतान** *(विवरणी संख्या 4-क व 18 देखें।)*	**3,20.12**	**4,58.21**
सामान्य सेवायें *(विवरणी संख्या 18 देखें।)*	...	...	सामान्य सेवायें *(विवरणी संख्या 4 व 18 देखें।)*	...	...
सामाजिक सेवाएं *(विवरणी संख्या 18 देखें।)*	0.22	0.37	सामाजिक सेवाएं *(विवरणी संख्या 4 व 18 देखें।)*	1.60	1.00
आर्थिक सेवाएं *(विवरणी संख्या 18 देखें।)*	16.48	13.21	आर्थिक सेवाएं *(विवरणी संख्या 4 व 18 देखें।)*	3,15.71	4,50.98
अन्य *(विवरणी संख्या18 देखें।)*	6.32	7.46	अन्य *(विवरणी संख्या 4-ड. व 18 देखें।)*	2.81	6.23

[1]सभी खण्डों के वेतन, सहायता एवं सहायता अनुदान के आंकडे. जोड. कर समेकित राशि दर्शाते है। इस विवरणी में खण्ड 'सामाजिक', सामान्य तथा आर्थिक सेवाओं में वेतन , सहायता एवं सहायता अनुदान (पाद टिप्पणी 2) राजस्व व्यय तथा वेतन पूंजीगत परिव्यय शामिल नहीं है किसी समय वेतन पूंजीगत परिव्यय में दर्शाए जाते है। आंकडे. केवल उद्धेश्य 'वेतन' के अन्तर्गत वर्गीकृत व्यय को दर्शाते है । (आर.ओ.पी. रहित)

[2] सांवधिक निगम, कम्पनियां, स्वायतः संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों को सरकार द्वारा सहायता अनुदान दिया जाता है जिसे उपरोक्त पंक्ति में दर्शाया गया है । यह अनुदान स्थानीय निकायों को दिए जाने वाले कर समानुदेशित निवल आय से भिन्न हैं जिसे अलग से स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समानुदेशन के अन्तर्गत दर्शाया जाता है।

* इनमें ₹2.98 करोड़ बुक समायोजन की राशि सम्मिलित है, पृष्ठ संख्या 65 (खण्डH) पर पाद टिप्पणी देखें।

2. प्राप्तियों तथा संवितरणों की विवरणी

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां			संवितरण		
	2020-2021	**2019-2020**		**2020-2021**	**2019-2020**
शाखा ख- पूंजीगत					
लोक ऋण प्राप्तियां *(विवरणी संख्या 3,6 व 17 देखें।)*	**1,67,49.21**	**1,08,47.39**	**लोक ऋण संवितरण** *(विवरणी संख्या 4-क 6 व 17 देखें।)*	**1,11,41.04**	**67,00.75**
आंतरिक ऋण (बाजार ऋण; एन एस एस एफ इत्यादि) *(विवरणी संख्या 3,6 व 17 देखें।)*	1,44,37.34	1,07,76.91	**आंतरिक ऋण [&] (बाजार ऋण, एन एस एस एफ इत्यादि)** *(विवरणी संख्या 4-क 6 व 17 देखें।)*	1,10,46.90	66,12.32
केन्द्र सरकार से ऋण *(विवरणी संख्या 3,6 व 17 देखें।)*	23,11.87	70.48	**केन्द्र सरकार से ऋण** *(विवरणी संख्या 4-क 6व 17 देखें।)*	94.14	88.43
अन्तर्राज्यीय समाधान (निवल)	**...**	**...**	**अन्तर्राज्यीय समाधान (निवल)**	**...**	**...**
जोड़ समेकित निधि प्राप्तियां *(विवरणी संख्या 3 देखें।)*	**5,02,13.38 ***	**4,16,12.88**	**जोड़ समेकित निधि संवितरण** *(विवरणी संख्या 4 देखें।)*	**5,03,05.30**	**4,30,63.30**
समेकित निधि में घाटा	**91.92**	**14,50.42**	**समेकित निधि में आधिक्य**	**...**	**...**
भाग-II आकस्मिकता निधि					
आकस्मिकता निधि	...	...	**आकस्मिकता निधि**	...	...
भाग-III लोक लेखा					
लघु बचतें *(विवरणी संख्या 21 देखें।)*	**36,65.79**	**38,34.47**	**लघु बचतें** *(विवरणी संख्या 21 देखें।)*	**26,80.28**	**26,46.87**
आरक्षित ऋण परिशोध कोष *(विवरणी संख्या 21 देखें।)*	**5,64.40**	**24,04.71**	**आरक्षित ऋण परिशोध कोष** *(विवरणी संख्या 21 देखें।)*	**5,69.51**	**...**
जमा (विवरणी संख्या 21 देखें।)	**35,55.45**	**40,15.45**	**जमा (विवरणी संख्या 21 देखें।)**	**34,74.10**	**38,41.76**
अग्रिम *(विवरणी संख्या 21 देखें।)*	**...**	**44.74**	**अग्रिम** *(विवरणी संख्या 21 देखें।)*	**...**	**44.72**
उचन्त तथा विविध *(विवरणी संख्या 21 देखें।)*	**2,99,74.42**	**3,74,81.51**	**उचन्त तथा विविध[3]** *(विवरणी संख्या 21 देखें।)*	**3,08,97.84**	**3,97,66.41**
प्रेषण *(विवरणी संख्या 21 देखें।)*	**67,74.69**	**77,35.47**	**प्रेषण** *(विवरणी संख्या 21 देखें।)*	**68,39.07**	**76,38.67**
जोड़ प्राप्तियां लोक लेखा *(विवरणी संख्या 21 देखें।)*	**4,45,34.75**	**5,55,16.35**	**जोड़ संवितरण लोक लेखा** *(विवरणी संख्या 21 देखें।)*	**4,44,60.80**	**5,39,38.43**
लोक लेखा में घाटा	**...**	**...**	**लोक लेखा में आधिक्य**	**73.95**	**15,77.92**
आदि रोकड़ शेष	**77.93**	**(-)49.58**	**अन्त रोकड़ शेष**	**59.96**	**77.93**
रोकड़ शेष में वृद्धि	**...**	**1,27.51**	**रोकड़ शेष में कमी**	**17.97**	**...**

[3]अन्य लेखे जैसे कि नगद शेष लेखा (मुख्य शीर्ष 8673) इत्यादी उचन्त तथा विविध में सम्मिलित है। इन अन्य लेखे की वजह से आंकड़े अत्यधिक प्रतीत हो सकते है। कृपया विवरण विवरणी संख्या 21 में देखें।

* विवरण के लिए * पाद टिप्पणी पृष्ठ संख्या 4(खण्ड-I) पर देखें।

[&]इनमें केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधि का ₹5,69.10 करोड़ शामिल है । (पृष्ठ संख्या 21 (खण्ड-I) और पृष्ठ संख्या 165 (खण्ड-II))

विवरणी संख्या 2 का अनुबंध

रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों के निवेश

		1 अप्रैल 2020 को	31 मार्च 2021 को	
		1	2	
			(₹ करोड़ में)	
(क)	**सामान्य रोकड़ शेष-**			
(1)	कोषागारों में रोकड़	…	…	
(2)	पारगमन में प्रेषण-स्थानीय	…	…	
(3)	रिजर्व बैंक के पास जमा राशियां *	77.93	59.96	(क)
	जोड़	**77.93**	**59.96**	
(4)	'नगद शेष निवेश लेखा'' में रखे गए निवेश-	9,82.06	16,96.09	
	जोड़ (क)	**10,59.99**	**17,56.05**	
(ख)	**अन्य रोकड शेष और निवेश-**			
(1)	विभागीय अधिकारियों अर्थात लोक निर्माण कार्यों इत्यादि के पास रोकड़	0.16	0.16	
(2)	विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम	0.03	0.03	
	जोड़(ख)	**0.19**	**0.19**	
	जोड़ (क) और (ख)	**10,60.18**	**17,56.24**	

*शीर्ष 'रिजर्व बैंक के पास जमा राशि' के अधीन जो शेष पड़ा है वह 10 अप्रैल 2021 तक भारतीय रिजर्व बैंक को संज्ञापित वित्तीय वर्ष 2020-21 के लेने देन से सम्बद्ध अंतर सरकारी मौद्रिक समाधानों को लिए जाने के पश्चात आया है ।

(क) लेखे में दर्शाए ₹59.96 करोड़ (नामे) तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित आंकड़ों ₹61.46 करोड़ (जमा) में ₹1.50 करोड़ (जमा) का अन्तर था । 01 अप्रैल 2021 से 30 जुन 2021 की अवधि के दौरान किये गये मिलान के उपरान्त यह ₹10.92 करोड (नामे) के समाधान के परिणमस्वरूप 30 जून 2021 को ₹10.42 करोड (जमा) का अदयतन अंतर हुआ ।

विवरणी संख्या 2 का अनुबंध

रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों के निवेश

व्याख्यात्मक टिप्पणी

(क) नगदी तथा नगदी तुल्यमानः- नगदी तथा नगदी तुल्यमानों के अन्तर्गत कोषागारों में पड़ी नगदी तथा भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य बैंकों के पास पड़ी जमा राशि तथा पारगमन प्रेषण, जैसा कि नीचे उल्लेखित है, समाहित होते हैं। शीर्ष 'रिजर्व बैंक के पास पड़ी जमा राशि' उपरोक्त में पड़ा शेष वर्ष की समाप्ति पर समेंकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के संयुक्त शेषों को इंगित करता है। समग्र नगदी स्थिती का पता लगाने के लिए कोषागारों, विभागों के रोकड़ शेषों/आरक्षित निधियों आदि में से किए गए निवेशों को 'भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा राशि' के शेष में जोड़ा गया हैं।

(ख) दैनिक नगदी शेषः- भारतीय रिजर्व बैंक के साथ किए गए एक अनुबन्ध के अधीन राज्य सरकार को बैंक के पास ₹0.55 करोड़ का न्यूनतम रोकड़ शेष रखना पड़ता है। यदि किसी दिन भी यह शेष अनुबंधित न्यूनतम शेष से कम हो जाए तो इस कमी को साधारण तथा विशेष आहरण सुविधा/ओवरड्राफ्ट लेकर पूरा किया जाता है।

अर्थोपाय अग्रिमों/ओवरड्राफ्ट प्रदान किए जाने के उद्देश्य के लिए दैनिक नगदी शेष* निकाले जाने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक उस दिवस हेतु रिपोर्ट किए गए लेन-देनों सहित (भारतीय रिजर्व बैंक पटलों, एजैंसी बैंकों द्वारा सूचित अर्न्तसरकारी लेनदेनों तथा कोष लेनदेनों पर) 14-दिवसीय खजाना बिलों की अतिधारिता का मूल्यांकन करता है। इस प्रकार निकाले गए नगदी शेष में 14-दिवसीय खजाना बिलों, यदि कोई हो, की पूर्णता राशि जमा की जाती है तथा न्यूनतम नगदी शेष रखने के पश्चात अधिक राशि यदि कोई हो, का खजाना बिलों में पुनर्निवेश किया जाता है। यदि निकाला गया शुद्ध नगदी शेष, न्यूनतम नगदी शेष या क्रेडिट शेष से कम आता है तथा यदि उस दिवस को कोई भी 14-दिवसीय खजाना बिलों की पूर्णता नहीं हो रही है तो भारतीय रिजर्व बैंक खजाना बिल को 14 दिनों की अवधि की पुनः छुट देता है ताकि कमी पूरी हो सके । यदि उस दिन 14 दिवसीय खजाना बिलों की कोई अतिधारिता नहीं है तो राज्य सरकार अर्थोपाय अग्रिमों/विशेष आहरण सुविधा/ओवरड्राफ्ट के लिए आवेदन करती है।

(ग) अर्थोपाय अग्रिमः- राज्य सरकार को दिए जाने वाले साधारण अर्थोपाय अग्रिमों की सीमा 01 अप्रैल 2020 से 16 अप्रैल 2020 तक ₹7,15.00 करोड़ व 17 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक ₹8,80.00 करोड़ थी सरकारी प्रतिभूतियों की प्रज्ञाप्ति के अधीन विशेष आहरण सुविधा को प्रदान किए जाने की सहमति बैंक द्वारा भी दी गई है। बैंक द्वारा समय-समय पर विशेष आहरण सुविधा में संशोधन किया जाता है ।

* उपरोक्त रोकड. शेष (भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा) वर्ष के 31 मार्च 2021 का, परन्तु (10 अप्रैल 2021) को निकाला गया, अन्त नगदी शेष है तथा साधारणतः 31 मार्च 2021 का दैनिक शेष नहीं है।

विवरणी संख्या 2 का अनुबंध

रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों के निवेश

व्याख्यात्मक टिप्पणी

वर्ष 2020-21 के दौरान रिजर्व बैंक के पास सरकार ने जो न्यूनतम नगद शेष रखा था, उसका वर्णन इस प्रकार है:-

(i)	कोई भी अग्रिम लिए बिना जितने दिनों के लिए न्यूनतम शेष रखा गया था	302
(ii)	साधारण अर्थोपाय अग्रिम लेकर जितने दिनों के लिए न्यूनतम शेष रखा गया	50
(iii)	विशेष आहरण सुविधा लेकर जितने दिनों के लिए न्यूनतम शेष बरकरार रखा गया	1
(iv)	उपरोक्त अग्रिमों को लिए जाने के उपरान्त भी, लेकिन कोई ओवरड्राफ्ट लिए बिना, जितने दिनों न्यूनतम शेष में कमी रही	...
(v)	जितने दिनों ओवरड्राफ्ट लिया गया	12

रोकड़ शेष की कमी को पूर्ण करने के लिए वर्ष 2020-21 के दौरान 14 दिन के खजाना बिलों को 94 अवसरों पर ₹ 2,67,27.80 करोड़ का निवेश किया गया तथा वर्ष के दौरान 141 अवसरों पर ₹ 2,68,07.1 करोड़ रिडिस्काऊंट किया और 91 दिन के खजाना बिलो को 2 अवसर पर ₹30,76.08 करोड़ का निवेश किया गया तथा वर्ष 2020-21 के दौरान 1 अवसर पर ₹22,82.74 करोड़ रिडिस्काऊंट किये।

रोकड़ शेष निवेश लेखे में रखे गए निवेशों का विश्लेषण निम्नवत् है:-

	1 अप्रैल 2020को आदि शेष	वर्ष 2020-21 के दौरान खरीद	वर्ष 2020-21के दौरान बिक्री	31मार्च 2021 को अतंशेष	वर्ष 2020-21 के दौरान ब्याज वसूली
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
					(₹ करोड़ में)
भारत सरकार के खजाना बिल	9,82.06	2,98,03.89	2,90,89.86	16,96.09	31.88
जोड़	**9,82.06**	**2,98,03.89**	**2,90,89.86**	**16,96.09**	**31.88**

3. प्राप्तियों की विवरणी (समेकित निधि)

I - कर व कर-भिन्न राजस्व

(₹ करोड़ में)

	विवरण	वास्तविक	
		2020-21	**2019-20**
क	**कर राजस्व**		
क 1	**अपना कर राजस्व**	**80,83.31**	**76,23.82**
	राज्य माल एवं सेवा कर (एस जी एस टी)	34,66.58	35,50.34
	बिक्री कर (बिक्री तथा व्यापार आदि पर कर)	16,30.11	11,69.53
	राज्य आबकारी	15,99.74	16,60.02
	अन्य	6,62.82	4,10.01
	वाहनों पर कर	3,80.20	4,65.52
	स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क	2,53.36	2,59.58
	माल एवं यात्री कर	83.55	1,04.03
	भू-राजस्व	6.95	4.79
क 2	**कर निवल आगमों का अंश**	**47,53.92**	**46,77.56**
	निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर	14,64.84	12,49.68
	निगम कर	14,29.44	15,94.86
	केन्द्रीय माल एंव सेवा कर (सी जी एस टी)	14,19.55	13,27.34
	सीमा शुल्क	2,57.07	2,96.49
	संघीय उत्पाद शुल्क	1,60.44	2,06.16
	सेवा कर	19.39	…
	पदार्थों और सेवाओ पर अन्य कर तथा शुल्क	3.19	2.96
	सम्पति कर	…	0.07
	जोड़- क कर राजस्व	**1,28,37.23**	**1,23,01.38**
ख	**कर-भिन्न राजस्व**		
	विद्युत	7,49.12	10,21.68
	ब्याज प्राप्तियां	3,06.43	2,45.36
	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	2,52.16	2,46.30
	लाभांश एवं लाभ	2,45.43	2,48.44
	शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	1,96.08	2,38.59
	जल आपूर्ति और स्वच्छता	66.93	67.07
	पुलिस	59.78	55.28
	लोक निर्माण कार्य	58.28	53.51
	वानिकी एवं वन्य प्राणी	49.56	83.61
	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	37.05	49.65
	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	20.41	3.52
	पैंशन और अन्य सेवा निवृति लाभो से सम्बन्धित अंशदान और वसूलिय	14.04	12.02
	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	13.21	24.79
	सड़कें एवं पुल	12.89	12.44
	फसल कृषि-कर्म	11.92	8.48
	विविध सामान्य सेवाएं	11.41*	5.17
	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	11.15	38.79
	सहकारिता	9.51	6.84
	लेखन सामग्री और मुद्रण	8.27	12.04
	श्रम और रोजगार	8.20	7.80
	उद्योग	8.15	7.30
	पर्यटन	6.46	5.89
	शहरी विकास	5.95	6.62

* पृष्ठ संख्या 64 (खण्ड-II) में पाद टिप्पणी देखे।

3. प्राप्तियों की विवरणी (समेकित निधि)

I - कर व कर-भिन्न राजस्व

(₹ करोड़ में)

	विवरण	वास्तविक	
		2020-21	**2019-20**
ख	**कर-भिन्न राजस्व**		
	लोक सेवा आयोग	5.86	8.65
	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	5.65	13.36
	आवास	3.91	3.55
	मत्स्य पालन	3.16	3.16
	लघु सिंचाई	1.17	0.84
	ग्रामीण और लघु उद्योग	1.30	1.89
	सूचना और प्रचार	1.12	2.41
	पशुपालन	0.99	0.98
	अन्य कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम	0.77	0.63
	खाद्य, भण्डारण एवं भाण्डागार	0.71	0.03
	अन्य विशिष्ट क्षेत्र कार्यक्रम	0.41	0.11
	सड़क परिवहन	0.24	0.64
	जेल	0.24	0.23
	मध्यम सिंचाई	0.23	0.15
	सिविल पूर्ति	0.20	2.08
	अन्य सामाजिक सेवाएं	0.07	0.02
	मुख्य सिंचाई	0.01	1.36
	आपूर्ति और निपटान	0.01	0.03
	पौधारोपण	0.01	0.01
	परिवार कल्याण	0.01	(-)0.02
	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	…	0.21
	जोड़ -ख कर-भिन्न राजस्व	**21,88.46 ***	**25,01.51**

* पृष्ठ संख्या 4* (खण्ड-I) में पाद टिप्पणी देखे।

3. प्राप्तियों की विवरणी (समेकित निधि)

II -भारत सरकार से सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

	विवरण	वास्तविक	
		2020-21	**2019-20**
ग	**सहायता अनुदान एवं अशंदान**		
	केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान		
ग-6	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें	**42,21.29** *	**49,15.06**
ग-7	वित्त आयोग अनुदान	**1,24,24.10**	**86,17.82**
ग-8	राज्य/विधायिका वाले केन्द्र शासित प्रदेश को अनुदान /अन्य अन्तरण	**17,67.19**	**24,06.64**
	जोड़ -ग सहायता अनुदान एवं अंशदान	**1,84,12.58**	**1,59,39.52**
	जोड़ राजस्व प्राप्तियां (क+ख+ग)	**3,34,38.27** **	**3,07,42.41**

* इनमें ₹5,56.17करोड़ वर्ष 2020-21 में बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना की राशि सम्मिलित है। पृष्ठ संख्या 73 (खण्ड-II) में पाद टिप्पणी देखे।

** पृष्ठ संख्या 4* (खण्ड-I) में पाद टिप्पणी देखे।

3. प्राप्तियों की विवरणी (समेकित निधि)

III -पूंजीगत, लोक ऋण व अन्य प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

	विवरण		वास्तविक	
			2020-21	**2019-20**
घ	**पूंजीगत प्राप्तियां**			
	विनिवेश प्राप्तियाँ		…	…
	अन्य		2.88	2.04
	जोड़ घ पूंजीगत प्राप्तियां		**2.88**	**2.04**
ड.	**लोक ऋण प्राप्तियां**			
	आन्तरिक ऋण		**1,44,37.34**	**1,07,76.91**
		बाजार ऋण	60,00.00	65,80.00
		भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम[1]	77,44.48	34,43.68
		बांड	…	...
		वित्तीय संस्थानों से ऋण	6,92.86	7,53.23
		राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	…	...
		अन्य ऋण	…	...
	केन्द्रीय सरकार से ऋण और अग्रिम		**23,11.87**	**70.48**
		आयोजनेतर ऋण	0.07	…
		राज्य की योजनागत स्कीमों के लिए ऋण	23,11.80	70.48
		केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिए ऋण	…	...
		केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिए ऋण	…	...
		अन्य ऋण	…	...
	जोड़ ड.-लोक ऋण		**1,67,49.21**	**1,08,47.39**
च	**राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण (वसूलियां)।**		23.02	21.04
छ	**अन्तर्राज्यीय समाधान**		…	…
समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (क+ख+ग+घ+ड.+च+छ)			**5,02,13.38 ****	**4,16,12.88**

*विस्तृत विवरण के लिए विवरण संख्या 18 खण्ड- II देखें ।

** विवरण के लिए * पाद टिप्पणी पृष्ठ संख्या-5 (खण्ड- I) देंखें ।

1 डब्ल्यू.एम.एः अर्थोपाय अग्रीम

4 व्यय की विवरणी (समेकित निधि)

क. व्यय कार्यानुसार

(₹ करोड़ में)

	विवरण	राजस्व	पूंजीगत	ऋण तथा अग्रिम	जोड़
क	**सामान्य सेवाएं**				
क.1	**राज्य के अंग**	**3,02.50**	**...**	**...**	**3,02.50**
	संसद/राज्य/संघ शासित क्षेत्र विधान मण्डल	37.28	...	...	37.28
	राष्ट्रपति,उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल/संघशासित क्षेत्रों के प्रशासक	7.75	...	...	7.75
	मन्त्री परिषद	12.38	...	...	12.38
	न्याय प्रशासन	2,05.49	...	...	2,05.49
	निर्वाचन	39.60	...	...	39.60
क.2	**राजकोषीय सेवाएं**	**2,63.45**	**...**	**...**	**2,63.45**
	भू-राजस्व	1,66.68	...	...	1,66.68
	स्टाम्प और पंजीकरण	14.04	...	...	14.04
	राज्य उत्पाद शुल्क	8.39	...	...	8.39
	वस्तुओं और सेवाओं पर करों का संग्रहण	19.74	...	...	19.74
	वाहनों पर कर	4.33	...	...	4.33
	राज्यों के माल और सेवा कर के तहत संग्रह शुल्क	...	...	...	...
	पदार्थो और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	49.29	...	...	49.29
	अन्य राजकोषीय सेवाएं	0.98	...	...	0.98
क.3	**ब्याज भुगतान**	**44,72.45**	**...**	**...**	**44,72.45**
	ब्याज अदायगियां	44,72.45	...	...	44,72.45
क.4	**प्रशासनिक सेवाऐं**	**22,93.79**	**1,69.54**	**...**	**24,63.33**
	लोक सेवा आयोग	21.70	...	...	21.70
	सचिवालय-सामान्य सेवाएं	78.49	...	...	78.49
	जिला प्रशासन	1,79.76	...	...	1,79.76
	कोषागार और लेखा प्रशासन	74.85	...	...	74.85
	पुलिस	11,68.40	45.28	...	12,13.68
	जेल	36.04	...	...	36.04
	आपूर्ति और निपटान	1.39	...	...	1.39
	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	26.77	0.42	...	27.19
	लोक निर्माण कार्य	5,80.59	1,15.70	...	6,96.29
	सतर्कता	29.69	...	...	29.69
	अन्य प्रशासनिक सेवाऐं	96.11	8.14	...	1,04.25
क. 5	**पैंशन एवं विविध सामान्य सेवाएं**	**61,22.07**	**...**	**...**	**61,22.07**
	पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	60,88.39	...	...	60,88.39
	विविध सामान्य सेवाएं	33.68	...	...	33.68
	जोड़-सामान्य सेवाएं	**1,34,54.26**	**1,69.54**	**...**	**1,36,23.80**
ख	**सामाजिक सेवाएं-**				
ख.1	**शिक्षा, क्रीड़ा, कला और संस्कृति**	**63,44.45**	**3,55.54**	**1.60**	**67,01.59**
	सामान्य शिक्षा	62,28.97	3,55.54	1.60	65,86.11
	तकनीकी शिक्षा	75.04	...	...	75.04
	क्रीड़ा और युवा सेवाएं	18.84	...	...	18.84
	कला और संस्कृति	21.60	...	...	21.60
ख.2	**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण**	**21,95.02**	**3,02.05**	**...**	**24,97.07**
	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	17,37.23	3,02.05	...	20,39.28
	परिवार कल्याण	4,57.79	...	...	4,57.79

4 व्यय की विवरणी (समेकित निधि)

क. व्यय कार्यानुसार

(₹ करोड़ में)

	विवरण	राजस्व	पूंजीगत	ऋण तथा अग्रिम	जोड़
ख	**सामाजिक सेवाएं- समाप्त**				
ख.3	**जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास**	**19,61.25**	**10,66.40**	**...**	**30,27.66**
	जलापूर्ति, स्वच्छता	10,95.94	10,01.51	...	20,97.46
	आवास	65.20	35.83	...	1,01.03
	शहरी विकास	8,00.11	29.06	...	8,29.17
ख.4	**सूचना तथा प्रसारण**	**55.75**	**0.77**	**...**	**56.52**
	सूचना तथा प्रचार	55.75	0.77	...	56.52
ख.5	**अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसख्यकों का कल्याण**	**1,21.16**	**6.04**	**...**	**1,27.20**
	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसख्यकों का कल्याण	1,21.16	6.04	...	1,27.20
ख.6	**श्रम और श्रम कल्याण**	**1,93.58**	**...**	**...**	**1,93.58**
	श्रम और रोजगार	1,93.58	...	...	1,93.58
ख.7	**सामाजिक कल्याण और पोषण**	**19,55.85**	**3.25**	**...**	**19,59.11**
	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	14,21.14	3.25	...	14,24.39
	पोषण	77.54	...	...	77.54
	प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	4,57.17	...	...	4,57.17
ख.8	**अन्य**	**16.75**	**2.14**	**...**	**18.89**
	अन्य सामाजिक सेवाएं	0.49	2.14	...	2.63
	सचिवालय सामाजिक सेवाएं	16.26	...	...	16.26
	जोड़-सामाजिक सेवाएं	**1,28,43.81**	**17,36.19**	**1.60**	**1,45,81.60**
ग.	**आर्थिक सेवाएं**				
ग.1	**कृषि और सम्बद्ध क्रिया-कलाप**	**23,87.97**	**93.09**	**58.56**	**25,39.62**
	फसल कृषि-कर्म	7,86.04	15.53	...	8,01.57
	मृदा तथा जल संरक्षण	64.98	32.55	...	97.53
	पशुपालन	3,54.33	20.72	...	3,75.05
	डेयरी विकास	24.31	...	...	24.31
	मत्स्य पालन	32.25	5.62	...	37.87
	वानिकी और वन्य प्राणी	5,77.59	18.39	...	5,95.98
	पौधारोपण	1.21	...	...	1.21
	खाद्य भण्डारण और भाण्डागार	2,67.28	0.15	...	2,67.43
	कृषि अनुसंधान और शिक्षा	2,31.68	...	...	2,31.68
	सहकारिता	38.30	0.13	58.56	96.99
	अन्य कृषि कार्यक्रम	10.00	...	...	10.00
ग.2	**ग्रामीण विकास**	**13,98.04**	**10.36**	**...**	**14,08.40**
	ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम	1,38.87	...	...	1,38.87
	ग्रामीण रोजगार	3,39.24	...	...	3,39.24
	भूमि सुधार	2.78	...	...	2.78
	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	9,17.15	10.36	...	9,27.51
ग.3	**सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण**	**3,96.45**	**3,86.65**	**...**	**7,83.10**
	मुख्य सिंचाई	10.01	...	...	10.01
	मध्यम सिंचाई	12.91	70.01	...	82.92
	लघु सिंचाई	3,67.48	2,26.53	...	5,94.01
	कमाण्ड क्षेत्र विकास	...	33.19	...	33.19
	बाढ़ नियन्त्रण और जल निकास	6.05	56.92	...	62.17

4 व्यय की विवरणी (समेकित निधि)

क. व्यय कार्यानुसार

(₹ करोड़ में)

	विवरण	राजस्व	पूंजीगत	ऋण तथा अग्रिम	जोड़
ग.	**आर्थिक सेवाएं समाप्त**				
ग.4	**ऊर्जा**	**5,30.25**	**1,96.98**	**2,54.32**	**9,81.55**
	बिजली	5,30.25	1,96.98	2,54.32	9,76.90
	नई तथा नवीनीकरण ऊर्जा	4.65	…	…	4.65
ग.5	**उद्योग और खनिज**	**2,07.82**	**17.27**	**2.83**	**2,27.92**
	ग्रामीण तथा लघु उद्योग	1,90.26	17.27	…	2,07.53
	उद्योग	7.02	…	…	7.02
	अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	10.54	…	…	10.54
	उद्योग और खनिज पर अन्य परिव्यय	…	…	2.83	2.83
ग.6	**परिवहन**	**21,02.16**	**25,21.96**	**…**	**46,24.12**
	भारतीय रेल-वाणिज्यिक लाइन	…	1,00.00	…	1,00.00
	नागरिक विमानन	7.37	7.66	…	15.03
	सड़कें और पुल	15,36.30	23,15.55	…	38,51.85
	सड़क परिवहन	5,50.95	85.99	…	6,36.94
	अन्तर्देशीय जल परिवहन	0.04	2.01	…	2.05
	अन्य परिवहन सेवाएं	7.50	10.75	…	15.25
ग.7	**विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण**	**9.72**	**…**	**…**	**9.72**
	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	7.84	…	…	7.84
	परिस्थिति विज्ञान और पर्यावरण	1.88	…	…	1.88
ग.8	**सामान्य आर्थिक सेवाएं**	**1,95.08**	**1,77.17**	**…**	**3,72.25**
	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	28.46	…	…	28.46
	पर्यटन	1,34.52	30.00	…	1,64.52
	जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी	17.09	…	…	17.09
	नागरिक आपूर्ति	12.44	…	…	12.44
	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	2.57	1,47.17	…	1,49.74
	जोड़-ग आर्थिक सेवाएं	**72,27.49**	**34,03.48**	**3,15.71**	**1,09,46.68**
घ.	**ऋण, सहायता अनुदान और अंशदान**				
	स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन	9.37	…	…	9.37
	जोड़-ऋण, सहायता अनुदान और अंशदान	**9.37**	**…**	**…**	**9.37**
ड.	**सरकारी कर्मचारियों को ऋण**				
	सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण	…	…	2.81	2.81
	जोड़-सरकारी कर्मचारियों को ऋण	**…**	**…**	**2.81**	**2.81**
च.	**लोक ऋण**				
	राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण	…	…	1,10,46.90	1,10,46.90
	केन्द्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम	…	…	94.14	94.14
	जोड़-लोक ऋण	**…**	**…**	**1,11,41.04**	**1,11,41.04**
	जोड़-समेकित निधि व्यय	**3,35,34.93**	**53,09.21**	**1,14,61.16**	**5,03,05.30**

4 व्यय की विवरणी (समेकित निधि)

ख. व्यय की प्रकृति

(₹ करोड़ में)

व्यय का विवरण	2020-21			2019-20			2018-19		
	राजस्व	पूंजीगत	जोड़	राजस्व	पूंजीगत	जोड़	राजस्व	पूंजीगत	जोड़
वेतन	1,16,41.16	...	1,16,41.16	1,14,77.37	...	1,14,77.37	1,09,55.94	...	1,09,55.94
पैन्शन	60,88.39	...	60,88.39	54,89.75	...	54,89.75	49,74.77	...	49,74.77
ब्याज	44,72.45	...	44,72.45	42,34.02	...	42,34.02	40,21.52	...	40,21.52
मुरम्मत	21,28.75	...	21,28.75	21,96.31	...	21,96.31	21,24.12	...	21,24.12
सहायता अनुदान (गैर वेतन)	20,15.70*	...	20,15.70	13,37.25	...	13,37.25	15,95.55	0.49	15,96.04
सहायता अनुदान	15,07.74	...	15,07.74	13,24.53	...	13,24.53	12,03.69	...	12,03.69
अन्य प्रभार	17.83.39	...	17.83.39	15,11.67	...	15,11.67	16,34.92	...	16,34.92
उचन्त	12,66.77	...	12,66.77	8,87.90	...	8,87.90	13,83.35	...	13,83.35
उपदान	12,40.63	...	12,40.63	10,67.78	...	10,67.78	12,82.60	...	12,82.60
पूंजीगत सम्पति निर्माण के लिए अनुदान	10,39.67	...	10,39.67	8,44.71	...	8,44.71	8,34.23	...	8,34.23
सामाजिक सुरक्षा पैंशन	8,62.06	...	8,62.06	7,25.16	...	7,25.16	5,92.51	...	5,92.51
सामग्री एवं आपूर्ति	4,53.18	49.81	5,02.99	3,23.17	51.82	3,74.99	3,56.34	51.97	4,08.31
उर्जा प्रभार	4,02.93	...	4,02.93	3,79.72	...	3,79.72	4,48.34	...	4,48.34
मानदेय	3,18.58	...	3,18.58	2,96.44	...	2,96.44	2,13.29	...	2,13.29
मजदूरी	2,62.51	...	2,62.51	2,64.86	...	2,64.86	2,54.48	...	2,54.48
कार्यालय व्यय	1,91.68	...	1,91.68	1,56.32	...	1,56.32	1,58.39	...	1,58.39
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	1,56.56	...	1,56.56	1,64.18	...	1,64.18	1,48.82	...	1,48.82
आउट सोर्स कर्मचारियों के लिए पारिश्रमिक	96.62	...	96.62	74.92	...	74.92	46.12	...	46.12
लघु कार्य	89.42	...	89.42	70.33	...	70.33	72.62	...	72.62
मोटर वाहन	44.64	...	44.64	63.59	...	63.59	46.90	...	46.90
विज्ञापन एवं प्रचार	44.07	...	44.07	35.85	...	35.85	40.45	...	40.45
छात्रवृति, वजीफा एवं रियायत	59.01	...	59.01	29.57	...	29.57	1,27.58	...	1,27.58
व्यवसायिक तथा विशेष सेवाऐं	38.14	...	38.14	26.31	...	26.31	21.05	...	21.05
यात्रा व्यय	31.88	...	31.88	48.49	...	48.49	40.96	...	40.96
किराया,कर एवं उपकर	28.25	...	28.25	25.99	...	25.99	28.18	…	28.18
अन्य	27.37	...	27.37	22.95	...	22.95	28.75	1.15	30.82
मशीनरी व उपस्कर	19.68	64.58	84.26	34.14	60.54	94.68	32.77	1,81.05	2,13.82
निवेश	...	3,02.80	3,02.80	...	4,13.76	4,13.76	...	3,17.87	3,17.87
मुख्य कार्य	...	48,34.44	48,34.44	...	45,10.87	45,10.87	...	39,87.95	39,87.95
मुआवजा	...	1,14.51	1,14.51	6.23	1,98.13	2,04.36	...	1,00.14	1,00.14
भूमि	...	...	...	14.65	...	14.65	18.90	...	18.90
सकल राशि	3,63,11.23	53,66.14	4,16,77.37	3,31,34.16	52,35.12	3,83,69.28	3,26,87.14	46,40.62	3,73,27.76
घटाऐं-वसूली	27,76.30	56.93	28,33.23	24,03.73	61.21	24,64.94	32,45.03	57.21	33,02.24
जोड़	**3,35,34.93**	**53,09.21**	**3,88,44.14**	**3,07,30.43**	**51,73.91**	**3,59,04.34**	**2,94,42.11**	**45,83.41**	**3,40,25.52**

*इनमें ₹9.37 करोड़ स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं (मुख्य शीर्ष-3604) को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन सम्मिलित है ।

टिप्पणीः- कुल सहायता अनुदान ₹45,63.11 करोड़,{(सहायता अनुदान ₹15,07.74 करोड़ + सहायता अनुदान ₹20,15.70 करोड़ (गैर वेतन) + पूंजीगत सम्पत्ति निर्माण के लिए अनुदान ₹10,39.67 करोड़ राजस्व संवितरण)}

5. प्रगामी पूंजीगत व्यय की विवरणी

मुख्य शीर्ष	विवरण	2019-20 के दौरान व्यय	2019-20 तक प्रगामी व्यय	2020-21 के दौरान व्यय	2020-21 तक प्रगामी व्यय	वर्ष 2020-21 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) प्रतिशत में
	1	2	3	4	5	6
क.	**सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा-**				(₹ करोड़ में)	
4047	अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.08	0.08	...	0.08	…
4055	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	62.40	4,51.69	45.28	4,96.97	(-)27.44
4058	लेखन सामग्री और मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय	0.42	4.53	0.42	4.95	…
4059	लोक निर्माण कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय	1,24.93	13,45.06	1,15.70	14,60.76	(-)7.39
4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	15.91	83.30	8.14	91.44	(-)48.84
	जोड़-क.सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा	**2,03.74**	**18,84.66**	**1,69.54**	**20,54.20**	**(-)16.79**
ख.	**सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क, ख, ग, घ, ड़, छ, ज)**					
(क)	***शिक्षा, क्रीड़ा, कला और संस्कृति का पूंजीगत लेखा***					
4202	शिक्षा, क्रीड़ा, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	2,85.69	34,30.40	3,55.54	37,85.94	(+)24.45
	जोड़- ख (क) शिक्षा, क्रीड़ा, कला और संस्कृति का पूंजीगत लेखा	**2,85.69**	**34,30.40**	**3,55.54**	**37,85.94**	**(+)24.45**
(ख)	***स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा-***					
4210	चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	2,31.78	21,19.87	3,02.05	24,21.92	(+)30.32
4211	परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	...	33.22	...	33.22	...
	जोड़-ख(ख)स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा-	**2,31.78**	**21,53.09**	**3,02.05**	**24,55.14**	**(+)30.32**
(ग)	***जल आपूर्ति एवं स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा-***					
4215	जल आपूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय	5,98.92	64,87.04	10,01.51	74,88.55	(+)67.22
4216	आवास पर पूंजीगत परिव्यय	51.32	10,05.34	35.83	10,41.17	(-)30.18
4217	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	76.53	1,75.65	29.06	2,04.71	(-)62.03
	जोड़- ख (ग) जल आपूर्ति एवं स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा-	**7,26.77**	**76,68.03**	**10,66.40**	**87,34.43**	**(+)46.73**
(घ)	***सूचना एवं प्रसारण का पूंजीगत लेखा-***					
4220	सूचना एवं प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय	0.39	9.64	0.77	10.41	(+)97.44
	जोड़- ख (घ) सूचना एवं प्रसारण का पूंजीगत लेखा-	**0.39**	**9.64**	**0.77**	**10.41**	**(+)97.44**

5. प्रगामी पूंजीगत व्यय की विवरणी

मुख्य शीर्ष	विवरण	2019-20 के दौरान व्यय	2019-20 तक प्रगामी व्यय	2020-21 के दौरान व्यय	2020-21 तक प्रगामी व्यय	वर्ष 2020-21 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) प्रतिशत में
	1	2	3	4	5	6
					(₹ करोड़ में)	
ख.	**सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क, ख, ग, घ, ड़, छ, ज)समाप्त**					
(ड़)	***अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसख्यकों के कल्याण का पूंजीगत लेखा-***					
4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	6.16	2,06.15	6.03	2,12.18	(-)1.95
	जोड़- ख (ड़.) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसख्यकों के कल्याण का पूंजीगत लेखा-	**6.16**	**2,06.15**	**6.03**	**2,12.18**	**(-)1.95**
(छ)	***सामाजिक कल्याण तथा पोषाहार का पूंजीगत लेखा-***					
4235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	6.64	1,23.37	3.26	1,26.63	(-)51.05
	जोड़- ख (छ) सामाजिक कल्याण तथा पोषाहार का पूंजीगत लेखा-	**6.64**	**1,23.37**	**3.26**	**1,26.63**	**(-)51.05**
(ज)	**अन्य सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-**					
4250	अन्य सामाजिक सेवाओ पर पूंजीगत परिव्यय	0.98	12.15	2.14	14.29	(+)1,18.37
	जोड़- ख (ज) अन्य सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-	**0.98**	**12.15**	**2.14**	**14.29**	**(+)1,18.37**
	जोड़-ख-सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-	**12,58.41**	**1,36,02.83**	**17,36.19**	**1,53,39.02**	**(+)37.97**
ग.	**आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क, ख, घ, ड़, च, छ, ज)**					
(क)	***कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप का पूंजीगत लेखा***					
4401	फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	12.02	1,09.20	15.53	1,24.73	(+)29.20
4402	भू तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय	21.75	4,63.89	32.55	4,96.44	(+)49.66
4403	पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	15.03	1,30.30	20.72	1,51.02	(+)37.86
4404	डेयरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	...	5.38	...	5.38	...
4405	मत्स्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय	6.22	47.23	5.63	52.86	(-)9.49
4406	वानिकी तथा वन्य प्राणी पर पूंजीगत परिव्यय	13.45	1,61.21	18.38	1,79.59	(+)36.65
4408	खाद्य भण्डारण एवं भाण्डागार पर पूंजीगत परिव्यय	3.29	39.11	0.15	39.26	(-)95.44

5. प्रगामी पूंजीगत व्यय की विवरणी

मुख्य शीर्ष	विवरण	2019-20 के दौरान व्यय	2019-20 तक प्रगामी व्यय	2020-21 के दौरान व्यय	2020-21 तक प्रगामी व्यय	वर्ष 2020-21 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) प्रतिशत में
	1	2	3	4	5	6
					(₹ करोड़ में)	
ग.	**आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क, ख, घ, ड़, च, छ, ज)-क्रमशः**					
(क)	***कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप का पूंजीगत लेखा-समाप्त***					
4415	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय	...	3.42	...	3.42	...
4416	कृषि वित्तीय संस्थान पर पूंजीगत परिव्यय	...	9.49	...	9.49	...
4425	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	0.24	78.41	0.13	78.54	(-)45.83
4435	अन्य कृषि कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	...	2.21	...	2.21	...
	जोड़-ग (क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप का पूंजीगत लेखा	**72.00**	**10,49.85**	**93.09**	**11,42.94**	**(+)29.29**
(ख)	***ग्रामीण विकास का पूंजीगत लेखा***					
4515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	13.11	55.80	10.36	66.16	(-)20.98
4515	***जोड़-ग (ख) ग्रामीण विकास का पूंजीगत लेखा***	**13.11**	**55.80**	**10.36**	**66.16**	**(-)20.98**
(घ)	***सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण का पूंजीगत लेखा***					
4700	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	9.07	2,82.82	...	2,82.82	(-)100.00
4701	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	85.00	6,57.20	70.01	7,27.21	(-)17.64
4702	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	2,80.06	23,80.67	2,26.53	26,07.20	(-)19.11
4705	कमाण्ड क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय	34.93	2,76.77	33.19	3,09.96	(-)4.98
4711	बाढ़ नियन्त्रण परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय	3,26.68	14,49.81	56.92	15,06.73	(-)82.58
	जोड़-ग (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण का पूंजीगत लेखा	**7,35.74**	**50,47.27**	**3,86.65**	**54,33.92**	**(-)47.45**
(ड़.)	***ऊर्जा का पूंजीगत लेखा-***					
4801	विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	2,54.66	31,27.05	1,96.98	33,24.03	(-)22.65
	जोड़-ग (ड़.) ऊर्जा का पूंजीगत लेखा	**2,54.66**	**31,27.05**	**1,96.98**	**33,24.03**	**(-)22.65**
(च.)	***उद्योग तथा खनिज का पूंजीगत लेखा***					
4851	ग्रामीण तथा लघु उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	29.95	4,68.62	17.27	4,85.89	(-)42.34
4853	अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.12	...	0.12	...
4858	अभियात्रिकी उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	...	3.87	...	3.87	...
4859	दूरसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	...	2.97	...	2.97	...

5. प्रगामी पूंजीगत व्यय की विवरणी

मुख्य शीर्ष	विवरण	2019-20 के दौरान व्यय	2019-20 तक प्रगामी व्यय	2020-21 के दौरान व्यय	2020-21 तक प्रगामी व्यय	वर्ष 2020-21 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) प्रतिशत में
	1	2	3	4	5	6
ग.	*आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क, ख, घ, ड़, च, छ, ज)-समाप्त*				(₹ करोड़ में)	
(च.)	*उद्योग तथा खनिज का पूंजीगत लेखा -समाप्त*					
4885	उद्योगों तथा खनिजों पर पूंजीगत परिव्यय	...	70.34	...	70.34	...
	जोड़-ग (च) उद्योग तथा खनिज का पूंजीगत लेखा	**29.95**	**5,45.92**	**17.27**	**5,63.19**	**(-)42.34**
(छ)	**परिवहन का पूंजीगत लेखा**					
5002	भारतीय रेल-वाणिज्यिक लाइनों पर पूंजीगत परिव्यय	1,41.58	3,56.60	1,00.00	4,56.60	(-)29.37
5053	नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	5.34	99.91	7.66	1,07.57	(+)43.45
5054	सड़कों तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	22,05.12	1,58,34.51	23,15.55	1,81,50.06	(+)5.01
5055	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	82.88	10,11.85	85.99	10,97.84	(-)3.75
5056	अन्तर्देशीय जल परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.18	2.01	2.19	...
5075	अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	...	10.75	10.75	...
	जोड़-ग (छ) परिवहन का पूंजीगत लेखा	**24,34.92**	**1,73,03.05**	**25,21.96**	**1,98,25.01**	**(+)3.57**
(ज)	***सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-***					
5452	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	33.69	1,82.39	30.00	2,12.39	(-)10.95
5465	सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश	...	3.29	...	3.29	...
5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1,37.69	13,18.79	1,47.17	14,65.96	(+)6.89
	जोड़-ग(ज)सामान्य आर्थिकं सेवाओं का पूंजीगत लेखा-	**1,71.38**	**15,04.47**	**1,77.17**	**16,81.64**	**(+)3.38**
	जोड़-ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-	**37,11.76**	**2,86,33.41**	**34,03.48**	**3,20,36.89**	**(-)8.31**
	सकल योग	**51,73.91**	**4,41,20.90**	**53,09.21**	**4,94,30.11**	**(+)2.62**

व्याख्यात्मक टिप्पणियां

2020-21 में सरकार ने सांविधिक निगमों/बोर्डों में ₹1,14.27 करोड़, सरकार तथा अन्य कम्पनियों में ₹1,88.21 करोड़ तथा सहकारी समितियों में ₹0.32 करोड़ का निवेश किया।

वर्ष के दौरान सहकारी बैंक के द्वारा ₹0.03 करोड़, सहकारी समितियों के द्वारा ₹1.49करोड़ की शेयर पूंजी का विमोचन किया गया तथा ₹0.04 करोड़ पिछले वर्ष की समाधान राशि को इस वर्ष जमा किया और ₹शुन्य कम किया गया।

वर्ष 2018-19,2019-20 और 2020-21 के अन्त तक विभिन्न प्रतिष्ठानों की शेयर पूंजी एवं ऋण पत्रों में सरकार का कुल निवेश क्रमशः ₹38,48.83 करोड़, ₹42,61.06 करोड़,तथा ₹45,62.40 करोड़, था। उन पर वर्ष ,2018-19,2019-20 और 2020-21 के अन्त तक क्रमशः ₹1,81.91 करोड़, ₹2,48.44 करोड़, तथा ₹2,45.43 करोड़ लाभांश प्राप्त किया।

6. उधारों तथा अन्य दायित्वों की विवरणी[1]

(i) लोक ऋण तथा अन्य दायित्व की विवरणी

(₹ करोड़ में)

उधार का स्वरूप	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति	वर्ष के दौरान भुगतान	31 मार्च 2021 को शेष	वर्ष 2020-21 के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि	प्रतिशत	प्रतिशतता कुल दायित्व
क. लोक ऋण							
6003 राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण							
बाजार ऋण	2,81,42.16	60,00.00	22,45.00	3,18,97.16	(+)37,55.00	(+)13.34	46.31
मुआवजा तथा अन्य बॉंड	28,90.50	...	...	28,90.50	...	...	4.20
वित्तीय संस्थानों से ऋण	29,67.15	6,92.86	4,88.32	31,71.69	(+)2,04.54	(+)6.89	4.60
राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभुतियां	55,27.96	...	5,69.10	49,58.86	(-)5,69.10	(-)10.29	7.20
भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	...	77,44.48	77,44.48	...	...	...	...
जोड़-6003	**3,95,27.77**	**1,44,37.34**	**1,10,46.90**	**4,29,18.21**	**(+)33,90.44**	**(+)8.58**	**62.31**
6004 केन्द्रीय सरकार से ऋण और अग्रिम							
01-आयोजनेतर ऋण							
201-गृह निर्माण अग्रिम	0.17	0.07	0.04	0.20	(+)0.03	(+)17.65	...
800-अन्य ऋण	2.57	...	0.40	2.17	(-)0.40	(-)15.50	...
जोड़-01	**2.74**	**0.07 ***	**0.44**	**2.37**	**(-)0.37**	**(-)13.45**	**...**
02-राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की योजनागत स्कीमों के लिए ऋण							
101- ब्लाक ऋण	8,49.95	23,11.80	48.41	31,13.34	(+)22,63.39	(+)2,66.30	4.52
105-12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप समेकित राज्य योजनागत ऋण	1,90.99	...	45.29	1,45.70	(-)45.29	(-)23.71	0.21
जोड़-02	**10,40.94**	**23,11.80 ****	**93.70**	**32,59.04**	**(+)22,18.10**	**(+)2,13.09**	**4.73**

[1]विस्तृत लेखे के लिए पृष्ठ 164 से 166 (खण्ड- II) देखें।

* सीजीए सुधार पर्ची संख्या 832, दिनांक 06 जनवरी 2017 के उल्लंघन में प्राप्ति के लिए 6004-08 के बजाय अनाधिकृत प्रमुखशीर्ष 6004-01 का संचालन । ₹0.43 करोड़ शामिल हैं 01 अप्रैल 2017 से पहले वितरित ऋणों की अदायगी से संबंधित है।

** सीजीए सुधार पर्ची संख्या 832, दिनांक 06 जनवरी 2017 के उल्लंघन में प्राप्ति के लिए 6004-09 के बजाय अनाधिकृत प्रमुखशीर्ष 6004-02 का संचालन । ₹87.26 करोड़ शामिल हैं 01 अप्रैल 2017 से पहले वितरित ऋणों की अदायगी से संबंधित है।

6. उधारों तथा अन्य दायित्वों की विवरणी

(i) लोक ऋण तथा अन्य दायित्व की विवरणी

(₹ करोड़ में)

उधार का स्वरूप	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति	वर्ष के दौरान भुगतान	31 मार्च 2021 को शेष	वर्ष 2020-21 के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि	प्रतिशत	प्रतिशतता कुल दायित्व
क. लोक ऋण-समाप्त							
6004 केन्द्रीय सरकार से ऋण और अग्रिम-समाप्त							
07-1984-85 से पूर्वकालिक ऋण							
102-राष्ट्रीय ऋण छात्रवृति स्कीम	0.13	...	...	0.13	...	...	...
जोड़-07	**0.13**	**...**	**...**	**0.13**	**...**	**...**	**...**
जोड़-6004	**10,43.81**	**23,11.87**	**94.14**	**32,61.54**	**(+)22,17.73**	**(+)2,12.46**	**4.73**
जोड़-क लोक ऋण	**4,05,71.58**	**1,67,49.21**	**1,11,41.04**	**4,61,79.75**	**(+)56,08.17**	**(+)13.82**	**67.04**
ख-अन्य दायित्व							
लोक लेखा							
लघु बचतें, भविष्य निधियां आदि	1,55,37.13	36,65.79	26,80.28	1,65,22.64	(+)9,85.51	(+)6.34	23.99
सब्याज आरक्षित निधियां	18,87.65	5,61.50	5,66.61	18,82.54	(-)5.11	(-)0.27	2.73
ब्याज रहित आरक्षित निधियां	8,34.66	2.90	2.90	8,34.66	...	...	1.21
सब्याज जमा राशियां	(-)1.64	9,56.07	9,46.77	7.66	(+)9.30	(-)5,67.07	0.01
ब्याज रहित जमा राशियां	33,82.45	25,99.38	25,27.33	34,54.50	(+)72.05	(+)2.13	5.02
जोड़-ख-अन्य दायित्व	**2,16,40.25**	**77,85.64**	**67,23.89**	**2,27,02.00**	**(+)10,61.75**	**(+)4.91**	**32.96**
जोड़-लोक ऋण तथा अन्य दायित्व	**6,22,11.83**	**2,45,34.85**	**1,78,64.93**	**6,88,81.75**	**(+)66,69.92 ***	**(+)10.72**	**1,00.00**

* चालु वर्ष के राजकोषीय घाटा से भिन्नता वर्ष के दौरान निवल सिविल अग्रिम, उच्चंत व विविध लेखे, प्रेषण तथा रोकड़ शेष राशि का गणना मे न लिया जाना । राजकोषीय घाटे की प्रतिपूर्ति के लिए विवरणी सख्या-12 पृष्ठ संख्या 37 में देखे

6. उधारों तथा अन्य दायित्वों की विवरणी

व्याख्यात्मक टिप्पणियां

1. ऋण परिशोधन के लिए प्रबन्धः- खुले बाजार में लिए गए ऋणों के परिशोधन के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रबन्ध नही किए गए हैं-

2. लघु बचत निधि से ऋणः- लघु बचत योजना तथा डाकघरों में 'लोक भविष्य निधि', एकत्रित राशि में प्राप्त ऋण केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा 3:1 अनुपात में सांझा किया जाता है। 1999-2000 में एक अलग निधि 'राष्ट्रीय लघु बचत निधि' का 'लघु बचत संचित' राशि मे से ऋण जारी करने हेतू एक अलग निधि जैसे राष्ट्रीय लघु बचत निधि का सृजन किया गया। 2020-21 में, ₹5,69.10 करोड़ का भुगतान किया गया। वर्ष के अन्त तक शेष राशि ₹49,58.86 करोड़ जो 31 मार्च, 2021 तक राज्य सरकार की कुल लोक ऋण का 11.55 *प्रतिशत* था ।

3. राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण, बाजार ऋण इत्यादि

(क) बाजार ऋणः- खुले बाजार से लिए गए दीर्घकालीन ऋण इस श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं। वर्ष के दौरान सरकार ने 12 ऋण ₹5,00.00 करोड़, ₹5,00.00 करोड़, ₹5,00.00 करोड़, ₹5,00.00 करोड़, ₹5,00.00 करोड़, ₹5,00.00 करोड़, ₹5,00.00 करोड़, ₹5,00.00 करोड, ₹5,00.00 करोड, ₹5,00.00 करोड, तथा ₹5,00.00 करोड़ क्रमशः 6.36 *प्रतिशत*, 6.90 *प्रतिशत*, 6.51 *प्रतिशत*, 6.45 *प्रतिशत*, 6.53 *प्रतिशत*, 6.60 *प्रतिशत*, 6.57 *प्रतिशत*, 6.57 *प्रतिशत*, 6.63 *प्रतिशत,* 6.63 *प्रतिशत,* 7.02 *प्रतिशत,* तथा 7.05 *प्रतिशत* वार्षिक ब्याज की दर से समतुल्य ऋण जारी किए जो नगद वसूल हुए। ये ऋण, जुलाई 2028, अक्तुबर 2030,अक्तुबर 2030, अक्तुबर 2029, नवम्बर 2029,नवम्बर 2030, दिसम्बर 2030, दिसम्बर 2030, जनवरी 2031,जनवरी 2033,फरवरी 2036, तथा फरवरी 2035, में विमोच्य है।

6 दीर्घकालीन ऋण अर्थात 8.18 *प्रतिशत,* 8.14 *प्रतिशत,* 8.52 *प्रतिशत,* 8.42 *प्रतिशत* तथा 7.78 *प्रतिशत* की दर से ₹8,00.00 करोड़, ₹3,00.00 करोड़, ₹1,80.00 करोड़, ₹4,65.00 करोड़ तथा ₹5,00.00 करोड़ वर्ष के दौरान उन्मोचन हेतु अधिसूचित किये गये।

(ख) भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋणः-ये भी दीर्घकालीन सब्याज ऋण है, जो भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा राज्य सरकार की विभिन्न स्कीमों के लिए दिए जाते है तथा राज्य सरकार द्वारा मानी गई शर्तों के अनुरूप लौटाये जाते है। इस वर्ष के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम को ₹ 3.15 करोड़ की राशि लौटा दी गई थी।

(ग) कृषि व ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक से ऋणः-ये ऋण कृषि व ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक द्वारा प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितिओं के लिए दिए जाते हैं। वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा इस बैंक से ₹6,63.53 करोड़ की राशि ली गई थी, तथा ₹4,50.00 करोड़ वापिस किए गए ।

(घ)मुआवजा और अन्य बॉडः- वर्ष के दौरान ₹28,90.50 करोड़ की राशि राज्य सरकार द्वारा उज्जवल डिस्कॉम एश्योरैंस योजना (उदय), हिमाचल प्रदेश विशेष बॉड़ के तहत प्राप्त की गई।

(ड.)राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋणः- ये ऋण राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा राज्य सरकार को दिए जाते है। वर्ष के दौरान ₹29.33 करोड़ की राशि ली गई तथा वर्ष के दौरान ₹14.67 करोड़ वापिस किए गए ।

(च) अन्य संस्थानों से ऋणः- ये ऋण विभिन्न स्वायत्त निकायों द्वारा जैसे कि न्यू इण्डिया इंश्योरैंस कम्पनी, आरिऐण्टल इंश्योरैंस कम्पनी, युनाईटेड इण्ड़िया इन्श्योरैंस कम्पनी, नैशनल इन्श्योरेंस कम्पनी ऑफ इण्डिया, नगर निगम ऋण, हाउसिंग अर्बन डैवेलेपमैंट कॉरपोरेशन तथा भारतीय जीवन बीमा से ऋण (निगोशिएटेड) आदि दिए जाते हैं। वर्ष के दौरान ₹20.50 करोड़ लौटाए गए ।

(छ) भारतीय रिजर्व बैंक से आर्थोपाय अग्रिमः- रिजर्व बैंक के साथ रखे जाने वाले आपेक्षित न्यूनतम नकद जैसे ₹0.55 करोड़ को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से समय-2 पर अर्थोपाय अग्रिम लिए जाते है । वर्ष 2020-21 के दौरान साधारण आर्थोपाय अग्रिम ₹59,91.77 करोड़ की राशि ली गई तथा विशेष आहरण राशि के रूप में ₹4,52.82 करोड़ की राशी ली गई और ₹59,91.77 करोड़ व ₹4,52.82 करोड़ की कमशः वापसी की गई ओवर ड्राफ्ट के रूप में ₹12,99.88 करोड़ की राशि प्राप्त की गई तथा ₹12,99.88 करोड़ की वापसी भी 2020-21 की दौरान की गई ।

6. उधारों तथा अन्य दायित्वों की विवरणी

व्याख्यात्मक टिप्पणियां

4. ऋण का उपयोग:-

ऋण और अन्य दायित्व पर ब्याजः- वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 के दौरान प्रभारित ब्याज के कारण राजस्व में से लिए गए सकल बकाया ऋण और अन्य दायित्वों तथा कुल निवल राशि निम्नलिखित थीः-

	2020-21	2019-20	वर्ष 2020-21 के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी(-)
		(₹ करोड़ में)	
(i) वर्ष के अन्त में बकाया सकल ऋण और अन्य दायित्व			
(क) लोक ऋण, लघु बचतें तथा भविष्य निधि इत्यादि	6,27,02.39	5,61,08.72	65,93.67
(ख) अन्य दायित्व	61,79.36	61,03.11	76.25
जोड़-(i)	**6,88,81.75**	**6,22,11.83**	**66,69.92**
(ii) सरकार द्वारा अदा किया गया ब्याज			
(क) लोक ऋण, लघु बचतें तथा भविष्य निधियां आदि पर	43,64.95	42,34.02	1,30.93
(ख) अन्य दायित्व पर	1,07.50	...	1,07.50
जोड़ (ii)	**44,72.45**	**42,34.02**	**2,38.43**
(iii) घटाये			
(क) सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज	2,48.91	1,86.00	62.91
(ख) रोकड़ शेष के निवेशों पर वसूल किया गया ब्याज	31.88	55.02	(-)23.14
जोड़ (iii)	**2,80.79**	**2,41.02**	**39.77**
(iv) ब्याज की प्रभारों की निवल	**41,91.66**	**39,93.00**	**1,98.66**
(v) कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रति सकल ब्याज की प्रतिशतता (मद ii)	13.38	13.77	(-)0.39
(vi) कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रति निवल ब्याज (मद iv) की प्रतिशतता	12.54	12.99	(-)0.45

टिप्पणीः- सरकार ने वर्ष के दौरान लोक उपक्रमों और अन्य निवेशों अदि से ₹2,45.43 करोड़ लाभांश के रूप में प्राप्त किए। (मुख्य शीर्ष-0050 पृष्ठ 62 खण्ड- II)देखें।

7. सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों की विवरणी

भाग-1 ऋण एवं अग्रिम का सारः उधारग्रहीता समूहवार

(₹ करोड़ में)

ऋणी समूह	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान भुगतान	वर्ष के दौरान वापसी	ऋण और अग्रिम के बट्टे खाते	31 मार्च 2021 के अन्त शेष (2+3)-(4+5)	वर्ष 2020-21 के दौरान निवल वृद्धि(+)/कमी(-) (2-6)	ब्याज का बकाया
1	2	3	4	5	6	7	8
नगर पालिका, नगर परिषद एवं नगर निगम	7.57	…	…	…	7.57	…	*
शहरी विकास प्राधिकरण	0.01	…	…	…	0.01	…	*
आवासीय बोर्ड	1.16	…	…	…	1.16	…	*
सांविधिक निगम	60,07.90	1,72.68	…	…	61,80.58	1,72.68	*
सहकारी समितियां/सहकारी बैंक	1,26.73	58.56	16.46	…	1,68.83	42.10	*
पंचायती राज संस्थाएं	0.28	…	0.01	…	0.27	(-)0.01	*
सरकारी कर्मचारी	31.85	2.80	6.31	…	28.34	(-)3.51	*
अन्य	12,14.99	86.08	0.24	…	13,00.83	85.84	*
जोड़-	**73,90.49**	**3,20.12**	**23.02**	**…**	**76,87.59**	**2,97.10**	*

शाश्वत ऋणों के रूप में स्वीकृत ऋण के निम्नलिखित मामले है।

(₹ करोड़ में)

ऋणी संस्था	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृति आदेश संख्या	राशि	ब्याज दर
हिमाचल प्रदेश उद्यान उत्पाद विपणन एवं विधायन निगम सीमित **(एचपीएमसी)**	2011-12	एचटीसी-एफ(11)3/2011	7.00	ब्याज रहित
हिमाचल प्रदेश उद्यान उत्पाद विपणन एवं विधायन निगम सीमित **(एचपीएमसी)**	2012-13	एचटीसी-एफ(1)3/2010(खण्ड -II)	5.00	ब्याज रहित
हिमाचल प्रदेश उद्यान उत्पाद विपणन एवं विधायन निगम सीमित **(एचपीएमसी)**	2017-18	एचटीसी-एफ(11)1/2013	8.00	ब्याज रहित

*उपलब्ध नहीं है

टिप्पणियांः ब्यौरे के लिए राज्य सरकारों द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों के विस्तृत विवरण का भाग I देखें (पृष्ठ संख्या 176 से 182 खण्ड-II देखे)

7. सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों की विवरणी

भाग-2 ऋणों एवं अग्रिमों का सारांशः क्षेत्रवार

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान भुगतान	वर्ष के दौरान वापसी	ऋण और अग्रिम के बट्टे खाते	31 मार्च 2021 के अन्त शेष (2+3)-(4+5)	वर्ष 2020-21 के दौरान निवल वृद्धि(+)/कमी(-) (2-6)	बकाया ब्याज अदायगी
1	2	3	4	5	6	7	8
सामाजिक सेवाएं	28.63	1.60	0.22	…	30.01	1.38	0.62
आर्थिक सेवाएं	73,28.99	3,15.71	16.48	…	76,28.22	2,99.23	2,43.30
अन्य सेवाएं	32.87	2.81	6.32	…	29.36	(-)3.51	4.99
जोड़-	**73,90.49**	**3,20.12**	**23.02**	**…**	**76,87.59**	**2,97.10**	**2,48.91**

भाग-3 ऋणी संस्थाओं के बकाया चुकौतियों का सारांश

ऋणी संस्था	31 मार्च 2021 को बकाया राशि			शीघ्रतन अवधि जिसमें बकाया सम्बधित है	31 मार्च 2021 को संस्था की तुलना में कुल बकाया ऋण
	मूलधन	ब्याज	जोड़		
1	2	3	4	5	6
नगर पालिका, नगर परिषद एवं नगर निगम	0.57	…	0.57	2001-02	7.57
आवासीय बोर्ड	1.16	…	1.16	2009-10	1.16
हिमाचल प्रदेश उद्यान उत्पाद विपणन एवं विधायन निगम सीमित	14.54	…	14.54	2015-16	60.09
हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय	5.61	…	5.61	1987-88	5.61
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लि0	74.75	…	74.75	1987-88	29,77.93
सामान्य वित्तिय संस्थाऐं	0.10	…	0.10	1985-86	0.10
जोड़-	**96.73**	**…**	**96.73**		**30,52.46**

8. सरकार के निवेशों की विवरणी

भाग-1: विभिन्न संस्थानों में वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान सरकार के निवेश प्रतिदेय शेयर एवं ऋणपत्र का तुलनात्मक सार

(₹ करोड़ में)

	प्रतिष्ठान का नाम	2020-21			2019-20		
		प्रतिष्ठानो की संख्या	वर्ष के अन्त तक निवेश	वर्ष के दौरान लाभांश/ब्याज प्राप्ति	प्रतिष्ठानो की संख्या	वर्ष के अन्त तक निवेश	वर्ष के दौरान लाभांश/ब्याज प्राप्ति
1	सांविधिक निगम/बोर्ड	6	17,93.32	0.35	6	16,79.05	…
2	सरकारी कम्पनियां	24	16,07.89	1.89	23	14,19.67	…
3	अन्य सयुंक्त स्टॉक कम्पनियां एवं सांझेदार						
(i)	केन्द्रीय सरकारी कम्पनियां	1	10,98.14	2,42.65	1	10,98.14	2,47.93
(ii)	अन्य कम्पनियां	13	0.10	0.01	13	0.10	0.01
	जोड़- सयुंक्त स्टॉक कम्पनियां एवं सांझेदार	**14**	**10,98.24**	**2,42.66**	**14**	**10,98.24**	**2,47.94**
4	सहकारी बैंक	9	13.38	0.03	9	13.41	0.14
5	सहकारी समितियां और स्थानीय निकाय						
(i)	सहकारी समितियां	17	49.57	0.50	17	50.69	0.36
	जोड़-	**70**	**45,62.40**	**2,45.43**	**69**	**42,61.06**	**2,48.44**

9. सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की विवरणी

क. सांविधिक निगमों,सरकारी कम्पनियों,स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं द्वारा लिये गए ऋण आदि की चुकौती के लिए सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियां एवं विभिन्न क्षेत्रों में 31 मार्च 2021 तक बकाया प्रत्याभूत राशियां नीचे दिखाई गई है:-

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र(कोष्ठक के अन्तर्गत गारंटियों की संख्या)	वर्ष 2020-21 के दौरान अधिकतम गारंटीशुदा राशि	वर्ष 2020-21 के प्रारम्भ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (प्रदत गारंटियों को छोडकर)	वर्ष के दौरान प्रदत		वर्ष 2020-21 के अन्त में बकाया	गांरटी कमीशन अथवा शुल्क		अन्य सामग्री विवरण
					उन्मोचित	उन्मोचित न की गई		प्राप्य	प्राप्त	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
विद्युत (1)*	14,00.67	11,25.00	1,37.84	11.94	…	…	12,50.90	3.31	…	…
सहकारी बैंक(1)(क)*	3,50.00	2,54.14	75.85	77.37	…	…	2,52.62	…	…	…
राज्य वित्तीय निगम (1)*	…	2.60	…	2.60	…	…	…	…	…	…
स्थानीय निकाय (1)*	…	4.70	…	0.03	…	…	4.67	…	…	…
अन्य संस्थान (10)*(ख)	5,48.02	5,02.89	2,04.34	73.66	…	…	6,33.57	…	2.16	…
जोड़	**22,98.69**	**18,89.33**	**4,18.03**	**1,65.60**	**…**	**…**	**21,41.76**	**3.31**	**2.16**	**…**

(क) बकाया प्रारम्भिक शेष पिछले वर्ष के अथशेष से भिन्न है क्योंकि इसमें बकाया ब्याज की राशि ₹13.34 करोड़, विभाग ने बकाया मुलधन की राशी में जोड़ दी गई है।

(ख) बकाया प्रारम्भिक शेष पिछले वर्ष के अथशेष से भिन्न है । कयोंकि पिछले वर्ष विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी सही नही थी।

* कोष्ठकों के आंकड़े संस्थानों की संख्या दर्शाते है।

10. सरकार द्वारा दिए गए सहायतानुदानों की विवरणी

(i) रोकड़ में दिया हुआ सहायता अनुदान

नाम/अनुदानग्राही की श्रेणी	सहायता अनुदान के रूप में जारी कुल निधियां						कुल निधि से जारी किया गया पूंजीगत सम्पत्ति निर्माण के लिए अनुदान					
	2020-21			2019-20			2020-21			2019-20		
	आयोजनेतर	योजनागत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम सहित	जोड़	आयोजनेतर	योजनागत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम सहित	जोड़	आयोजनेतर	योजनागत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम सहित	जोड़	आयोजनेतर	योजनागत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम सहित	जोड़
												(₹ करोड़ में)
1.पंचायती राज संस्थाए-												
(i) जिला परिषद	2,28.37	...	2,28.37	1,37.54	...	1,37.54	65.52	…	65.52	27.30	…	27.30
(ii) पंचायत समीतियां	74.17	...	74.17	21.78	...	21.78	65.52	…	65.52	9.38	…	9.38
(iii) ग्राम पंचायतें	4,24.67	1,68.77	5,93.44	5,90.39	82.78	6,73.17	3,25.31	7.10	3,32.41	4,99.86	1.08	5,00.94
जोड़-	**7,27.21**	**1,68.77**	**8,95.98**	**7,49.71**	**82.78**	**8,32.49**	**4,56.35**	**7.10**	**4,63.45**	**5,36.54**	**1.08**	**5,37.62**
2.स्थानीय शहरी निकाय-												
(i) नगर निगम	1,22.80	1,83.79	3,06.59	62.74	61.43	1,24.17	75.63	1,44.38	2,20.01	19.13	21.57	40.70
(ii) नगर पालिका/नगर परिषद	4,00.87	44.34	4,45.21	2,38.02	47.52	2,85.54	1,17.15	42.74	1,59.89	33.35	33.91	67.26
(iii) *अन्य*	9.37	71.83	81.20	10.26	15.55	25.81	…	…	…	…	…	…
जोड़-	**5,33.04**	**2,99.96**	**8,33.00**	**3,11.02**	**1,24.50**	**4,35.52**	**1,92.78**	**1,87.12**	**3,79.90**	**52.48**	**55.48**	**1,07.96**
3.सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम-												
(i) सरकारी कम्पनियां	2.13	...	2.13	1.63	...	1.63	...	...	...	…	…	…
(ii) सांविधिक निगम	4,08.04	14.43	4,22.47	1,85.27	10.57	1,95.84	...	7.28	7.28	5.00	7.28	12.28
जोड़-	**4,10.17**	**14.43**	**4,24.60**	**1,86.90**	**10.57**	**1,97.47**	**...**	**7.28**	**7.28**	**5.00**	**7.28**	**12.28**
4.स्वायत निकाय-												
(i) विश्वविद्यालय	10.50	3,79.22	3,89.72	12.88	3,55.36	3,68.24	…	1.46	1.46	…	…	…
(ii) विकास प्राधिकरण	31.60	89.64	1,21.24	24.66	52.30	76.96	20.48	26.21	46.69	15.00	25.96	40.96
(iii) सहकारी संस्थान	13.44	27.02	40.46	7.71	22.44	30.15	…	0.70	0.70	…	0.72	0.72
(iv) अन्य	11.42	72.75	84.17	9.68	1,22.99	1,32.67	…	14.31	14.31	…	58.65	58.65
जोड़-	**66.96**	**5,68.63**	**6,35.59**	**54.93**	**5,53.09**	**6,08.02**	**20.48**	**42.68**	**63.16**	**15.00**	**85.33**	**1,00.33**

10. सरकार द्वारा दिए गए सहायतानुदानों की विवरणी

(i) रोकड़ में दिया हुआ सहायता अनुदान

नाम/अनुदानग्राही की श्रेणी	सहायता अनुदान के रूप में जारी कुल निधियां						कुल निधि से जारी किया गया पूंजीगत सम्पत्ति निर्माण के लिए अनुदान					
	2020-21			2019-20			2020-21			2019-20		
	आयोजनेतर	योजनागत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम सहित	जोड़	आयोजनेतर	योजनागत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम सहित	जोड़	आयोजनेतर	योजनागत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम सहित	जोड़	आयोजनेतर	योजनागत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम सहित	जोड़
												(₹ करोड़ में)
5. शिक्षा-												
(i) प्रारम्भिक शिक्षा	...	3,03.17	3,03.17	0.19	4,12.23	4,12.42	…	…	…	…	…	…
(ii) माध्यमिक शिक्षा	14.04	2,02.99	2,17.03	15.47	1,88.16	2,03.63	…	…	…	…	19.50	19.50
(iii) उच्च शिक्षा	1.67	22.72	24.39	3.73	15.77	19.50	…	0.66	0.66	…	…	…
जोड़-	**15.71**	**5,28.88**	**5,44.59**	**19.39**	**6,16.16**	**6,35.55**	**…**	**0.66**	**0.66**	**…**	**19.50**	**19.50**
6. अन्य-												
(i) वन	...	63.92	63.92	...	42.59	42.59	…	0.55	0.55	…	0.38	0.38
(ii) सामाजिक कल्याण	37.40	3,46.51	3,83.91	29.83	3,28.29	3,58.12	1.03	24.45	25.48	…	36.52	36.52
(iii) विविध	30.20	7,51.32	7,81.52	16.84	3,79.89	3,96.73	2.91	96.28	99.19	1.95	28.19	30.14
जोड़-	**67.60**	**11,61.75**	**12,29.35**	**46.67**	**7,50.77**	**7,97.44**	**3.94**	**1,21.28**	**1,25.22**	**1.95**	**65.09**	**67.04**
कुल जोड़-	**18,20.69**	**27,42.42**	**45,63.11***	**13,68.62**	**21,37.87**	**35,06.49**	**6,73.55**	**3,66.12**	**10,39.67****	**6,10.97**	**2,33.76**	**8,44.73**

*: स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं/को मुआवजे समनुदेशन के ₹9.37 करोड़ शामिल है। (मुख्य शीर्ष 3604 पृष्ठ संख्या 114(खण्ड-II))

** ₹10,39.67 करोड़ की सहायता अनुदान जोकि पूंजीगत सम्पतियों के निर्माण हेतू (राजस्व व्यय ₹10,39.67 करोड़ पृष्ठ संख्या 16(खण्ड-I)

10. सरकार द्वारा दिए गए सहायतानुदानों की विवरणी

(ii) वस्तु में दिया हुआ सहायता अनुदान

नाम/अनुदानग्राही की श्रेणी	सहायता अनुदान के रूप में जारी कुल निधियां		पूंजीगत सम्पत्तियों की प्रकृति के वस्तु में दिया हुआ सहायता अनुदान का कुल मुल्य	
1	2		3	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
1.पंचायती राज संस्थाए-				
(i) जिला परिषद	...	...	...	...
(ii) पंचायत समीतियां	...	...	...	...
2.स्थानीय शहरी निकाय-				
(i) नगर निगम	...	...	...	...
(ii) नगर पालिका/ नगर परिषद	...	...	...	...
(iii) अन्य	...	...	...	...
3.सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम-				
(i) सरकारी कम्पनियां	...	...	...	...
(ii) सांविधिक निगम	...	...	...	...
4.स्वायत निकाय-				
(i) विश्वविद्यालय	...	...	...	...
(ii) विकास प्राधिकरण	...	...	...	...
(iii) सहकारी समीतियां	...	...	...	...
(iv) अन्य	...	...	...	...
5.गैर सरकारी संगठन-	...	...	...	...
जोड़-	...	...	...	...

टिप्पणीः- वर्ष के दौरान कोई भी वस्तु में दिया हुआ सहायता अनुदान नहीं दिया गया।

11. दत्तमत तथा प्रभारित व्यय की विवरणी

विवरण	वास्तविक					
	2020-21			2019-20		
	प्रभारित	दत्तमत	जोड़	प्रभारित	दत्तमत	जोड़
						(₹ करोड़ में)
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)	*45,43.73*	2,89,91.20	3,35,34.93	*43,03.65*	2,64,26.78	3,07,30.43
व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा)	*13.63*	52,95.58	53,09.21	*16.40*	51,57.51	51,73.91
लोक ऋण,ऋण और अग्रिम,अन्तर्राज्यीय बदोबस्त/हस्तांतरण तथा आकस्मिक निधि को अन्तरण (क)	*1,11,41.04*	3,20.12	1,14,61.16	*67,00.75*	4,58.21	71,58.96
जोड़	***1,56,98.40***	**3,46,06.90**	**5,03,05.30**	***1,10,20.80***	**3,20,42.50**	**4,30,63.30**
(क) आंकड़े निम्नवत रूप से निकाले गए हैं						
ड. लोक ऋण						
राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण	*1,10,46.90*	…	1,10,46.90	*66,12.32*	…	66,12.32
केन्द्रीय सरकार से ऋण और अग्रिम	*94.14*	…	94.14	*88.43*	…	88.43
च. ऋण और अग्रिम *						
सामाजिक सेवाओं के लिए ऋण	…	1.60	1.60	…	1.00	1.00
आर्थिक सेवाओं के लिए ऋण	…	3,15.71	3,15.71	…	4,50.98	4,50.98
सरकारी कर्मचारियों के लिए ऋण	…	2.81	2.81	…	6.23	6.23
छ. अन्तर्राज्यीय बंदोबस्त						
अन्तर्राज्यीय बंदोबस्त	…	…	…	…	…	…
ज. आकस्मिक निधि को अन्तरण						
आकस्मिक निधि को अन्तरण	…	…	…	…	…	…
जोड़ (क)	***1,11,41.04***	**3,20.12**	**1,14,61.16**	***67,00.75***	**4,58.21**	**71,58.96**

(i) वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान प्रभारित व्यय तथा दत्तमत व्यय से कुल व्यय की *प्रतिशतता* निम्नलिखित थी ।

वर्ष	कुल व्यय के *प्रतिशतता*	
	प्रभारित	दत्तमत
2019-20	*25.59*	74.41
2020-21	*31.21*	68.69

* विस्तृत लेखा के बारे में अधिक जारकारी हेतु विवरण संख्या 18 देखें।

12. राजस्व लेखों के अतिरिक्त व्यय के लिए स्त्रोत व निधियों के प्रयोग की विवरणी

शीर्ष	1 अप्रैल 2020 को	वर्ष 2020-21 के दौरान	31 मार्च 2021 को
1	2	3	4
			(₹ करोड़ में)
पूंजीगत तथा अन्य व्यय-			
सकल पूंजीगत व्यय			
सामान्य सेवाएं			
अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.08	...	0.08
पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	4,51.69	45.28	4,96.97
लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय	4.53	0.42	4.95
लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	13,45.06	1,15.70	14,60.76
अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	83.30	8.14	91.44
जोड़-सामान्य सेवाएं	**18,84.66**	**1,69.54**	**20,54.20**
सामाजिक सेवाएं			
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	34,30.64	3,55.54	37,86.18
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	21,53.12	3,02.04	24,55.16
जलापूर्ति तथा सफाई, आवास और शहरी विकास	76,68.77	10,66.40	87,35.17
सूचना एवं प्रचार	9.64	0.77	10.41
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसख्यकों का कल्याण	2,06.11	6.06	2,12.17
सामाजिक कल्याण तथा पोषण	1,23.40	3.24	1,26.64
अन्य सामाजिक सेवाएं	12.15	2.14	14.29
जोड़-सामाजिक सेवाएं	**1,36,03.83**	**17,36.19**	**1,53,40.02**
आर्थिक सेवायें			
कृषि तथा सम्बन्द्ध कार्यकलाप	22,92.07	1,50.02	24,42.09
ग्रामीण विकास	55.80	10.36	66.16
सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	56,14.97	3,86.65	60,01.62
ऊर्जा	44,22.89	1,96.98	46,19.87
उद्योग तथा खनिज	5,46.08	17.27	5,63.35
परिवहन	1,73,73.83	25,21.96	1,98,95.79
सामान्य आर्थिक सेवाएं	15,04.46	1,77.17	16,81.63
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**3,18,10.10**	**34,60.41**	**3,52,70.51**
जोड़-सकल पूंजीगत परिव्यय	**4,72,98.59**	**53,66.14**	**5,26,64.73**

12. राजस्व लेखों के अतिरिक्त व्यय के लिए स्त्रोत व निधियों के प्रयोग की विवरणी

शीर्ष	1 अप्रैल 2020 को	वर्ष 2020-21 के दौरान	31 मार्च 2021 को
1	2	3	4
			(₹ करोड़ में)
पूंजीगत तथा अन्य व्यय-			
पूंजीगत परिव्यय की वसूलियां			
सामाजिक सेवाएं			
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	0.22	...	0.22
जलापूर्ति तथा सफाई, आवास और शहरी विकास	0.75	...	0.75
जोड़-सामाजिक सेवाएं	**0.97**	**...**	**0.97**
आर्थिक सेवाएं			
कृषि तथा सम्बन्ध कार्यकलाप	12,42.23	56.93	12,99.16
सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	5,67.69	...	5,67.69
उद्योग तथा खनिज	0.15	...	0.15
परिवहन	70.80	...	70.80
जोड़-आर्थिक सेवायें	**18,80.87**	**56.93**	**19,37.80**
जोड़-पूंजीगत परिव्यय की वसूलियां	**18,81.84**	**56.93**	**19,38.77**
पूंजीगत परिव्यय	**4,54,16.75**	**53,09.21**	**5,07,25.96**
कटौती विनिवेश	12,95.85	…	12,95.85
कुल जोड़- पूंजीगत परिव्यय	**4,41,20.90**	**53,09.21**	**4,94,30.11**
ऋण तथा अग्रिम-			
विभिन्न सेवाओं के लिए ऋण तथा अग्रिम-			
सामाजिक सेवाएं			
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	7.91	1.53	9.44
जलापूर्ति तथा सफाई, आवास और शहरी विकास	16.40	(-)0.12	16.28
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंस्थकों का	3.25	...	3.25
सामाजिक कल्याण तथा पोषण	1.08	(-)0.03	1.05
आर्थिक सेवाएं			
कृषि तथा सम्बन्ध कार्यकलाप	2,22.67	42.09	2,64.76
ग्रामीण विकास	0.42	...	0.42
ऊर्जा	70,20.11	2,54.32	72,74.43
उद्योग तथा खनिज	85.69	2.81	88.50
सामान्य आर्थिक सेवाएं	0.10	…	0.10
सरकारी कर्मचारियों को ऋण	31.85	(-)3.50	28.35

12. राजस्व लेखों के अतिरिक्त व्यय के लिए स्त्रोत व निधियों के प्रयोग की विवरणी

शीर्ष	1 अप्रैल 2020 को	वर्ष 2020-21 के दौरान	31 मार्च 2021 को	
1	2	3	4	
			(₹ करोड़ में)	
पूंजीगत तथा अन्य व्यय-समाप्त				
ऋण तथा अग्रिम-समाप्त				
विभिन्न सेवाओं के लिए ऋण तथा अग्रिम-				
आर्थिक सेवायें				
विविध ऋण	1.02	...	1.02	
जोड़-ऋण तथा अग्रिम	**73,90.50**	**2,97.10**	**76,87.60**	
जोड़-पूंजीगत तथा अन्य व्यय	**5,15,11.40**	**56,06.31**	**5,71,17.70**	(क)
घटाएं				
विविध पूंजीगत वसूली से अंशदान	45.68	2.88	48.56	
निवल जोड-पूंजीगत तथा अन्य व्यय	**5,14,65.72**	**56,03.43**	**5,70,69.15**	
निधियों के मुख्य स्त्रोत				
राजस्व (+) आधिक्य/(-) घाटा		(-)96.66 *		
जमा-विनिवेश/सेवानिवृति के कारण समायोजित राशि				
ऋण-				
राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण	3,95,27.77	33,90.44	4,29,18.21	
केन्द्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम	10,43.81	22,17.73	32,61.54	
लघु बचतें, भविष्य निधियां, आदि	1,55,37.13	9,85.51	1,65,22.64	
जोड़-ऋण	**5,61,08.71**	**65,93.68**	**6,27,02.39**	
अन्य दायित्व-				
आकस्मिकता निधि	5.00	...	5.00	
आरक्षित निधियां	27,22.30	(-)5.11	27,17.19	
जमा तथा अग्रिम	33,80.29	81.35	34,61.64	
उचन्त तथा विविध (सरकारी लेखे तथा रोकड शेष निवेश लेखा को संवृत राशि के अतिरिक्त)	(-)13,30.44 #	(-)2,09.39	(-)15,39.83	
प्रेषण	6,06.29	(-)64.38	5,41.91	
जोड़-अन्य दायित्व	**53,83.44**	**(-)1,97.53**	**51,85.91**	
जोड़-ऋण तथा अन्य दायित्व	**6,14,92.15**	**63,96.15**	**6,78,88.30**	

* पृष्ठ संख्या 4 पर पाद टिप्पणी देखें (खण्ड-I)।

\# मुख्य शीर्ष 8671 और 8672 के लिए की गई कॉन्ट्रा एंट्री

12. राजस्व लेखों के अतिरिक्त व्यय के लिए स्त्रोत व निधियों के प्रयोग की विवरणी

शीर्ष	1 अप्रैल 2020 को	वर्ष 2020-21 के दौरान	31 मार्च 2021 को	
1	2	3	4	
			(₹ करोड़ में)	
अन्य प्राप्तियां-				
घटाएं- रोकड़ शेष	77.93	(-)17.97	59.96	
घटाएं- निवेश	9,82.25 #	7,14.03	16,96.28	
जमा- सरकारी लेखे को संवृत राशि	…	...	...	
निधियों का निवल प्रावधान	**6,04,31.97**	**57,00.09 ***	**6,61,32.06**	(स्त्र)

विवरण में प्रदर्शित निधियों (स्त्र) के शुद्ध प्रावधान और वर्ष के अंत तक कुल पूंजी और अन्य व्यय (क) के बीच ₹90,14.36 करोड़ का अंतर,नीचे दिए गए हैः

1 राजस्व घाटा			
(i) 31 मार्च 2020 तक राजस्व घाटा		(-)89,44.49	
(ii) चालू वर्ष घाटा(-)/आधिक्य(+)		(-)96.66 **	(-)90,41.15
(iii) 31 मार्च 2020 तक पूंजीगत प्राप्तियां		45.68	
(iv) वर्ष 2020-21 के दौरान पूंजीगत प्राप्तियां		2.88	48.56
2 राशियों का निम्न समाधान			
(i) अंतर्राज्यीय समाधान		(-)1.43	
(ii) कूल राशि का " 7999-आकस्मिकता निधि को विनियोजन"		(-)5.00	
(iii) विविध सरकारी लेखे		(-)7.84	
(iv) प्रर्फोमा द्वारा कुल राशि का समायोजन		(-)7.50	(-)21.77
कुल जोड़-			**(-)90,14.36**

मुख्य शीर्ष 8671 और 8672 के लिए की गई कॉन्ट्रा एंट्री

* चालू वित्त वर्ष के वित्तीय घाटे की पूर्ती

** पृष्ठ संख्या 4 पर पाद टिप्पणी देखें (खण्ड-I)।

13.समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अधीन शेषों का सार

(क) 31 मार्च 2021 को शेष राशियों का सारांश निम्न प्रकार से है:-

नामे शेष	लेखे का खण्ड	लेखे का नाम	जमा शेष
			(₹ करोड़ में)
		समेकित निधि	
	क से घ,छ, तथा ठ का भाग (मुख्य शीर्ष 8680 केवल)	सरकारी लेखा	
5,84,44.47 (क)			
	ड.	**लोक ऋण**	4,29,18.21
76,87.59	च-	**ऋण एवं अग्रिम**	32,61.54
	छ-	**आकस्मिकता निधि**	
…		आकस्मिकता निधि	5.00
		लोक लेखा	
…	झ-	लघु बचतें, भविष्य निधि आदि	1,65,22.64
	ञ-	**आरक्षित निधि**	
…		(i) ब्याज वाली आरक्षित निधियां	18,82.54
		(ii) ब्याज रहित आरक्षित निधियां	
…		सकल शेष	8,34.65
	ट-	**जमा और अग्रिम**	
…		(i) ब्याज वाली जमा राशियां	7.65
…		(ii) ब्याज रहित जमा राशियां	34,54.50
…		(iii) अग्रिम	(-)0.51
	ठ-	**उचन्त और विविध**	
16,96.28		(i)निवेश	…
…		(ii) अन्य मदे (निवल)	(-)15,39.83
	ड-	**प्रेषण**	
…		(i) एक ही लेखा अधिकारी को लेखे प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों के बीच रोकड़ प्रेषण व समायोजन	5,46.02
…		(ii)अर्न्तसरकारी समायोजन लेखे	(-)4.11
59.96 (ख)	ढ-	**रोकड़ शेष**	…
6,78,88.30			**6,78,88.30**

(क) इन आंकड़ों को समझने के लिए कृपया (ख)पृष्ठ संख्या 38 (खण्ड-I) देखें।

(ख) रोकड. -शेष में शामिल" रिजर्व बैंक के पास जमाँ से सम्बन्धित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किए गए आंकडों तथा लेखाओं में प्रदर्शित किए गए आंकडों के बीच अन्तर था । इस विसंगति का समाधान किया जा रहा है । पृष्ठ संख्या 206 (खण्ड-II) पर दी गई पाद-टिप्पणी (क) भी देंखे ।

13.समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अधीन शेषों का सार

ख. सरकारी लेखाः- सरकारी लेखों में अपनाई गई बही खाता पद्धति के अन्तर्गत राजस्व, पूंजीगत और अन्य सरकारी लेन-देनों के अन्तर्गत बुक किए गए वे लेखे जिनके बकायों को वर्ष-प्रतिवर्ष अग्रेषित नहीं किया जाता है,उन्हें ''सरकारी लेखा'' नामक एकल शीर्ष के अन्तर्गत बन्द कर दिया जाता है। इस शीर्ष के अन्तर्गत बकाया इस प्रकार के सभी लेन-देनों के संचित परिणामों को प्रकट करता है।इसमें लोक ऋण, ऋण और अग्रिम, लघु बचतें, भविष्य निधियां, आरक्षित निधियां, जमा और अग्रिम, उचन्त और विविध (विविध सरकारी लेखाओं के अतिरिक्त),प्रेषण और आकस्मिक निधि आदि के अन्तर्गत बकायों को जोड़ कर वर्ष के अन्त में रोकड़ अन्त शेष निकाला जा सके और उसे प्रमाणित किया जा सके।

सारांश के अन्य शीर्ष सरकारी बहियों के उन लेखा शीर्षो के अन्तर्गत बकायों को सम्मिलित करते हैं, जिनमें सरकार का प्राप्त किए गए धन को लौटाने का दायित्व है या जहां सरकार अदा की गई रकम वसूल करने का अधिकार रखती है और ऐसे लेखाओं के शीर्ष भी सम्मिलित हैं, जो प्रेषण से सम्बन्धित लेन-देनों के समायोजन के लिए बहियों में खोले जाते हैं।

यह जानना आवश्यक है कि ये बकाए सरकार की वित्तीय स्थिति के सम्पूर्ण अभिलेख नहीं कहे जा सकते क्योंकि ये राज्य की सारी प्रत्यक्ष परिसम्पत्तियों जैसे भूमि, भवन, संचार साधन आदि और न ही उपचित देयों या बकाया दायित्वों, को सम्मिलित नहीं करते जिनका सरकार द्वारा अपनाई गई रोकड़ लेखा पद्धति के अन्तर्गत लेखांकन नहीं किया जाता है।

वर्ष के अन्त में सरकारी लेखे के नामे डाली गई शुद्ध राशि निम्नलिखित प्रकार से हैः-

नामे	विवरण	जमा
		(₹ करोड़ में)
5,30,41.48	क- 1 अप्रैल 2020 को सरकारी लेखे में नामे शेष	
…	ख- प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)	3,34,38.27 *
…	ग- प्राप्ति शीर्ष (पूंजीगत लेखा)	2.88
3,35,34.93	घ- व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)	…
53,09.21	ड.- व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा)	…
…	च- उचंत और विविध (विविध सरकारी लेखा)	…
…	छ- 31 मार्च 2021 को सरकारी लेखों में नामे शेष	5,84,44.47
9,18,85.62	**जोड़**	**9,18,85.62**

टिप्पणीः- कई मामलों में अन्तिम शेषों में असमायोजित भिन्नताएं है जैसा कि प्राप्ति, वितरण और आकस्मिक निधि तथा लोक लेखे की विवरणियों (विवरणी-16) में बताया गया है व लेखा कार्यालय/विभागीय कार्यालय के इस उद्देश्य से बनाए गए रजिस्टरों अथवा रिकार्ड में दर्शाया गया है। विसंगतियों के समाधान के लिए पग उठाये जा रहे है।

अन्तिम शेष प्रत्येक वर्ष सम्बन्धित अधिकारियों को निरीक्षण और सहमति हेतु प्रेषित किये जाते है। अधिकतर मामले में सहमतियाँ प्राप्त नहीं होती ।

* पृष्ठ संख्या 4 पर पाद टिप्पणी (खण्ड-I) देखें।

लेखाओं पर टिप्पणियाँ

1. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सारः

(i) लेखाकरण अवधि तथा अस्तित्वः यह लेखे हिमाचल प्रदेश सरकार के 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लेनदेनों को प्रस्तुत करते हैं । हिमाचल प्रदेश सरकार से सम्बन्धित प्राप्तियों एंव व्यय के लेखाओं को 18 जिला कोषागारों, 89 लोक निर्माण मण्डलों, 61 जल शक्ति विभाग द्वारा प्रेषित प्रारंभिक लेखाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक की सम्मतियों के आधार पर संकलित किया गया है । किसी भी लेखे को वितीय वर्ष के अन्त में असमायोजित नहीं रखा गया है ।

(ii) लेखाकरण के आधारः कुछ बुक समायोजन (**अनुबन्ध-क**) के अपवाद सहित, लेखे लेखा अवधि के दौरान वास्तविक रोकड़ प्राप्तियों तथा संवितरणों को दर्शाते हैं । सरकारी निवेश आदि प्रत्यक्ष परिसम्पतियों एवं वित्तीय परिसम्पतियों को ऐतिहासिक लागत अर्थात अर्जन/खरीद वर्ष के मूल्य पर दर्शाया जाता है । प्रत्यक्ष परिसम्पत्तियों को अवमूल्यित या ऋण परिशोधित नहीं किया जाता है । प्रत्यक्ष परिसम्पत्तियों में हुई क्षतियों को उनके समाप्ति काल पर खपाया या मान्य नहीं किया गया है ।

लेखा अवधि के दौरान संवितरित किए गए सेवानिवृति लाभांशों को लेखाओं में दर्शाया गया है, परन्तु सरकार की भविष्य में पैंशन देयताओं अर्थात कर्मचारियों की पिछली एवं वर्तमान सेवाओं से सम्बन्धित सेवा-निवृति लाभाशों की भुगतान-सम्बन्धी देयताओं को लेखाओं में सम्मिलित नहीं किया गया है ।

(iii) लेखाओं को रखने की मुद्राः हिमाचल प्रदेश सरकार के लेखे भारतीय ₹ में रखे जाते हैं ।

(iv) लेखाओं का स्वरूपः संविधान के अनुच्छेद-150 के अधीन, संघ एवं राज्य के लेखाओं को उसी स्वरूप में रखा जाता है जैसा कि भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक के परामर्श पर राष्ट्रपति महोदय निर्धारित करें । अनुच्छेद-150 में प्रयुक्त शब्द 'स्वरूप' का व्यापक अर्थ है जिसमें न केवल लेखाओं को रखे जाने के विस्तृत स्वरूप का निर्धारण ही शामिल है अपितु लेनदेनों के वर्गीकरण के सम्बन्ध में उचित लेखा-शीर्षो के चयन के आधार को भी सम्मिलित किया गया है।

(v) पूंजीगत एवं राजस्व/व्यय का वर्गीकरणः राजस्व व्यय आवर्ती प्रकृति का व राजस्व प्राप्तियों से पूरा किया जाने वाला होता है । पूंजीगत व्यय को स्थायी प्रकृति की और ठोस परिसम्पत्तियों में वृद्धि अर्जन/ उत्पत्ति करने तथा स्थायी दायित्वों को कम करने के उददेश्य से किए गए व्यय के रूप में परिभाषित किया गया है ।

2. समेकित निधि :

(i) माल एंव सेवा करः माल एंव सेवा कर (जी0 एस0 टी0) 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था । वर्ष 2020-21 के दौरान, राज्य का माल एंव सेवा कर संग्रह वर्ष 2019-20 में ₹3,550.34 करोड़ की तुलना में ₹83.76 करोड़ की कमी (2.36 *प्रतिशत*) के साथ ₹3,466.58 करोड़ था। इसमें आई0 जी0 एस0 टी0 का अग्रिम मुल्यांकन राशि ₹344.82 करोड़ शामिल है । इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय माल एवं सेवा कर के तहत राज्य को सौंपे गये शुद्ध आय के अपने हिस्से के रूप में ₹1,419.55 करोड़ प्राप्त हुए । माल एवं सेवा कर के तहत कुल प्राप्तियां ₹4,886.13 करोड थी । वर्ष 2020-21 के दौरान माल एवं सेवा कर के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले राजस्व के नुकसान के कारण राज्य ने ₹1,763.53 करोड़ मुआवजा प्राप्त किया । वर्ष 2020-21 के दौरान प्राप्त किये कुल मुआवजे में से, ₹1,017.67 करोड वर्ष 2019-20 के थे ।

(ii) गलत वर्गीकरण राजस्व एव पूंजीगत व्यय के बीचः वर्ष 2020-21 के दौरान,हिमाचल प्रदेश सरकार ने ₹8.23 करोड़ राजस्व भाग में पूंजीगत भाग के स्थान पर तथा ₹10.51 करोड़ पूंजीगत भाग में राजस्व भाग के स्थान पर गलत वर्गीकृत किये जैसा कि व्यय के उददेश्य से निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार के राजस्व घाटे पर गलत वर्गीकरण का प्रभाव पैरा संख्या 07 में दर्शाया गया है:-

(iii) प्रमुख नियन्त्रण अधिकारियों तथा प्रधान महालेखाकार (ले0 व ह0) के मध्य प्राप्ति तथा व्यय का मिलानः सरकार की प्राप्तियों तथा व्यय के आंकड़ों का प्रधान महालेखाकार (ले0 व ह0) हिमाचल प्रदेश द्वारा लेखाबद्ध आंकड़ों के साथ सभी नियन्त्रण अधिकारियों द्वारा मिलान किया जाना अनिवार्य है । वर्ष के दौरान, प्राप्तियों ₹33,441.15 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 100 *प्रतिशत*) एवं व्यय ₹38,844.14 करोड़ (कुल व्यय का 100 *प्रतिशत*) का मिलान राज्य सरकार द्वारा कर लिया गया है ।

(iv) लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत प्रविष्टि- ''अन्य प्राप्तियां'' तथा ''अन्य व्यय'': लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय/800-अन्य प्राप्तियां का संचालन केवल तब किया जाना चाहिये जब लेखों में उपयुक्त लघु शीर्ष उपलब्ध नहीं करवाया गया हो । लघु शीर्ष 800 का नियमित संचालन हतोत्साहित किया जाना चाहिये, क्योंकि यह लेखों को अपारदर्शी बनाता है । वर्ष 2020-21 के दौरान, 41 मुख्य लेखा शीर्षों के तहत ₹970.24 करोड़ कुल राजस्व एवं पूंजीगत व्यय (₹38,844.14 करोड़) का 2.50 *प्रतिशत,* लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत लेखों में वर्गीकृत किया गया था । लघुशीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए पर्याप्त व्यय (20 *प्रतिशत* और ₹5.00 करोड़ से अधिक) का विवरण **अनुलग्नक-ख** में दिया गया है ।

इसी प्रकार, 48 मुख्य लेखा शीर्षों के तहत ₹1,331.89 करोड़, कुल राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों (₹33,441.15 करोड़) का 3.98 प्रतिशत, लेखों में 800-अन्य प्राप्तियों में वर्गीकृत किया गया था। लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत की गई पर्याप्त प्राप्तियों (20 *प्रतिशत* और ₹5.00 करोड़ से अधिक) का विवरण **अनुलग्नक -ग** में दिया गया है ।

(v) बिना सलाह के नए उप शीर्षों/विस्तृत लेखा शीर्षों का खोलना: हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने 2020-21 के दौरान बजट में 148 नए उप शीर्ष (राजस्व भाग के तहत 111, पूंजीगत भाग के तहत 37) भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के प्रावधानों के तहत इस विषय में प्रधान महालेखाकार की सलाह के बिना खोले। राज्य सरकार ने 2020-21 के दौरान इन शीर्षों के तहत बजट प्रावधान प्रदान किए और राजस्व भाग के तहत ₹609.58 करोड़ और पूंजीगत भाग के तहत ₹1,635.18 करोड़ का व्यय इन शीर्षों में किया ।

(vi) अनाधिकृत लेखा शीर्ष का संचालन: सी0जी0ए0 व्यय विभाग, भारत सरकार ने शोधन पर्ची संख्या 832 दिनांक 06 जनवरी 2017 से उप मुख्य शीर्ष ''01-गैर-योजना ऋण'' और ''02-ऋण राज्य/संघ क्षेत्र योजना'' के लिए मुख्यशीर्ष "6004-केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 से नए लेनदेन के लिए संचालन बंद कर दिया था । हालांकि, 01 अप्रैल 2017 से पहले वितरित किए गए पुराने बकाया ऋणों की चुकौती इन उप मुख्यशीर्षों में तब तक जारी रहेगी जब तक कि यह पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाती। सी0जी0ए0 ने नए लेनदेनों के लेखांकन के लिए मुख्यशीर्ष 6004 के तहत नई उप मुख्य शीर्ष ''08-केंद्र प्रायोजित योजनाएं'' और ''09-राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधान मंडल योजनाओं'' के साथ अन्य ऋण 01 अप्रैल 2017 से खोले थे ।

इसी तरह, वित्तीय वर्ष 2019-20 से मुख्यशीर्ष ''5002-पूंजीगत परिव्यय पर भारतीय रेलवे-वाणिज्यिक लाईन'' के तहत उप-प्रमुख शीर्ष ''01-पूंजीगत लाभांश देयता'' को भी बंद कर दिया गया था । नए उप मुख्य शीर्ष, ''03-पूंजीगत परिव्यय'' को मुख्य शीर्ष-5002 के तहत शोधन पर्ची संख्या 920 दिनांक 12 अक्तुबर 2018 के माध्यम से नए लेन देन के लेखांकन के लिए सी0जी0ए0 द्वारा खोला गया था ।

राज्य सरकार अभी भी नए लेनदेन के लिए ऊपर दिए गये बंद (अनाधिकृत) लेखा शीर्ष का संचालन कर रही है । वर्ष 2020-21 के दौरान इन लेखा शीर्षों के अंतर्गत वास्तविक लेन देन की तुलना में बजट प्रावधान का विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष	प्राप्ति/व्यय	बजट प्रावधान	वास्तविक प्राप्ति/व्यय
6004-01	प्राप्ति	शुन्य	0.07
6004-02	प्राप्ति	65.90	2,311.80
6004-01	व्यय	0.44	0.44*
6004-02	व्यय	93.70	93.70#
5002-01	व्यय	92.83	100.00

* 01 अप्रैल 2017 से पहले वितरित किए गए ऋणों के पुर्नभुगतान से संबंधित ₹0.43 करोड़ शामिल हैं ।

01 अप्रैल 2017 से पहले वितरित किए गए ऋणों के पुर्नभुगतान से संबंधित ₹87.26 करोड़ शामिल हैं ।

(vii) व्यक्तिगत जमा खातों में निधियों का अन्तरण: पी.डी. खाते नामित आहरण अधिकारियों को किसी योजना से संबंधित विशिष्ट उद्देश्यों के लिए व्यय करने में सक्षम बनाते है; राज्य की समेकित निधि में सेवा शीर्षों को नामे करके और मुख्य शीर्ष ''8443-नागरिक जमा'' और लघु शीर्ष ''106-व्यक्तिगत जमा'' के तहत जमा करना। पी.डी. खातों के प्रशासकों को वर्ष के अंतिम कार्य दिवस पर ऐसे खातों को बंद करने और अव्ययित शेष राशि को समेकित निधि में वापस स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है ।

वर्ष 2020-21 के दौरान, राज्य की समेकित निधि को नामे करके पी.डी. खाते में कोई भी राशि स्थानांतरित नहीं की गई है । तथापि, चालान के माध्यम से ₹0.16 करोड़ की राशि जमा की गई। इसमें मार्च 2021 में जमा किए गए

₹0.05 करोड़ शामिल है। यह वर्ष के दौरान पी.डी. खाते में कुल जमा का 31.25 प्रतिशत है, जिसमें से, ₹0.03 करोड़ मार्च 2021 के अंतिम कार्य दिवस पर जमा किए गए थे ।

हिमाचल प्रदेश कोषागार नियम 2017 के नियम 200(4) के अनुसार, एच.पी.एफ.आर. फार्म 23 में पास बुक का रखरखाव फंड के प्रशासक द्वारा किया जाना है और इसे महीने में कम से कम एक बार डी.टी.ओ./टी.ओ. को भेजना है। जिला कोषागार अधिकारी (डी.टी.ओ.)/कोषागार अधिकारी (टी.ओ.) यह देखने के लिए जिम्मेदार है कि पास बुक के प्रत्येक तरफ की प्रविष्टियां समान है और शेष राशि को कोषागार खाते से सहमत और मिलान किया गया है। तब पुस्तक पर डी.टी.ओ./टी.ओ. द्वारा हस्ताक्षर किए जायेंगे । प्रत्येक पी.एल.ए. के प्रशासक से इस आशय का एक प्रमाण पत्र कि दावा की गई शेष राशि समान राशि की है और कोषागार के आंकड़ों से सहमत है, वर्ष के समापन के साथ प्राप्त किया जाएगा ।

व्यक्तिगत जमा खातों के प्रशासकों ने अपने शेष को कोषागार के आंकड़ों के साथ मिलान और सत्यापित किया और प्रधान महालेखाकार (ले0 व ह0) कार्यालय को आगे संचरण के लिए कोषाधिकारी को वार्षिक सत्यापन प्रमाण भी प्रस्तुत किया गया था ।

पी.डी.खातों का 31 मार्च 2021 को विवरण नीचे दिया गया हैः

(₹ करोड़ में)

1 अप्रैल 2020 को अथ शेष		**वर्ष 2020-21 के दौरान परिवर्धन**		**वर्ष 2020-21 के दौरान बंद/निकासी**		**31 मार्च 2021 को अंतिम शेष राशि**	
प्रशासकों की संख्या	**राशि**	**प्रशासकों की संख्या**	**राशि**	**प्रशासकों की संख्या**	**राशि**	**प्रशासकों की संख्या**	**राशि**
112	2.82	01	-0.13*	01	0.51	112	2.18

* ऋणात्मक राशि व्यपगत राशि के रूप में प्रकट होती है 2020-21 के दौरान जो जमा की गई रसीद से अधिक है ।

(viii) असमायोजित सार आकस्मिक (ए.सी.)बिलः हिमाचल प्रदेश कोषागार नियम 2017 के नियम 187 के अनुसार, ए.सी.बिलों पर अग्रिम निकासी की अनुमति डी0डी0ओ0 द्वारा दर्शायी परिस्थितियों के लिए वित्त विभाग द्वारा निर्दिष्ट कारणों को लिखित रूप में दर्ज करने के बाद दी जायेगी। संबंधित एस.ओ.ई में निधियों की उपलब्धता होने पर डी.डी.ओ. अग्रिम भी आहरित कर सकते है। लेकिन डी0टी0ओ0/टी0ओ0 द्वारा एक समय में केवल एक ही अग्रिम स्वीकृत/पास किया जा सकता है। अग्रिम को उसी वित्तीय वर्ष के दौरान विधिवत समायोजित करना होगा। यह संबंधित डी0डी0ओ0 की जिम्मेदारी होगी कि वह उसी वित्तीय वर्ष के दौरान अग्रिम समायोजित करवाए जिसमें वह लिया गया है। अग्रिम मार्च के महीने में भी अधिकृत किया जा सकता है, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए डी.डी.ओ./एच.ओ.डी. की जिम्मेदारी होगी कि इन्हें वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले समायोजित किया जाए। दूसरा अग्रिम केवल तभी अधिकृत किया जाएगा जब पहले को विधिवत समायोजित किया गया हो ।

डी.टी.ओ./टी.ओ. अग्रिम को अग्रिम रजिस्टर में अलग से दर्ज करेंगें। वे निगरानी करेंगे कि संबंधित कोषागार द्वारा प्रधान महालेखाकार (ले0 व ह0) हिमाचल प्रदेश को विस्तृत आकस्मिक बिल के माध्यम से उसी वित्तीय वर्ष के भीतर इनका लेखा-जोखा दिया जाना है। तथापि राज्य सरकार ने सार आकस्मिक बिलों (ए.सी.) के विरूद्ध निकाले गये अग्रिम की पहचान करने व विस्तृत आकस्मिक बिलों (डी.सी.) के रूप में उनके समायोजन की निगरानी करने के लिए कोई प्रक्रिया विकसित नहीं की गई है ।

(ix) सहायता अनुदान के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र(यू.सी.)प्राप्त नहीं हुआः हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के नियम 157 के अनुसार अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थान या संगठन सहायता अनुदान के उपयोग के बाद सरकार को लेखा परीक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे ।

तथापि,एच.पी.एफ.आर. में यूसी जमा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है । सी.ए.जी. एम.एस.ओ. (ले0 व ह0) खंड-I में निहित प्रावधानों और अनुदान के स्वीकृति आदेशों में निर्धारित शर्तों के आधार पर अधिकारियों से उपयोगिता प्रमाण पत्रों पर जोर दिया जाता है।

उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने की सीमा तक, इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि वित्त खातों में दर्शाई गई राशि लाभार्थियों तक पहुंच गई थी और इस प्रकार व्यय को सही या अंतिम के रूप में प्रमाणित नहीं किया जा सकता है ।

वर्ष 2020-21 के दौरान, ₹2,776.97 करोड़ के 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुके थे। 31 मार्च 2021 को लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की स्थिति नीचे दी गई है:

वर्ष*	प्रतीक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2018-19 तक	573	584.42
2019-20	914	1,002.65
2020-21	1,312	1,970.76
कुल	**2,799**	**3,557.83**

*वर्णित वर्ष, ''देय वर्ष'' अर्थात वास्तविक आहरण से 12 माह बाद से सम्बन्धित है।

₹2,528.07 करोड़ की राशि के लिए 2,124 यूसी का शुद्ध परिवर्धन (09/2021 तक की शुद्ध निकासी) था जो वर्ष 2021-22 में जमा करने के लिए देय होंगें ।

प्रमुख दोषी विभाग जिन्होंने यूसी जमा नहीं किया था वह है पंचायती राज विभाग(₹1,269.55 करोड़, 35.68 प्रतिशत), शहरी विकास विभाग (₹745.69 करोड़, 20.96 प्रतिशत), ग्रामीण विकास विभाग (₹454.98 करोड़, 12.79 प्रतिशत), आयुष विभाग (₹349.92 करोड़, 9.84 प्रतिशत) और शिक्षा विभाग (₹340.99 करोड़, 9.58 फीसदी)। उच्चतम लंबित मामलों वाले संबंधित विभागों के उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का आयु विश्लेषण **अनुबंध-घ** में दर्शाया गया है ।

(x) सेवानिवृति लाभों के प्रति देयताएं: वर्ष के दौरान 14.05.2003 को या उससे पहले भर्ती किए गए राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए ''पैंशन और अन्य सेवानिवृति लाभ'' पर व्यय ₹5,543.79 करोड़ था (राष्ट्रीय पैंशन प्रणाली के व्यय को छोड़कर)।

(xi) ब्याज समायोजन: सरकार ञे-रिजर्व फंड (क.सब्याज आरक्षित निधिया) और ट-जमा और अग्रिम (क.सब्याज जमा राशियां) के तहत शेष राशि के संबंध में ब्याज का भुगतान/समायोजन करने के लिए उत्तरदायी है, और इस उद्देश्य के लिए, विशिष्ट उप-प्रमुख शीर्ष लेखा के प्रमुख और लघु शीर्षों की सूची में प्रदान किए जाते हैं ।

वर्ष 2020-21 के दौरान सरकार द्वारा भुगतान की गई इन निधियों/जमाओं और ब्याज का विवरण नीचे दिया गया है ।

(₹ करोड़ में)

फंड/जमा	1 अप्रैल 2020 को शेष	ब्याज की गणना के लिए आधार	ब्याज बकाया	ब्याज भुगतान
राज्य प्रतिपूरक वन रोपण जमा	1,660.72	भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार ब्याज की गणना	107.50	107.50
राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि*	1.00	आर.बी.आई. द्वारा अधिसूचित ब्याज की गणना	0.06	शुन्य
कुल	**1,661.72**		**107.56**	**107.50**

* विवरण संख्या 21 में मुख्य शीर्ष 8121-122 के तहत 01 अप्रैल 2020 को ₹226.93 करोड़ में से ₹1.00 करोड़ अव्ययित है और ₹225.93 करोड़ ओ. बी. उचंत के अधीन है। (2020-21 के दौरान दर्ज किया गया)

(xii) निवेश: वित्त लेखे की विवरणी 8 और 19 में प्रदर्शित होने वाले सरकारी निवेश की जानकारी प्रधान महालेखाकार (ले0 व ह0) द्वारा प्राप्त खातों और स्वीकृतियों पर आधारित है, लेकिन संबंधित विभागों (वित्त सहित) और निवेशित संस्था द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई है। सरकार ने 2020-21 में ₹301.34 करोड़ का निवेश किया। 31 मार्च 2021 को ₹4,562.40 करोड़ के सरकारी निवेश से 2020-21 के दौरान ₹245.43 करोड़ (5.38 प्रतिशत) का लाभांश प्राप्त हुआ ।

31 मार्च 2021 तक सरकारी निवेश का विवरण इस प्रकार हैः

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	संस्थाओ की संख्या	वर्ष 2020-21 के अंत तक निवेश
वैधानिक निगम	6	1,793.32
सरकारी कंपनियां	24	1,607.89
अन्य सयुंक्त स्टॉक कम्पनियां एवं सांझेदार	14	1,098.24
सहकारी बैंक और समितियां	26	62.95
कुल	**70**	**4,562.40**

(xiii) सरकार द्वारा दी गई गारंटियांः हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम 2005, 2011में संशोधित, के अनुसार किसी भी वर्ष की कुल बकाया सरकारी गारंटियां पिछले वर्ष की राज्य राजस्व प्राप्तियों के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। वर्ष 2020-21 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा गांरटीकृत राशि ₹418.03 करोड़ है। 31 मार्च 2021 को बकाया गारंटियां ₹2,141.76 करोड़ थी, जो वर्ष 2019-20 (₹30,742.41 करोड़) की राज्य राजस्व प्राप्तियों का 6.97 प्रतिशत है और निर्धारित सीमा के भीतर है ।

2020-21 के दौरान,राज्य सरकार को गांरटी कमीशन के रूप में ₹2.16 करोड़ प्राप्त हुए,जोकि 2020-21 के दौरान गारंटीकृत राशि का 0.52 *प्रतिशत* (₹418.03 करोड़) था। वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुसार हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के नियम 168 के तहत, सरकार गारंटी जारी करने के बाद गारंटीकृत राशि का 1.00 *प्रतिशत* गांरटी शुल्क व 0.2 *प्रतिशत* प्रतिबद्धता शुल्क वसूल करेगा। विवरण वित्त लेखे के विवरणी संख्या 09 और 20 में दिया गया है ।

(xiv) पारिस्थितिकी और पर्यावरण पर व्ययः राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, 2006 सभी विकासात्मक गतिविधियों में पर्यावरण सम्बन्धी चिन्ताओं को मुख्यधारा में लाने के लिए उद्धिष्ट है । ''पर्यावरण'' ''प्रदूषण की रोकथाम और नियन्त्रण'' ''पर्यावरण अनुसंधान और शिक्षा'' ''पर्यावरण संरक्षण'' आदि सम्बन्धित बजट और व्यय के आंकड़े राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त वाऊचरों/बजट दस्तावेजों आदि से संकलित किये जाते है ।

उपरोक्त सभी पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों के प्रति राज्य सरकार द्वारा किये गये व्यय को विभिन्न कार्यात्मक लेखा शीर्ष के अधीन लघु शीर्ष के स्तर तक वित्त लेखे में मुख्य शीर्ष 3435 में दर्शाया गया है । वर्ष 2020-21 के दौरान मुख्य शीर्ष 3435 के अन्तर्गत ₹1.88 करोड़ के बजट आबंटन के विरूद्ध हिमाचल प्रदेश सरकार ने ₹1.88 करोड व्यय दर्शाया है। वर्ष 2020-21 के दौरान किया गया व्यय ₹1.88 करोड था, यानी राजस्व व्यय का 0.01 *प्रतिशत* । बजट व्यय का विवरण की तुलना में **अनुबन्ध-ङ** में दिया गया है ।

(xv) आपत्ति पुस्तिका में उचन्त खाते के तहत दर्ज लेन देन और आहरण व संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में निधियों का अन्तरणः 2020-21 के दौरान, उप वाऊचर, स्वीकृति आदेश और अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रदान न करने के कारण ₹227.65 करोड (राजस्व व्यय ₹81.77 करोड़ और पूंजीगत व्यय ₹145.88 करोड़) की राशि को प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) की पुस्तकों में उचन्त खाते में रखा गया है। इस प्रकार, वित्त लेखे में कथित राशि को राजस्व व्यय/पूंजीगत व्यय के रूप में और विनियोजन लेखे में वर्ष 2020-21 के बजट प्रावधानों के विरूद्ध वास्तविक खर्चे के रूप में नहीं लिया गया है । उचन्त के अधीन रखी गयी राशि की मुख्य शीर्ष वार स्थिति **अनुबंध-च** में दी गयी है ।

इसके अलावा, लेन-देन की जांच से पता चला कि 2020-21 के दौरान, खजाने से आहरित ₹1,350.50 करोड़ की राशि को प्रारंभ में डी.डी.ओ. के बैंक खातों में अंतरित किया गया, जो हिमाचल प्रदेश कोषागार नियम 2017 के नियम 183(v) व 184(1) का उल्लंघन था।

(xvi) पांच वर्ष और उससे अधिक आयु की अधूरी परियोजनाएः राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, जल शक्ति विभाग के तहत 40 अधूरी परियोजनाएं और बी0 एंड आर0 विभाग के तहत 38 अधूरी परियोजनाएं है, जिनकी

आयु पाँच वर्ष या उससे अधिक है। संशोधित लागत और लागत में वृद्धि सहित अधूरी परियोजनाओं का विवरण वित्त लेखे के परिशिष्ट-9 में दिया गया है ।

(xvii) विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को धन का हस्तांतरणः राज्य सरकार केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं, केंद्र प्रायोजित योजनाओं,राज्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अनुदान के रूप में पंचायती राज संस्थाओं/स्थानीय शहरी निकाय,सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम,स्वायत्त निकायों और प्राधिकरणों आदि को धन प्रदान करती है। 2020-21 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को सरकारी योजना/कार्यों/कायक्रमों के कार्यान्वयन के लिए ₹4,563.11 करोड़ की राशि दी गई। सरकारी खातों (बैंक खातों में) के बाहर रखे गए कार्यान्वयन एजेंसियो के खातों में अव्ययित शेष की कुल राशि आसानी से सुनिश्चित नहीं है। अतः उस सीमा तक लेखों में दर्शाया गया सरकारी व्यय अंतिम नहीं है ।

(xviii) केंद्रीय ऋणों का बट्टे खाते में डालनाः दिनांक 29 फरवरी 2012 के सभी आदेशों की श्रृंखला में तेरहवें वित्त आयोग वित्त मन्त्रालय, भारत सरकार की सिफारिशों के दृष्टिगत केन्द्रीय योजना तथा केन्द्रगत प्रायोजित स्कीमों से सम्बन्धित 31 मार्च 2010 तक विभिन्न मंत्रालयों द्वारा राज्य सरकार को दिए गए ऋणों (स्वयं वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए ऋणों के अलावा) को माफ कर दिया गया था। वित्त मंत्रालय ने राज्य सरकारों को आदेश की प्रभावी तिथि (31 मार्च 2010) से किए गए मूलधन और ब्याज की अधिक चुकौती को समायोजित करने और वित्त मंत्रालय को भविष्य में भुगतान के खिलाफ इसके कार्यान्वयन की अनुमति दी है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 31 मार्च 2021 के अंत तक ₹15.58 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया था, जिसमें से वित्त मंत्रालय ने अब तक ₹12.31 करोड़ का समायोजन किया है ।

(xix) 2020-21 के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिमः हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2020-21 के दौरान आर.बी.आई. से ₹7744.48 करोड़ के अर्थोपाय अग्रिम प्राप्त किए । उन्होंने 2020-21 के दौरान लिए गए पूरे अर्थोपाय अग्रिम का भुगतान किया । 2020-21 के दौरान अर्थोपाय अग्रिम पर चुकाया गया ब्याज ₹6.12 करोड़ था ।

(xx) प्रतिबद्ध देयताएंः बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा लेखांकन के उपचय आधार की ओर बढ़ने के लिए कुछ कार्रवाई शुरू की गई है । हालांकि बदलाव चरणों में होगा, लेखांकन की उपचय आधारित प्रणाली में बदलाव के लिए, निर्णय में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विवरण के रूप में कुछ अतिरिक्त जानकारी को नकद लेखांकन की वर्तमान प्रणाली में जोड़ा जाना आवश्यक है। राज्य सरकार को प्रतिबद्ध देनदारियों के बारे में जानकारी देनी थी; इसे बजट के साथ विधानसभा में रखे गए एफ.आर.बी.एम. प्रकटीकरण से लिया गया है और परिशिष्ट-XII में दर्शाया गया है ।

(xxi) ब्लॉक अनुदानों को छोड़कर केंद्र प्रायोजित योजनाओं(सी.एस.एस.)/अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (ए.सी.ए.) का पुनर्गठनः योजना/गैर-योजना के विलय के परिणाम स्वरूप, जारी की गई केंद्रीय सहायता को अब केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत केंद्रीय सहायता/शेयर के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।

2020-21 में हिमाचल प्रदेश सरकार की केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत केंद्रीय सहायता/शेयर के लिए लेखा महानियंत्रक (सी.जी.ए.) के सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पी.एफ.एम.एस.) पोर्टल में दर्शाए गए ₹18,668.09 करोड़ के मुकाबले, आर.बी.आई कास नागपुर से क्लीयरेंस मेमो, और संबंधित मंत्रालयों से समर्थन स्वीकृति आदेश ₹18,412.58 करोड़ (केंद्रीय मंत्रालय/विभागों द्वारा पी.एफ.एम.एस. पोर्टल के माध्यम से लाभार्थियों को सीधे हस्तांतरण को छोड़कर) के लिए प्राप्त हुए थे। केंद्र सरकार से मुख्य शीर्ष ''1601 सहायता अनुदान'' के तहत राज्य सरकार के खातों में इसे उचित रूप से दर्ज किया गया है ।

केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत बुक किया गया कुल खर्च ₹3,906.33 करोड़ (राजस्व व्यय ₹2,213.11 करोड़ और पूंजीगत व्यय ₹1,693.22 करोड़) है, जिसमें केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता और राज्य के हिस्से का खर्च शामिल है ।

(xxii) राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियों को केंद्रीय योजना निधि का प्रत्यक्ष हस्तांतरण(राज्य बजट के अलावा दी गईं निधियां): सी.जी.ए. के पी.एफ.एम.एस. पोर्टल के अनुसार 2020-21 के दौरान राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे ₹1,866.98 करोड़ प्राप्त हुए । वर्ष 2020-21 के दौरान केंद्र सरकार द्वारा राज्य को हस्तांतरित कुल राशि ₹20,535.07 करोड़ थी (आर.बी.आई. और अन्य स्त्रोतों के माध्यम से हस्तांतरित राशि सहित) ।

कार्यान्वयन एजेंसियों को निधि का प्रत्यक्ष हस्तांतरण 2019-20 की तुलना में 36.01 *प्रतिशत* बढ़ गया है (2019-20 में ₹1,372.69 करोड़ से 2020-21 में ₹1,866.98 करोड़)। विवरण परिशिष्ट-VI में हैं ।

3. आकस्मिकता निधिः राज्य की आकस्मिक निधि हिमाचल प्रदेश आकस्मिक निधि अधिनियम, 1971(1971 का अधिनियम संख्या 9) के तहत स्थापित और भारत का संविधान के अनुच्छेद 267 के खंड (2) के तहत बनाया गया है । निधि को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के निपटान में रखा जाएगा, जो कानून द्वारा बनाए गए विनियोगों के तहत राज्य के विधान-मंडल द्वारा ऐसे व्यय के प्राधिकरण के लंबित राज्य के अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए समय-समय पर अग्रिम करने के प्रयोजनों के अलावा इसे खर्च नहीं करेगा; और इस तरह के कानून के लागू होने के तुरंत बाद, पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए राज्यपाल द्वारा दी गई राशि या राशि के बराबर राशि को फंड के क्रेडिट में रखा गया माना जाएगा और इस तरह हंस्तांतरित या समझी गई राशि हस्तांतरित सभी उद्देश्यों के लिए निधि का हिस्सा होगा। हिमाचल प्रदेश राज्य की आकस्मिकता निधि में ₹5.00 करोड़ का कोष है। वर्ष के दौरान, राज्य सरकार ने आकस्मिक निधि से कोई अग्रिम नहीं लिया है ।

4. सार्वजनिक खाताः

(i) राष्ट्रीय पैंशन प्रणालीः

15 मई 2003 को या उसके बाद भर्ती किए गए राज्य सरकार के कर्मचारी राष्ट्रीय पैंशन प्रणाली (एन.पी.एस.) के अंतर्गत आते है जो एक परिभाषित अंशदान पैंशन योजना है । योजना के संदर्भ में, कर्मचारी उसकी/ उसके बुनियादी वेतन और मंहगाई भत्ते के 10 प्रतिशत योगदान देता है और 14 प्रतिशत बुनियादी वेतन और मंहगाई भत्ते के रूप में राज्य सरकार द्वारा योगदान दिया है; और पूरी राशि नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.)/ट्रस्टी बैंक के माध्यम से नामित फंड मैनेजर को हस्तांतरित की जानी है ।

वर्ष 2020-21 के दौरान, परिभाषित अंशदान पैंशन योजना में कुल योगदान ₹956.07 करोड़ (कर्मचारियों का योगदान ₹392.29 करोड़ और सरकारी योगदान ₹563.76 करोड़ और ब्याज ₹0.02 करोड़) था जिसका लेखा मुख्य शीर्ष 8342-117 परिभाषित अंशदान पैंशन योजना के तहत लोक लेखा में किया गया था। परिभाषित अंशदान पैंशन योजना में सरकार का योगदान मुख्य शीर्ष 2071-01-117 के तहत दर्शाई गई राशि से ₹19.16 करोड़ के अंतर से है । जैसा कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 13 जनवरी 2022 के पत्र द्वारा सूचित किया गया है, आकड़ों में अंतर का कारण गैर-एन.पी.एस. ग्राहकों द्वारा सरकारी हिस्से की वापसी के कारण हो सकता है, जो पहले एन.पी.एस. में थे लेकिन कोर्ट के आदेश के कारण पुरानी पेंशन योजना में वापस आ गए हैं । उनका 50 *प्रतिशत* सरकारी हिस्सा 8342-00-117-02 में सीधे ई-चालान के माध्यम से जमा किया गया ।

राज्य सरकार ने वर्ष 2020-21 के दौरान,मुख्य शीर्ष 8342-117 परिभाषित अंशदान पैंशन योजना से ₹946.77 करोड़ हस्तांतरित किए । हालांकि, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 13 सितम्बर 2021 के पत्र द्वारा सूचित किया गया था, वर्ष 2020-21 के दौरान, ₹947.86 करोड़ एन.एस.डी.एल./ट्रस्टी बैंक को हस्तांतरित किए गए थे । ₹7.66 करोड़ क्रेडिट (प्रारंभिक शेष, ₹1.64 करोड़ ड़ेबिट) की शेष राशि मुख्य शीर्ष 8342-117 परिभाषित अंशदान पैंशन योजना एन.एस.डी.एल. को हस्तांतरित की जानी बाकी है ।

(ii) आरक्षित निधियांः आरक्षित निधियों का विवरण वित्त लेखों के विवरण 21 और 22 में उपलब्ध है। विशिष्ट उद्देश्यों के लिए चार सक्रिय आरक्षित निधियां निर्धारित की गई हैं। इन निधियों में 31 मार्च 2021 के अंत तक कुल संचित शेष ₹2,401.52 करोड़ था । जिसमें से ₹1,882.54 करोड़ सब्याज आरक्षित निधियां के अन्तर्गत और ₹518.98 करोड़ ब्याज रहित आरक्षित निधियां के अन्तर्गत थे ।

(क) सब्याज आरक्षित निधियां :

(क) राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि(एस.डी.आर.एफ.): राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के गठन और प्रशासन पर दिशा-निर्देशों के संदर्भ में (मुख्य शीर्ष-''8121 सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियाँ''के अन्तर्गत जोकि सब्याज के अंतर्गत है), केंद्र और राज्य सरकारों के 90:10 अनुपात में निधि में योगदान करने की आवश्यकता है।

वर्ष 2020-21 के दौरान, राज्य सरकार को केंद्रीय हिस्से के रूप में ₹409.00 करोड़ प्राप्त हुए। राज्य सरकार ने मुख्य शीर्ष 8121-122 एस.डी.आर.एफ. के अंतर्गत निधि में ₹454.00 करोड़ (केंद्रीय हिस्सा ₹409.00 करोड़, राज्य का हिस्सा ₹45.00 करोड़) हस्तांतरित किया। राज्य को केंद्र सरकार से एन. डी. आर. एफ. के लिए ₹2.90 करोड़ भी मिले और इसे मुख्य शीर्ष 8235-125 एन. डी. आर. एफ. के अंतर्गत निधि में हस्तांतरित कर दिया गया ।

निधि में योगदान, व्यय और उसमें शेष राशि निम्नानुसार हैः

(₹ करोड़ में)

निधि का नाम	**प्रारंभिक शेष राशि(01 अप्रैल 2020)**	**केन्द्र द्वारा योगदान**	**राज्य का हिस्सा**	**वर्ष के दौरान कुल प्राप्तियां**	**समायोजन की गई राशि (मुख्य शीर्ष 2245-05)**	**शेष राशि**	**वर्ष के दौरान आरबीआई/राज्य सरकार द्वारा निवेश**
एसडीआरएफ	226.93	409.00	45.00	454.00	447.12	233.81	शून्य
एनडीआरएफ	518.98	2.90	--	2.90	2.90	518.98	शून्य
कुल	745.91	411.90	45.00	456.90	450.02	752.79	शून्य

प्राकृतिक आपदाओं पर किए गए ₹450.02 करोड़ के व्यय का समायोजन (मुख्य शीर्ष 2245-05-901) ₹1,202.81 करोड़ के निधि शेष के विरूद्ध किया गया था । 31 मार्च 2021 के अंत तक निधि के अंतर्गत शेष राशि ₹752.79 करोड़ थी ।

(ख) राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि(एस.सी.ए.एफ.): भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों, उनके पत्र संख्या 5-1/2009-एफसी दिनांक 28 अप्रैल 2009 और 2 जुलाई 2009, के दिशा निर्देश की अनुपालना में राज्य सरकारों को राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि की स्थापना करने की आवश्यकता है जो उपयोगकर्ता एजेंसियों से प्राप्त राशि और प्रतिपूरक वनरोपण, प्राकृतिक पुर्नजनन में सहायता, वनों के संरक्षण और सुरक्षा, बुनियादी ढ़ांचे के विकास, वन्य जीव संरक्षण एवं सुरक्षा और अन्य संबंधित गतिविधियों तथा इससे सम्बन्धित अथवा इसके अलावा आकस्मिक मामलों के लिए प्राप्त राशि और एकत्रित धन का प्रशासन करेगा ।

प्रयोक्ता एजेंसियों से राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त धन राशि को मुख्य शीर्ष ''8336-नागरिक जमा'' के नीचे लघु शीर्ष स्तर पर राज्य के लोक लेखा में ब्याज अनुभाग के अन्तर्गत ''राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा'' में जमा करने की आवश्यकता है। प्रतिपूरक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 की धारा 3(4) के अनुसार,निधि का 90 प्रतिशत मुख्य शीर्ष ''8121 -राज्य के लोक लेखा में मुख्य शीर्ष ''8121 -सामान्य और अन्य आरक्षित निधि'' में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है और शेष 10 प्रतिशत राष्ट्रीय निधि में वार्षिक आधार पर जमा किया जाना है बशर्ते कि, निधियों के 10 प्रतिशत केंद्रीय हिस्से का मासिक आधार पर क्रेडिट सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि इसे राष्ट्रीय निधि में स्थानांतरित किया जा सके ।

''8336- नागरिक जमा'' के अन्तर्गत 'राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा' और ''8121- सामान्य और अन्य आरक्षित निधि'' के अन्तर्गत''राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा''में उपलब्ध शेष राशि पर लागू ब्याज की दर केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष दर वर्ष आधार पर घोषित के अनुसार होगी ।

वर्ष 2020-21 के दौरान, राज्य सरकार को प्रयोक्ता एजेंसियों से कोई राशि प्राप्त नहीं हुई। राज्य सरकार ने ''एस.सी.ए.एफ'' के अन्तर्गत उपलब्ध शेष राशि पर मुख्य शीर्ष 8121 के अन्तर्गत ₹107.50 करोड़ का कुल ब्याज जमा किया। वर्ष के दौरान ''एस.सी.ए.एफ'' से ₹119.49 करोड़ की राशि का समायोजन (मुख्य शीर्ष 2406-04-904) किया गया। 31 मार्च 2021 को ''राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि'' में कुल शेष ₹1,648.73 करोड़ था ।

(ख) ब्याज रहित आरक्षित निधियांः

(क) समेकित निक्षेप निधिः बारहवें वित्त आयोंग की संस्तुतियों के अनुसार, राज्य सरकारों द्वारा बकाया देनदारियों के प्रत्युत्सर्जन के लिए एक समेकित निक्षेप निधि बनानी अपेक्षित थी, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा संचालित करना था। आर.बी.आई. के 2006 के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार को गत वर्ष के कुल बकाया देनदारियों के 0.5 *प्रतिशत* के बराबर न्यूनतम वार्षिक अंशदान देना अपेक्षित था। यह निधि स्वैच्छिक है। राज्य सरकार द्वारा यद्यपि समेकित निक्षेप निधि का गठन अभी तक नहीं किया गया है ।

(ख) गारंटी मोचन निधिः बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा दी गई गारंटियों से उत्पन्न प्रासंगिक दायित्वों के निर्वहन हेतु गारंटी मोचन निधि स्थापित करनी अपेक्षित थी, तथा पिछले वर्ष के बकाया गारंटियों के 0.5 *प्रतिशत* के बराबर न्यूनतम वार्षिक अंशदान देना अपेक्षित था। यह निधि भी स्वैच्छिक है। यद्यपि, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा गारंटी मोचन निधि को अभी तक स्थापित नहीं किया गया है ।

(ग) **निष्क्रिय आरक्षित निधिः** हिमाचल प्रदेश में दो निष्क्रिय आरक्षित निधियां है जिनका विवरण नीचे दिया गया हैः

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	निधियों का वर्गीकरण	राशि
1.	8229-106-औद्योगिक विकास कोष	0.16
2.	8229-110-विद्युत विकास कोष	315.52

(iii) उचंत और प्रेषण शेषः वित्त लेखे उचंत और प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत शुद्ध शेषों को दर्शाते हैं। इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया राशि की गणना विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत अलग-अलग बकाया डेबिट व क्रेडिट शेषों को समग्र रूप से लेकर की जाती है । पिछले तीन वर्षों के प्रमुख उचंत शीर्षों के अंतर्गत सकल आंकड़ों की स्थिति **अनुबंध-छ** में दी गई है ।

इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया राशियों का भुगतान न होने से राज्य सरकार के विभिन्न लेखा शीर्षों (जो साल दर साल आगे ले जाया जाता है) के तहत डेबिट व क्रेडिट के आंकड़ों और शेष की सटीकता प्रभावित होती है ।

(iv) केंद्रीय सड़क कोष (सी.आर.एफ.): भारत सरकार विशिष्ट सड़क परियोजनाओं पर व्यय करने के लिए राज्य सरकार को सी0 आर0 एफ0 के तहत वार्षिक अनुदान प्रदान करती है। मौजूदा लेखांकन प्रकिया के अनुसार, अनुदानों को शुरू में मुख्य शीर्ष "1601 सहायता अनुदान" के तहत राजस्व प्राप्तियों के रूप में दर्ज किया जाना है। तत्पश्चात, इस प्रकार प्राप्त राशि को राज्य सरकार द्वारा मुख्य शीर्ष "8449-अन्य जमा-103 केन्द्रीय सड़क निधि से सबवेंशन" के तहत राजस्व व्यय मुख्य शीर्ष "3054 सड़क और पुल" के माध्यम से लोक खाते में स्थानांतरित किया जाना है । यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि अनुदान की प्राप्ति के परिणाम स्वरूप खातों में राजस्व अधिशेष को अधिक या राजस्व घाटे को कम नहीं बताया गया है । सीआरएफ के तहत निर्धारित सड़क कार्यों पर होने वाले व्यय को पहले संबंधित पूंजी या राजस्व व्यय अनुभाग(मुख्य शीर्ष 5054 या 3054)के तहत लेखा बद्ध किया जाएगा और सम्बन्धित मुख्य शीर्ष (5054 या 3054 जैसा भी मामला हो) को कटौती व्यय के रूप में मुख्य शीर्ष 8449 के तहत सार्वजनिक खाते से प्रतिपूर्ति की जायेगी। वर्ष 2020-21 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा मुख्य शीर्ष 1601 के तहत सी.आर.एफ. के लिए ₹95.95 करोड़ का अनुदान प्राप्त किया और मुख्य शीर्ष 5054 से सीधे मुख्य शीर्ष "8449-अन्य जमा-103 केन्द्रीय सड़क निधि से सबवेंशन" के तहत सार्वजनिक खाते के संचालन के बिना ₹159.77 करोड़ का व्यय किया। मुख्य शीर्ष "3054-80-797-जमा खातों में अंतरण" या अन्य किसी उपयुक्त संबधित लेखा शीर्ष से मुख्य शीर्ष "8449-अन्य जमा-103 केन्द्रीय सड़क निधि सबवेंशन" में धन राशि के हस्तांतरण के लिए कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया था। परिणाम स्वरूप, उसका व्यय या राशि उत्तरोत्तर अव्ययित रही जिसे लोक लेखा के माध्यम से नहीं देखा जा सकता था ।

(v) भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकरः भारत सरकार ने श्रमिकों को लाभ प्रदान करने के लिए उपकर लगाने और एकत्र करने के लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम-1996 (उपकर अधिनियम) को अधिनियमित किया। अधिनियम, अन्य बातों के साथ-साथ,एकभवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन और अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नियम तैयार करना अनिवार्य है। तदानुसार, हिमाचल प्रदेश सरकार ने अधिनियम के तहत भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन)नियम, 2008 बनाए है तथा हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई । श्रम उपकर जमा के रूप में सरकार द्वारा जमा की गई राशि के संचालन और रखरखाव के लिए बोर्ड जिम्मेदार है ।

राज्य सरकार द्वारा श्रम उपकर के संग्रहण एवं भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को उनके स्थानांतरण की सूचना प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) के कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। हालांकि, हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 31 मार्च 2021 को निधि की स्थिति (अस्थायी आंकड़े) इस प्रकार हैः

(करोड़ में)

प्रारंभिक शेष	2020-21 के दौरान एकत्र उपकर	व्यय		31 मार्च 2021 को शेष राशि
		प्रशासनिक व्यय के संबंध में संवितरण	कल्याणकारी योजनाओं के लिए उपयोग की गई धन राशि	
664.25	105.71	2.25	110.72	656.99

(vi) अन्य उपकरः वर्ष 2020-21 के दौरान, हिमाचल प्रदेश सरकार ने उपकर (श्रम उपकर के अलावा) के संग्रह के रूप में ₹68.24 करोड़ एकत्र किए। अन्य प्रकार के उपकर और वर्ष के दौरान एकत्रित राशि का विवरण नीचे दिया गया हैः

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	उपकर का विवरण	राशि
01	0039	कोविड उपकर	46.27
02	0041	करों पर उपकर	21.97
		कुल	**68.24**

(vii) प्रतिकुल शेषः वर्ष के दौरान खातों में प्रदर्शित होने वाली ऋणात्मक शेष राशि नीचे दी गई है। इनके अंतर्गत ऋणात्मक शेष अधिक भुगतान के कारण थे और समीक्षा/सुधार के अधीन है ।

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष विवरण	ऋणात्मक शेष
8449-अन्य जमा	123- राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट जमा	1.17

(viii) नकद शेषः 31 मार्च 2021 को प्रधान महालेखाकार के रिकॉर्ड के अनुसार नकद शेष ₹59.96 करोड़ (नामे) था और आर.बी.आई. द्वारा सूचित की गई राशि ₹61.46 करोड़ (जमा) थी। मुख्य रूप से लेन-देन की गलत रिपोर्टिंग और एजेंसी बैंको द्वारा गैर-समाधान के कारण ₹1.50 करोड़ (जमा) का शुद्ध अन्तर था। अन्तर समाधान के तहत है । पिछले वर्षों में रोकड़-शेष का अन्तर निम्न प्रकार हैः-

(₹ करोड़ में)

वर्ष	नकद शेष
2015-16 तक	11.55 नामे
2016-17	8.60 जमा
2017-18	57.31 जमा
2018-19	4.30 जमा
2019-20	17.28 नामे
2020-21	1.50 जमा

5. भारत सरकार के लेखा मानकों (भा.स.ले.मा) के अनुसार प्रकटीकरणः

(क) भा.स.ले.मा.1-सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटियां- भा.स.ले.मा.-1 के लिए आवश्यक है कि राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियों पर क्षेत्र-वार और वर्ग-वार प्रकटीकरण वित्त खातों में शामिल किया जाना चाहिए। विवरणी 9 और 20 राज्य

सरकार द्वारा दी गई गारंटियों और गारंटीकृत राशि पर ब्याज का विवरण दिखाते हैं। यद्यपि क्षेत्र-वार ब्यौरों का खुलासा किया गया है, वर्ग-वार विवरण राज्य के वित्त लेखों में शामिल नहीं किए गए थे ।

भा.स.ले.मा.-1 के अनुसार तैयार किए गए विवरणी 9 और 20 में रिपोर्ट की गई गारंटियों का विवरण राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर है ।

(ख) भा.स.ले.मा.2- सहायता अनुदान का लेखांकन और वर्गीकरणः भा.स.ले.मा.-2 के अनुसार, सहायता अनुदान से संबंधित व्यय को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए, भले ही इसमें संपत्ति का निर्माण शामिल हो, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से अधिकृत मामलों को छोड़कर । राज्य सरकार द्वारा दिए गए सहायता अनुदान के लेखांकन और वर्गीकरण के संबंध में आवश्यकताओं को विवरणी 10 और परिशिष्ट III में दर्शाया गया है राज्य सरकार द्वारा वस्तु के रूप में दिए गए सहायता अनुदान के संबंध में विस्तृत जानकारी भी उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसके अलावा, अनुदान ग्रहियों को अगली किश्त प्रदान करने से पहले उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के संबंध में भा.स.ले.मा. के निर्देश को सुनिश्चित नहीं किया गया था। अतः, उपरोक्त को देखते हुए, भा.स.ले.मा.-2 का पूर्ण रूप से अनुपालन नहीं किया जाता है ।

(ग) भा.स.ले.मा. 3-सरकार द्वारा प्रदत्त ऋणों और अग्रिमों के सम्बन्ध मेंः भा.स.ले.मा.-3 को संघ और राज्य सरकारों द्वारा प्रदत्त ऋणों और अग्रिमों पर प्रकटीकरण की आवश्यकता है ।

हिमाचल प्रदेश के वित्त खातों के विवरणी 7 और 18 को भा.स.ले.मा.-3 के तहत प्रकटीकरण को शामिल करते हुए तैयार किया गया है। वित्त लेखों के इन विवरणों में रिपोर्ट किए गए ऋण और अग्रिमों का विवरण प्रधान महालेखाकार (ले0 व ह0) को प्रदान किए गए खातों के माध्यम से प्राप्त जानकारी और सरकारी कर्मचारियों को दिए गए ऋणों और अग्रिमों के संबंध में प्रधान महालेखाकार (ले0 व ह0) द्वारा बनाए गए विस्तृत खाते पर आधारित है । 31 मार्च 2021 को विवरणी 7 और 18 में दर्शाए गए अंतिम शेषों का ऋणी संस्थाओं/राज्य सरकार के साथ मिलान नहीं किया गया है । खाते निम्नलिखित इंगित करते हैः

हिमाचल प्रदेश के विभागों ने 31 मार्च 2021 के अंत तक विभिन्न स्वायत्त निकायों/पी.एस.यू, प्राधिकरणों आदि को कुल ₹7,658.22 करोड़ के सरकारी ऋण स्वीकृत किए। पुराने ऋणों के संबंध में जिनका विस्तृत लेखा प्रधान महालेखाकार (ले0 व ह0) रखते हैं 06 विभागों से ₹ 96.73 करोड़ की राशि के मूलधन और ब्याज की वसूली पिछले कई वर्षों के दौरान प्रभावित नहीं हुई है। इनमें से 05 विभागों से वसूली 10 वर्ष से अधिक समय से लम्बित है। पिछला ऋण 1985-86 से 2015-16 की अवधि के दौरान दिया गया था। विभागों की सूची विवरणी संख्या 07, खंड 3 में दी गई है। सांविधिक निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि को दिए गए ₹3,052.46 करोड़ के ऋण की वसूली वर्ष के अंत में अतिदेय थी (विवरणी 7 में विवरण,खंड 3)।

प्रधान महालेखाकार (ले0 व ह0) वार्षिक रूप से सत्यापन और स्वीकृति के लिए ऋण की शेष राशि(जहां प्रधान महालेखाकार द्वारा विस्तृत खातों का रख रखाव किया जाता है) को ऋण स्वीकृत करने वाले विभागों को सूचित करता है ।

शेष राशि के समाधान हेतु विभागीय/कोषागार अधिकारियों से प्रतीक्षित सूचना का विवरण वित्त लेखे के परिशिष्ट-VII में दिया गया है ।

(6) हि.प्र.राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन (एफ. आर. बी. एम.) अधिनियम, 2005 (2011 मे संशोधित) के तहत प्रकटीकरणः 14 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, राज्य सरकार को एफ.आर.बी.एम.अधिनियम में और संशोधन करने की आवश्यकता थी, हालांकि राज्य सरकार ने अभी तक उक्त अधिनियम में संशोधन नहीं किया है। इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम 2005, की धारा 4 के संदर्भ में सरकार हर वर्ष राज्य के बजट के साथ मध्यावधि वित्तीय योजना विवरण (एम.टी.एफ.पी.एस.) प्रस्तुत करेगी।

लक्ष्य और उपलब्धि के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण मानकों की स्थिति निम्नानुसार हैः-

क्रम संख्या	**एफ.आर.बी.एम/एम.टी.एफ.पी.एस.अधिनियम**	**वर्ष के दौरान लेखों और जी.एस.डी.पी. के अनुसार उपलब्धियां ***
1.	वितिय वर्ष 2011-2012 तक राजस्व घाटा समाप्त करना और तत्पश्चात राजस्व आधिक्य बनाये रखना ।	हिमाचल प्रदेश सरकार का 2020-21 में ₹96.66 करोड़ का राजस्व घाटा था । (जी.एस.डी.पी.का 0.06*प्रतिशत)*
2.	वितिय वर्ष 2011-12 तक राजकोषीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद के तीन *प्रतिशत* या कम करना और तत्पश्चात राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के आकलन के अनुसार तीन *प्रतिशत* या कम पर बनाये रखना ।	लेखों के अनुसार ₹5,700.09 करोड़ का राजकोषीय घाटा था,जो कि 2020-21 के लिए जी.एस.डी.पी.का 3.64 *प्रतिशत* था ।
3.	जी.एस.डी.पी.के *प्रतिशत* के रूप में व्यक्त कुल बकाया ऋण 2020-21 के दौरान जी.एस.डी.पी.के 39.33 *प्रतिशत* से कम होगी #	2020-21के लिए बकाया ऋण ₹67,164.75 करोड़ *जी.एस.डी.पी.का 42.91 *प्रतिशत* था ।
4.	प्राथमिक घाटा	₹1,227.64 करोड़

एम.टी.एफ.पी.एस. के संशोधित अनुमानों से लिया गया लक्ष्य क्योंकि ये एफ.आर.बी.एम. अधिनियम में उपलब्ध नही थे ।

* इस ऋण में ₹1,717.00 करोड़ शामिल नहीं है, जिसे जी0एस0टी0 मुआवजे में कमी के बदले भारत सरकार के पत्र संख्या एफ.40(1)पी.एफ- एस./2021-22 दिनांक 10 दिसम्बर 2021 द्वारा वापसी आधार पर ऋण के रूप में पारित किया गया था।

हिमाचल प्रदेश का जी.एस.डी.पी.) *सकल राज्य घरेलु उत्पाद*) विधान सभा में प्रस्तुत संशोधित अनुमानों के अनुसार 2020-21 के लिए ₹1,56,522 करोड़ है। बकाया ऋण में सभी ऋण और अन्य देनदारियां शामिल हैं।

₹5,700.09 करोड़ का राजकोषीय घाटा)i(आंतरिक ऋण)बाजार से उधार, वित्तीय संस्थान से ऋण आदि (₹3,390.44 करोड़, (ii) केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम :₹2,217.73 करोड़, (iii) लघु बचत, भविष्य निधि आदि :₹985.51 करोड़, (iv) जमा और अग्रिम; ₹81.35 करोड़, (v) निक्षेप निधि और आरक्षित निधिः (-)₹5.11 करोड़, (vi) उचंत और विविध (-):₹209.39 करोड़, (vii) प्रेषणः (-)₹64.38 करोड़, (viii) नकद शेषः ₹17.97 करोड़, (ix) निवेशः (-)₹714.03 करोड़ के माध्यम से वित्त पोषित किया गया था।

एफ.आर.बी.एम. अधिनियम और नियमों द्वारा निर्धारित 2020-21 के लिए बजट की प्रस्तुत के समय राज्य सरकार द्वारा विधान मंडल में लक्ष्य और उपलब्धि की स्थिति का खुलासा करना आवश्यक है। इस संदर्भ में,

)i) निर्धारित वित्तीय संकेतकों के अनुपालन को प्रभावित करने या प्रभावित करने की संभावना वाले लेखांकन मानकों, नीतियों और प्रथाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तनों पर कोई प्रकटीकरण नहीं किया गया है; तथा

)ii) प्रमुख कार्यों और अनुबंधों के सम्बन्ध में, कार्यों और आपूर्ति पर अवैतनिक बिलों के सम्बन्ध में,परिसंपत्तियों का विवरण और सरकारी देनदारियां पर भारित औसत ब्याज दरों के सम्बन्ध में कोई प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

7. राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे पर प्रभावः

हिमाचल प्रदेश सरकार के राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे पर प्रभाव जैसा कि पिछले पैरे में बताया गया है, नीचे सारणी बद्ध हैः

(₹ करोड़ में)

पैरा संख्या	**मद (उदाहरण)**	**राजस्व घाटे शेष पर प्रभाव**		**राजकोषीय घाटे पर प्रभाव**	
		आधिक्य (₹ करोड़ में)	**कमी (₹ करोड़ में)**	**आधिक्य (₹ करोड़ में)**	**कमी (₹ करोड़ में)**
2(ii)	राजस्व एव पूंजीगत के बीच गलत वर्गीकरण।	...	2.28	...	...
2(xi)	एस.डी.आर.एफ. के तहत शेष राशि पर ब्याज का भुगतान न करना।	...	0.06	...	0.06
कुल (शुद्ध)प्रभाव		...	**2.34**	...	**0.06**

टिप्पणीः संदर्भ पैरा 2(xv)- 2020-21 के दौरान ₹227.65 करोड़ को राजस्व व्यय (₹81.77 करोड़) तथा पूंजीगत व्यय (₹145.88 करोड़) के रूप में लेने के स्थान पर ''उच्चंत'' के तहत रखा गया है ।

अनुबन्ध-क

लेखाओं पर टिप्पणियाँ---पैरा 1 (ii) के संदर्भ में

(I). आवधिक समायोजनः

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	बुक समायोजन	मुख्य शीर्ष		राशि	अभियुक्तियां
		से	को		
1.	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से स्थानान्तरित	8121 नामे	2245 (-)नामे	447.12	यह राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से किए गए व्यय को दर्शाता है ।
2.	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि को स्थानान्तरण	2245 नामे	8121 जमा	454.00	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में ₹409.00 करोड़ के केन्द्रीय हिस्से और ₹45.00 करोड़ की राज्य हिस्सेदारी के हस्तांतरण को दर्शाता है ।
3.	राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि से स्थानान्तरित	8235 नामे	2245 (-)नामे	2.90	यह राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि से किए गए व्यय को दर्शाता है ।
4.	राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि को स्थानान्तरण	2245 नामे	8235 जमा	2.90	राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि को किए गए अन्तरण को दर्शाता है ।
5.	जी.पी.एफ. पर ब्याज	2049 नामे	8009 जमा	1,111.97	वर्ष के अन्त में जी.पी.एफ. शेषों पर अर्जित ब्याज का समायोजन ।
6.	राज्य सरकार कर्मचारी समूहबीमा योजना के शेषों पर ब्याज	2049 नामे	8011 जमा	25.40	राज्य सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना पर अर्जित ब्याज का समायोजन।
7.	राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि से स्थानान्तरित	8121 नामे	2406 (-)नामे	119.49	राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि से किए गए व्यय को दर्शाता है ।
8	राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि पर ब्याज	2049 नामे	8121 जमा	107.50	राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि में शेष राशि पर ब्याज का समायोजन ।

(II) बुक समायोजनः

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	बुक समायोजन	मुख्य शीर्ष		राशि	अभियुक्तियां
		से	को		
1.	सामान्य भविष्य निधि का अंशदानं/वसूली	2202	8009	1,166.72	...
2.	-तदैव-	2210	8009	223.12	...
3.	-तदैव-	3054	8009	215.36	...
4.	-तदैव-	2055	8009	210.50	...
5.	-तदैव-	2215	8009	113.93	...
6.	-तदैव-	2406	8009	57.63	...
7.	-तदैव-	2702	8009	56.92	...
8.	-तदैव-	2403	8009	53.42	...
9.	-तदैव-	2059	8009	51.04	...
10.	-तदैव-	2211	8009	35.96	...
11.	-तदैव-	2014	8009	34.16	...
12.	-तदैव-	2401	8009	32.44	...
13.	-तदैव-	2053	8009	30.45	...
14.	-तदैव-	2515	8009	27.66	...
15.	-तदैव-	2029	8009	26.80	...
16.	-तदैव-	2052	8009	19.95	...
17.	-तदैव-	2230	8009	11.08	...
18.	-तदैव-	2054	8009	10.74	...
19.	-तदैव-	अन्य	8009	119.52	
		जोड़		**2,497.40**	

(III) अन्य समायोजनः

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	बुक समायोजन	मुख्य शीर्ष		राशि	अभियुक्तियां
		से	को		
1.	राजस्व प्राप्तियाँ शीर्ष को अन्तरण	8443(-) जमा	0075 जमा	2.98	राजस्व शीर्ष को अन्तरित व्यपगत जमा

अनुबन्ध-ख

(लेखाओं पर टिप्पणियाँ---पैरा 2 (iv) के संदर्भ में)

लघुशीर्ष 800- अन्य व्यय के अन्तर्गत व्यय की मुख्य शीर्षवार विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष	विवरण	कुल व्यय	लघुशीर्ष 800 के अन्तर्गत व्यय	प्रतिशतता
01	5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	147.17	147.04	99.91
02	2075	विविध सामान्य सेवाएं	33.68	33.43	99.26
03	5452	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	29.99	28.03	93.46
04	4701	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	70.01	64.01	91.43
05	4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	8.14	7.24	88.94
06	4711	बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	56.92	40.68	71.47
07	4851	ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	17.27	8.05	46.61
08	4401	फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	15.53	7.24	46.62
09	2851	ग्रामीण एवं लघु उद्योग	190.26	79.36	41.71
10	2501	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	138.87	56.34	40.57
11	3454	जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	17.09	6.26	36.63
12	2230	श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास	193.58	55.21	28.52

अनुबन्ध- ग

(लेखाओं पर टिप्पणियाँ---पैरा 2 (iv) के संदर्भ में)

लघुशीर्ष 800- अन्य प्राप्तियां के अन्तर्गत प्राप्तियों की मुख्य शीर्षवार विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष	विवरण	कुल प्राप्तियां	लघुशीर्ष 800 के अन्तर्गत प्राप्तियां	प्रतिशतता
01	0217	शहरी विकास	5.95	5.95	100.00
02	0801	विद्युत	749.12	749.12	100.00
03	1452	पर्यटन	6.45	6.42	99.53
04	0515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	20.41	17.91	87.75
05	0070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	37.05	29.89	80.67
06	0045	पदार्थों और सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	264.26	205.07	77.60
07	0401	फसल कृषि कर्म	11.92	9.12	76.51
08	0425	सहकारिता	9.51	7.26	76.34
09	0029	भू-राजस्व	6.95	5.26	75.68
10	0235	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	11.15	6.02	53.99
11	1054	सड़कें तथा पुल	12.89	6.60	51.20
12	0406	वानिकी तथा वन्य जीवन	49.56	18.95	38.24
13	0059	लोक निर्माण कार्य	58.28	21.06	36.13
14	0853	अलौह खनन व धातुकर्म उद्योग	252.16	51.02	20.23

अनुबन्ध-घ

उच्चतम लम्बित रहने वाले रेंखाकित विभागों के यूसी का आयु विश्लेषण

(लेखाओं पर टिप्पणियाँ---पैरा 2 (ix) के संदर्भ में)

विभाग	पंचायती राज		शहरी विकास		ग्रामीण विकास		आयुष		शिक्षा	
वर्ष	की यूसी बकाया संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	की यूसी बकाया संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	की यूसी बकाया संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	की यूसी बकाया संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	की यूसी बकाया संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2016-17	19	27.10	…	…	4	7.74	…	…	…	…
2017-18	75	59.26	28	62.11	5	4.78	13	2.02	…	…
2018-19	170	261.37	34	68.24	…	…	20	23.90	1	0.31
2019-20	304	332.51	50	171.14	83	180.32	15	24.00	28	100.44
2020-21	212	589.31	74	444.20	177	262.14	126	300	70	240.24
कुल	**780**	**1,269.55**	**186**	**745.69**	**269**	**454.98**	**174**	**349.92**	**99**	**340.99**

अनुबन्ध-ड

(पारिस्थिति की और पर्यावरण पर व्यय)

(लेखाओं पर टिप्पणियाँ---पैरा 2 (xiv) के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष	उप-मुख्य शीर्ष	लघुशीर्ष	वर्ष 2020-21 के दौरान किया गया व्यय	बजट प्रावधान	बजट प्रावधान में व्यय का प्रतिशत
01	3435	03	103	1.88	1.88	100

अनुबन्ध- च

(लेखाओं पर टिप्पणियाँ---पैरा 2 (xv) के संदर्भ में)

उचन्त के अधीन स्थगन में रखी गयी राशि की मुख्य शीर्ष वार विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष	वाऊचर माह	राशि	कुल राशि
01	2040	03/2021	1.09	1.09
02	2053	03/2021	0.77	0.77
03	2055	03/2021	0.89	0.89
04	2059	03/2021	6.59	6.59
05	2070	03/2021	7.02	7.02
06	2075	03/2021	5.62	5.62
07	2202	03/2021	41.28	41.28
08	2210	01/2021	4.80	6.43
		03/2021	1.63	
09	2215	03/2021	5.10	5.10
10	2225	03/2021	3.96	3.96
11	2235	03/2021	0.32	0.32
12	2401	03/2021	0.11	0.11
13	2515	03/2021	0.21	0.21
14	2702	03/2021	0.18	0.18
15	2852	03/2021	1.81	1.81
16	3054	03/2021	0.40	0.40
17	4055	01/2021	13.55	30.05
		03/2021	16.50	
18	4059	03/2021	0.20	0.20
19	4202	02/2021	4.40	10.63
		03/2021	6.23	
20	4210	03/2021	0.14	0.14
21	4215	05/2021	0.01	19.78
		03/2021	19.77	
22	4216	03/2021	0.28	0.28
23	4217	03/2021	33.00	33.00
24	4401	03/2021	3.41	3.41
25	4402	03/2021	0.69	0.69
26	4702	03/2021	3.24	3.24
27	4705	03/2021	3.88	3.88
28	4711	03/2021	2.98	2.98
29	4851	02/2021	1.55	1.96
		03/2021	0.41	
30	5054	03/2021	7.63	7.63
31	5055	03/2021	1.04	1.04
32	5452	11/2020	4.94	26.96
		12/2020	1.03	
		02/2021	20.99	
	जोड़			**227.65**

अनुबन्ध- छ

(लेखाओं पर टिप्पणियाँ---पैरा 4 (iii) के संदर्भ में)

उचंत तथा प्रेषण शीर्षों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष का नाम	**2018-19**		**2019-20**		**2020-21**	
8658- उचंत लेखे	**नामे**	**जमा**	**नामे**	**जमा**	**नामे**	**जमा**
101- वेतन एवं लेखा कार्यालय-उचंत	96.21	35.55	124.62	56.33	138.83	66.53
शुद्ध	60.66नामे		68.29नामे		72.30नामे	
102-उचंत लेखा (सिविल)	149.77	131.53	1,551.08	164.34	1,854.36	223.31
शुद्ध	18.24 नामे		1,386.74 नामे		1,631.05 नामे	
109-रिजर्व बैंक उचन्त-मुख्यालय	1.10	0.62	(-) 0.04	--	0.42	0.37
शुद्ध	0.48 नामे		(-)0.04 जमा		0.05 नामे	
110-रिजर्ब बैंक उचंत-केन्द्रीय लेखा कार्यालय	0.57	--	3,755.23	3,755.23	2.24	2.26
शुद्ध	0.57 नामे		-शून्य-		0.02 जमा	
112-स्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.) उचंत	484.05	497.09	447.74	468.23	471.25	497.83
शुद्ध	13.04 जमा		20.49 जमा		26.58 जमा	
123-अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों की समूह बीमा योजना	0.52	0.05	0.60	0.04	0.73	0.04
शुद्ध	0.47 नामे		0.56 नामे		0.69 नामे	
129-सामग्री खरीद समायोजन उचंत लेखा	164.43	305.64	139.79	244.17	81.69	219.46
शुद्ध	141.21 जमा		104.38 जमा		137.77 जमा	
8782- एक ही लेखा अधिकारी को लेखे प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों के मध्य नकदी प्रेषण और समायोजन						
102-लोक निर्माण कार्य प्रेषण	7,185.44	7,660.51	7,507.51	8,104.89	6,841.07	7,372.10
शुद्ध	475.07 जमा		597.38 जमा		531.03 जमा	
103-वन प्रेषण	151.59	187.49	124.72	141.58	0.03	16.81
शुद्ध	35.90 जमा		16.86 जमा		16.78 जमा	

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
2021
www.cag.gov.in

www. aghp.cag.gov.in